# राजस्थान विधान सभा

## १६ वीं बैठक, शनिवार, दिनांक २६ मार्च, सन १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में १२ बज कर १५ मिनिट (मध्यान्ह) पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

### तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष**—Yes, Questions. Shri Chandmal Mehta.

### प्रश्न संख्या २३१

### जुडिशियरी के गजटेड अधिकारियों का एग्जिक्युटिव में स्थानान्तरण

**श्री चांदमल मेहता**—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) चालू वर्ष में जुडिशियरी के कितने गजटेड अफसरों का तबादला एग्जिक्युटिव साइड में किया गया?

(ख) उक्त अफसरों के नाम, योग्यता और लैंग्थ ऑफ सर्विस कितनी है?

(ग) उक्त अफसरों के तबादले के क्या कारण हैं?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्य मंत्री)—(क) सिर्फ एक।

(ख) नाम श्री पी. एम. बख्शी। योग्यता : बी. कॉम. एल. एल. बी., आर. जे. एस.। लैंग्थ ऑफ सर्विस ७ वर्ष ७ महीने।

(ग) विधेयकों तथा वैध प्रारूपों के प्रारूपण करने के लिये।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट

### प्रश्न संख्या २३२

### जिला नागौर की पुनर्ग्रहण की गई जागीरों के कर्मचारियों के नौकरी के लिये आवेदन-पत्र

**श्री चांदमल मेहता**—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) नागौर डिस्ट्रिक्ट की पुनर्ग्रहण की हुई जागीरों के कर्मचारियों के कितने आवेदन-पत्र नौकरी चाहने के लिये कलेक्टर नागौर के पास पेश हुए हैं?

Page No.2



[ श्री चांदमल मेहता ]

( ख ) उक्त कर्मचारियों में से कितने व्यक्तियों को नौकरी दी जा चुकी है, कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं व कितने आवेदन-पत्र खारिज कर दिये गये हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मंत्री )—

( क ) नागौर जिले की पुनर्ग्रहण की हुई जागीरों के ८३ कर्मचारियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

( ख ) उक्त कर्मचारियों में से १६ व्यक्तियों को राज्य-सेवा में लिया जा चुका है और १० के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं; अन्य ५७ कर्मचारियों को डिस्चार्ज नोटिस दिया गया है।

**श्री चांदमल मेहता**—इन १० के आवेदन-पत्र कब से विचाराधीन हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—यों हर एक की तारीख तो मुझे याद नहीं, जागीरें भिन्न भिन्न समय पर पुनर्ग्रहण की गई हैं। जिस अवधि में आवेदन-पत्र दे दिये, तभी से विचाराधीन समझा जाना चाहिये।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में नई तहसीलें बनी हैं, वहां नये कर्मचारी रखे गये हैं और जागीरदारों के कर्मचारी जो योग्य थे उनको स्थान नहीं दिया गया है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—नये, जो सर्विस में नहीं थे उनको लिया गया है।

**श्री चांदमल मेहता**—जी हां।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मेरी समझ में ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा हुआ है तो नोटिस में लाया जाय, इस मामले को जरूर देखा जायगा।

**श्री चांदमल मेहता**—जो विचाराधीन हैं उनका फैसला कब तक कर दिया जायगा ? क्या जल्दी से जल्दी उसका फैसला कर देंगे ?

**प्रश्न संख्या २३३**

**श्री अध्यक्ष**—श्री जवानसिंह।

( प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

श्री चांदमल मेहता।

**प्रश्न संख्या २३४**

**तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट बनाने का आधार**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

# Page No.3



[ श्री चांदमल मेहता ]

(१) तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट किस आधार पर बनाई गई है ?

(२) सीनियोरिटी लिस्ट के खिलाफ कितने रिप्रेज़ेन्टेशन पेश हुए हैं ?

(३) जो रिप्रेज़ेन्टेशन पेश हुए हैं उनमें कितने फैसल हो चुके हैं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री)—

(१) तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट राजस्थान सरकार की आज्ञा दि० २५ फरवरी, १९५४, जो राजस्थान राज-पत्र दिनांक ६ मार्च, १९५४ को प्रकाशित हुई है, के आधार पर बनाई गई।

(२) प्रोविज़नल सीनियोरिटी लिस्ट जो राजस्थान राज-पत्र दिनांक १८ अगस्त, १९५४ को प्रकाशित हुई उस पर निम्न लिखित रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुए:—

| | |
|---|---|
| तहसीलदार ग्रूप ए. | ८ |
| तहसीलदार ग्रूप बी. | ८३ |
| | ९१ |
| नायब तहसीलदार ग्रुप ए. | ५२ |
| ,, ,, ,, बी. | ३ |
| ,, ,, ,, सी. | ५१ |
| | १०६ |

(३) चेयरमेन रेवेन्यु बोर्ड द्वारा सब रिप्रेजेन्टेशन्स का फैसला किया जा चुका है तथा अब सरकार के विचाराधीन है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि सीनियोरिटी के सम्बन्ध में कोई क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—मैंने बताया कि निश्चित क्राइटेरिया था जो ६-३-५४ के गजट में प्रकाशित हुआ है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या उस क्राइटेरिया को मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—वह ६ मार्च, १९५४ के गजट में प्रकाशित हुआ है।

# Page No.4



**श्री चांदमल मेहता**—जो रिप्रेज़ेन्टेशन्स सरकार के विचाराधीन हैं वे कब तक फैसल कर दिये जावेंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—जल्दी से जल्दी।

**श्री चांदमल मेहता**—ये सरकार के विचाराधीन कब से हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—करीब एक महीना हुआ है।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या २३५**

**लाग दस्तूर सम्बन्धी रिपोर्ट देने के लिये समिति का निर्माण**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लाग दस्तूर के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने के लिये एक समिति का निर्माण किया गया है ?

(२) यदि हां, तो उक्त समिति कब बनी ?

(३) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ?

(४) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री)—

(१) जी हां।

(२) यह समिति १२ दिसम्बर १९५३ को बनाई गई।

(३) जी हां।

(४) उक्त रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

**श्री चांदमल मेहता**—समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष कब पेश कर दी है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—इस कमेटी ने ६–८–५४ को अपनी रिपोर्ट सरकार के पास पेश कर दी है।

**श्री चांदमल मेहता**—यह रिपोर्ट अब तक सरकार के विचाराधीन क्यों है, इस पर अभी फैसला क्यों नहीं हुआ ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—क्योंकि इसमें बहुत सी लाग-भागों का सवाल है और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मसला है; समिति ने जो इस पर अपनी राय दी है उस पर विचार करके फैसला करना है, इसलिये समय लगा है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि यहां यह आश्वासन दिया गया था कि आयन्दा अधिवेशन में, इस सम्बन्ध में बिल पेश किया जायगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—दिया गया था।

**श्री चांदमल मेहता**—फिर क्यों नहीं बिल पेश किया गया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—समिति की रिपोर्ट पर जांच की जा रही है।

**श्री चांदमल मेहता**—अब कब तक उम्मीद की जाय ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—जल्दी से जल्दी, जब कि समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा मन्जूर कर ली जाय।

**श्री चांदमल मेहता**—समिति की रिपोर्ट मन्जूर करने में कितना टाइम लगेगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—अब ज्यादा समय नहीं लगेगा।

**प्रश्न संख्या २३६**

**सिरोही शहर की बन्द हुई संस्कृत पाठशाला पुनः चलाना**

**श्री जवानसिंह**—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या सिरोही शहर में साल भर पहले कोई संस्कृत-पाठशाला चल रही थी ?

(आ) अगर हां, तो उसके बन्द होने का क्या कारण है ?

(इ) क्या सरकार पुनः इस स्कूल को चलाने की व्यवस्था पर स्वतः या जनता की मांग पर विचार कर रही है ?

(ई) जालोर, पाली, बाडमेर तथा सिरोही जिलों में अब कितनी संस्कृत-पाठशालाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और कहां कहां पर ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल** (उप शिक्षा-मंत्रिणी)—

(अ) लगभग दो-ढाई वर्ष पूर्व महाराजा सिरोही द्वारा एक संस्कृत-पाठशाला चलाई जा रही थी।

[ श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल ]

(आ) महाराजा सिरोही ही इसे व्यक्तिगत रूप से चला रहे थे और उन्होंने ही इसे बन्द कर दिया।

(इ) प्रश्न उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि इस संबन्ध में कोई आवेदन नहीं किया गया।

(ई) कोई नहीं।

**श्री जवानसिंह**—क्या सरकार इस बात की जांच करवाएगी कि इस संबन्ध में सिरोही की जनता ने और मेरा भी सिरोही से व्यक्तिगत ताल्लुक है, मैंने भी रिपोर्ट दी थी ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—अब तक यह सरकार की जानकारी में नहीं है कि कोई आवेदन-पत्र आये हों। अगर आपकी जानकारी में हो तो विचार किया जावेगा।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या २३७**

**किशनगढ़ तहसील की उज्रदारियों की सुनवाई जयपुर में**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील की सेटलमेंट की कुछ उज्रदारियों की सुनाई जयपुर में की गई है ?

(२) यदि हां, तो ऐसी उज्रदारियां कितनी हैं जिन जिनकी सुनवाई जयपुर में की गई और की जा रही है ?

(३) उक्त उज्रदारियों की सुनवाई जयपुर में किये जाने के क्या कारण हैं ?

**श्री दामोदर लाल व्यास** ( राजस्व मन्त्री )—(१) जी हां।

(२) तहसील किशनगढ़ की कुल ४,१४३ उज्रदारियों में से सिर्फ ८४ उज्रदारियों की सुनवाई जयपुर में हुई, इनमें से ४८ उज्रदारियां अभी विचाराधीन हैं।

(३) इन उज्रदारियों की जयपुर में सुनवाई के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

१. फरीकसानी का बरवक्त सुनवाई मौके पर हाजिर न होना अथवा बिना अधिक समय लगे तलबी न हो सकना।

२. फरीकसानी का लिखित सबूत व दीगर कार्यवाही के लिए आगे मोहलत चाहना।

[ श्री दामोदर व्यास ]

३. मौके पर एक बार कार्य समाप्त होने के बाद नई उज्रदारियां प्राप्त होना जिनके लिए समय का ध्यान रखते हुए सदर मुकाम की तारीख दिया जाना उचित हो आदि।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि पिछले सेशन में जब इस प्रकार की आवाज उठाई गई थी उस समय सेटलमेंट ऑफिसरों को आदेश दिया था कि तहसील में ही उज्रदारियों की सुनवाई करें और इसके लिये आश्वासन भी दिया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—जी हां, ऐसा आदेश सभी एसिस्टेन्ट सेटलमेंट ऑफिसरों को है, मगर उन मामलात में जहां वक्त पर फरीक वहां हाजिर नहीं हो सकते या कागजात पेश नहीं कर सकते तो सेटलमेंट ऑफिसरों के पास, जिनका हैड-क्वार्टर जयपुर में है, उन उज्रदारियों की सुनवाई होती है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या कारण है कि किशनगढ़ तहसील में वहां के मामलों की सुनवाई नहीं करके जयपुर में की जा रही है जब कि इस प्रकार के आदेश हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास**—जब इस प्रकार के आदेश हैं तभी तो ४ हजार में से ८३ उज्रदारियों की सुनवाई यहां जयपुर में हुई है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि जिनकी सुनवाई यहां पर जयपुर में हो रही है उसका कारण यह है कि उन लोगों ने सेटलमेंट अधिकारियों की पूजा का दस्तूर नहीं दिया और इस कारण से उनकी उज्रदारियां जयपुर में भेजी गईं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—मुझे तो इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जानकारी देंगे तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जावेगा।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास**—अगर आप इस सम्बन्ध में शिकायत करेंगे और कोई केस सरकार के सामने लावेंगे तो जांच की जायगी।

**श्री चांदमल मेहता**—इस तरह की शिकायत पिछले सेशन में भी की गई थी।

**श्री दामोदरलाल व्यास**—आपने कोई स्पेसेफिक इन्स्टेन्स नहीं दिया।

**श्री चांदमल मेहता**—जो जो कारण माननीय मंत्री महोदय ने बताये क्या उन कारणों के बाहर भी कोई कारण थे जिनके कारण उनकी उज्रदारियों को यहां जयपुर में सुनवाई के लिये रखा गया।

Page No.8



**श्री दामोदरलाल व्यास**—अगर किसी ऑफिसर ने किसी काश्तकार से रिश्वत ली हो या अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिये इस प्रकार का कार्य किया हो और आप बतावेंगे तो उस पर कार्यवाही की जावेगी।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या इस सम्बन्ध में कोई सरकार के आदेश हैं कि इन कारणों से जयपुर में हैड-क्वार्टर पर उज्रदारियों की सुनवाई होगी और इन कारणों से मौके पर होगी

**श्री दामोदरलाल व्यास**—इस सम्बन्ध में सरकार के कोई आदेश नहीं हैं। अगर अधिकारी मौके पर जांच नहीं कर सकता है तो वह उसे हैड-क्वार्टर पर कर सकता है।

**श्री चांदमल मेहता**—सरकार का इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं होते हुए भी किशनगढ़ की उज्रदारियां किशनगढ़ में नहीं सुनी जाकर कानून के खिलाफ यहां जयपुर में क्यों सुनी जा रही हैं?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—जो आदेश दिया हुआ है उसकी पाबन्दी हुई है और तभी तो ४ हजार उज्रदारियों में से सिर्फ ८३ उज्रदारियों की सुनवाई यहां पर हुई है। अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ आप पर्टीकुलर इन्स्टेन्स देंगे तो उस पर विचार किया जावेगा।

**श्री चांदमल मेहता**—८३ आदमियों के साथ इस प्रकार का अनजस्टिस करने का क्या कारण है? क्या ४,००० में से ये ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस केटेगरी में आ सकते हैं कि उनकी उज्रदारियों की सुनवाई जयपुर में हो।

**श्री दामोदरलाल व्यास**—कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप क्लिअर इन्स्टेन्स सरकार के नोटिस में लावें तो कार्यवाही की जावेगी।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

## प्रश्न संख्या २३८

## सिरोही इन्टर कालेज में टाइप मशीनें

**श्री जवानसिंह**—क्या शिक्षा-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सिरोही इन्टर कॉलेज के कॉमर्स सेक्शन में विद्यार्थियों के लिये कितनी टाइप की मशीनों की व्यवस्था है?

(ख) यह व्यवस्था कब की गई थी?

(ग) विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कितनी मशीनों की व्यवस्था होनी चाहिए?

Page No.9



**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल** (उपशिक्षा मंत्रिणी)—(क) ४ ।

(ख) इसी साल ।

(ग) ६ ।

**श्री जवानसिंह**—आवाज सुनाई नहीं दे रही है । माइक की अच्छी तरह से व्यवस्था की जावे ।

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—(क) ४ । (ख) इसी साल । (ग) ६ ।

**श्री जवानसिंह**—यह संख्या "नो" बताई गई है यह अंग्रेजी में नो बताई गई है या हिन्दी में ६ बताये गये हैं ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—सब का जवाब हिन्दी में है, इसलिये हिन्दी में ६ हैं ।

**श्री जवानसिंह**—बाकी के लिये कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—यथासंभव...

**श्री जवानसिंह**—साल भर के बाद या जब बच्चों की परीक्षा समाप्त हो जावेगी उसके बाद ।

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—अभी तो नहीं अगले साल तक अवश्य हो जावेगी ।

**श्री जवानसिंह**—जब ६ मशीनों की आवश्यकता थी और ४ मशीनें ही थीं तो क्या सरकार के ध्यान में यह नहीं आया कि इससे बच्चों को नुकसान होगा, सरकार इस बात की ओर ध्यान दे कि कम से कम उनके पास एक-एक मशीन हो ।

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—कोशिश की गई ।

**श्री जवानसिंह**—सरकार के ध्यान में यह बात कब से आई ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—सरकार के ध्यान में यह बात आपके प्रश्न आने से पहले से ही थी ।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—अब तक विद्यार्थियों की पढ़ाई में नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—नुकसान तो नहीं हुआ ।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—अगर राजस्थान का शिक्षा-विभाग इस तरह से व्यवस्था करेगा तो राजस्थान के विद्यार्थियों की किस तरह से प्रगति हो सकती है ?

**श्री अध्यक्ष**-नेक्स्ट ।

# Page No.10



## प्रश्न संख्या २३६

### चक्र ५८ एफ० तहसील करनपुर जिला गंगानगर में सरकारी भूमि

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) चक ५८ एफ० तहसील करनपुर, जिला गंगानगर में कितनी सरकारी भूमि है ?

(ख) वह भूमि सन् १९५४-५५ में किन लोगों को काश्त पर दी हुई है ?

(ग) क्या सरकार भूमि लेने वालों की दर्ख्वास्तें और उस पर वितरण कमेटी की रिपोर्ट तथा भूमि लेने वालों की योग्यताएं बतलायेगी और यह भी बतलायेगी कि उन लोगों को किस आधार पर भूमि दी गई है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**--(क) चक ५८ एफ० तहसील करनपुर, जिला गंगानगर में सरकारी जमीन १३४ बीघा १५ बिस्वा है।

(ख) यह भूमि निम्नलिखित व्यक्तियों को दी गई :—

| | |
|---|---|
| बावरी | ६ |
| मंभूहब्री | २ |
| चमार | १ |
| मेहरा | १ |
| अरोरा | १ |
| जाट | १ |
| राजपूत | १ |
| सुनार | १ |
| विसनोई | २ |

(ग) चार प्रार्थियों के अतिरिक्त सब पुराने अलॉटीज़ को ही भूमि दी गई। चार नये प्रार्थना-पत्र आये जिनके विषय में भूमि वितरण कमेटी और भूमि वितरण अधिकारी की एक राय थी। इन प्रार्थियों को भूमिहीन किसान होने के नाते भूमि दी गई।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार भूमि वितरण कमेटी की रिपोर्ट को हाउस के सामने रखेगी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—मैं कह चुका हूं कि भूमि वितरण कमेटी और भूमि वितरण अधिकारी की एक ही रिपोर्ट है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार इसकी जांच कराएगी कि जिनको जमीन मिलनी चाहिये थी नहीं मिली है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—इस प्रकार के जो केसेज़ थे वे कमेटी के सामने रख दिये गये।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या यह सही है कि जिनको मिलनी चाहिये थी उनको नहीं मिली ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—हमारे नोटिस में ऐसी बात नहीं है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या जो लोग हकदार नहीं थे और जिनके कब्जे में जमीन थी, उनको जमीनें दी गईं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—अगर कोई इन्स्टेन्स आप ध्यान में लावेंगे तो उस पर गौर किया जावेगा।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—एडवाइज़री कमेटी की कोई रिपोर्ट ही नहीं है क्या इसकी जांच करावेंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—हां।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या मेरे इस चैलेंज को मानने के लिये तैयार हैं कि रिपोर्ट नहीं है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—इसकी जांच करा लेंगे। अगर......

**श्री जवानसिंह**—(अश्रव्य)

**श्री कंवरलाल जेलिया**—क्या सरकार जातीयता की भावना को प्रोत्साहन देना चाहती है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**—नहीं। प्रश्न ऐसा था, इसलिये उसका जवाब दिया गया।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या २४०**

**फोर्मर राजस्थान के जागीरदारों से काटी गई परसेन्टेज की रकम को लौटाना**

**श्री जगतसिंह झाला**—क्या मुख्य-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

# Page No.12



[ श्री जगतसिंह झाला ]

(अ) क्या सरकार फोर्मर राजस्थान के जागीरदारों से काटी गई परसेन्टेज की रकम लौटाने को तैयार है ?

(आ) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

(इ) यह रकम कुल कितनी है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मन्त्री )—(अ) भूतपूर्व राजस्थान के जागीरदारों व सरकार में समझौते के अनुसार प्रशासनिक व्यय के लिए काटी गई परसेन्टेज की रकम का ५० प्रतिशत जागीरदारों को लौटा दिया जावेगा।

(आ) परसेन्टेज की इस रकम को लौटाने के आदेश निम्न प्रकार से हैं :—

(१) २०० रु० प्रतिवर्ष से २,००० रु० वार्षिक तक की आय वाली जागीरों से वसूल की हुई रकम......दो वर्ष में।

(२) २,००० रु० से २०,००० रु० वार्षिक तक की आय वाली जागीरों से वसूल की हुई रकम......तीन वर्ष में।

(३) २०,००० रु० से ऊपर वार्षिक आय वाली जागीरों से वसूल की हुई रकम...... पांच वर्ष में।

(इ) यह अनुमान किया गया है कि ऐसी रकम ३०,६३,००० रु० है।

**श्री जगतसिंह**—लौटाई जाने वाली रकम होगी वह कुल ३० लाख रुपया ही होगी।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं समझता हूं कि यह लौटाई जाने वाली रकम है।

**श्री जवानसिंह**—क्या यह रकम पूरी तरह चुकाई न जायगी, तब तक ब्याज दिया जायगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—ब्याज देने का अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह लौटाई जा रही है आपसी बातचीत के आधार पर।

**श्री अवनिकुमार मुकर्जी**—यह रकम एक मुश्त में दी जायगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—इस प्रश्न के 'आ' के उत्तर में मैंने जो जवाब दिया उसको यदि आपने सुनने का कष्ट किया होता तो स्पष्टीकरण हो जाता।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४१

## तहसील शेरगढ़ में बन्दोबस्त कार्य की समाप्ति

**श्री खेतसिंह**—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:-

(क) तहसील शेरगढ़ में सेटलमेन्ट का कार्य कब तक खत्म हो जायगा ?

(ख) क्या तहसील शेरगढ़ को सोइल क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग-अलग सर्किल्स में विभाजित कर दिया है ? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन से सर्किल बनाये गये हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( श्री राजस्व मन्त्री )—(क) तहसील शेरगढ़ में बन्दोबस्त का कार्य मार्च सन् १९५६ तक समाप्त होने की आशा है।

(ख) यथावत् सेटलमेन्ट कमिश्नर इस इलाके का अवश्य दौरा करेंगे।

( विराम )

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगतसिंह झाला !

प्रश्न संख्या २४२

## कपासन से चित्तौड़ व बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी की सड़क पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करना

**श्री जगतसिंह झाला**—क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या कपासन से चित्तौड़ व बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी को मिलाने वाली सड़कों को प्रथम पंचवर्षीय योजना में रक्खा गया है ?

(आ) इन सड़कों का कार्य कितने माइल, कहां से कहां तक हो चुका है ?

(इ) क्या बकाया कार्य मौजूदा कार्य की रफ्तार को देखते हुए दो वर्ष में सम्पूर्ण हो जावेगा ?

(ई) यदि नहीं, तो इसे सम्पूर्ण करने में क्या सरकार विशेष प्रयत्न करेगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( श्री योजना मन्त्री )—इस प्रश्न का उत्तर निर्माण मन्त्री अपनी टर्न पर देंगे।

**श्री अध्यक्ष**—श्री हरिकृष्ण व्यास !

प्रश्न संख्या २४३

**अलवर दरबार के २ पोलो-ग्राउन्ड्स राजस्थान सरकार को**

( श्री हरिकृष्ण व्यास की अनुपस्थिति में श्री वेदपाल त्यागी द्वारा प्रश्न पूछा गया )

Will the Chief Minister be pleased to State:—

(a) Whether two polo-grounds of His Highness the Maharaja of Alwar were handed over to the Gevernment of Rajasthan ?

(b) If so, what was the purpose for which these were handed over ?

(c) Were they transferred from the Agriculture Department to the Revenue Department ? If so, on what date was such an order passed ?

(d) Has this land been leased out to Shri Shobha Ram, M. P. ? If so, please state the date of the order.

(e) Has His Highness, Alwar, protested against this lease and alleged that this is in violation of the private property settlement ?

(f) Is the Government aware that on the day this land was leased the Government had the applications of seven kisans of Alwar for allotment of and in lieu of the land from whom they were ejected for construction of the Water Works ?

(g) Will the Government state the reasons why Shri Sobha Ram was given preference over the persons who were already in cultivation and who were rendered landless because the Government had acquired their land ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( श्री मुख्य मन्त्री )—(अ) ये दोनों पोलो-ग्राउन्ड्स राजस्थान सरकार के अधीन थे ।

(ब) यह जमीन कृषि-कार्य के लिए दी गई ।

(स) जी हां । दिनांक ११ मई, सन् १९५४ ।

(ड) जी हां । दिनांक २४-३-५४ ।

(इ) जी हां ।

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

(ए) जी नहीं। श्री शोभारामजी को २४-३-५४ को उक्त भूमि लीज़ दी गई और किसानों ने १४-६-५४ को इस भूमि की प्राप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र दिये।

(ज) यह प्रश्न नहीं उठता।

( विराम )

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्रीदास गोयल।

**प्रश्न संख्या २४४**

**अध्यापकों के बालकों से शिक्षा-शुल्क**

**श्री श्रीदास गोयल**—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या अध्यापकों के बालकों से भी शिक्षा-शुल्क लिया जाता है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का आदेश देगी?

**श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल** ( उपशिक्षा मन्त्रिणी ) —(क) जी हां।

(ख) अभी ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**श्री श्रीदास गोयल**—क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई ध्यान दिया है?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—अभी कोई विचार नहीं किया है।

**श्री श्रीदास गोयल**—क्या सरकार ने यह अनुभव करते हुए कि प्राइमरी स्कूलों के और दीगर स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाहें करीब करीब चपरासियों जैसी हैं और इस कारण अगर उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती है तो वे ठीक तरह से घर का काम चला नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में सरकार ने उनके लिए कोई व्यवस्था करने की बात सोची है?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—अगर स्कूलों के अध्यापकों के लिए यह किया जाता है तो यह एक आम प्रश्न बन जाता है। इसलिये इस पर अभी विचार नहीं किया गया है।

**श्री वरलाल जेलिया**—क्या शिक्षा-शुल्क सारे राजस्थान में लिया जाता है?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—जी हां।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री श्रीदास गोयल।

प्रश्न संख्या २४५

## सवाई माधोपुर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के बैठने के लिए उचित प्रबन्ध

**श्री श्रीदास गोयल**—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सवाई माधोपुर हाई स्कूल में विद्यार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं हैं।

(ख) क्या स्कूल में एक क्लास से दूसरे क्लास में पढ़ाने की आवाज आती रहती है जिससे पढ़ने में बड़ा विघ्न पड़ता है ?

(ग) क्या सरकार इस दुर्व्यवस्था को दूर करेगी ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल** ( उपमंत्रिणी, शिक्षा विभाग )—

(क) बैठने के लिए स्थान पर्याप्त है।

(ख) स्कूल में एक क्लास से दूसरे क्लास में विद्यार्थियों के पढ़ने से आवाज को रोकने के लिए कमरों के बीच में दीवार लगा कर प्रयत्न किया गया है।

(ग) उपरोक्त प्रश्नोत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता, फिर भी कोई आवश्यकता हुई तो उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जायगा।

**श्री श्रीदास गोयल**—क्या यह जो इन्फोर्मेशन यहां दी जा रही है वह यदि आद्योपान्त गलत हो तो सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तैयार है जिन्होंने इस तरह की इत्तला देने का साहस किया है ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—इसके बारे में, यानि बैठने का जो स्थान है वह पर्याप्त बताया गया है। स्कूल के अन्य कार्य के लिए स्थान चाहिए और उनकी कमी हो सकती है।

**श्री श्रीदास गोयल**—क्या यह सही है कि पुराना जैन मंदिर है और इसमें बहुत कम स्थान है। हाई स्कूल में ४००–५०० विद्यार्थी हैं और वे वहां बैठते हैं। बड़ा शोर मचता है, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते। समय समय पर ऐसी शिकायतें भी आई है।

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**— ऐसी बात नहीं है। अगर सूचना आयगी तो जरूर जानकारी की जायगी और उचित कार्यवाही की जायगी।

**श्री श्रीदास गोयल**— मेरा यह निवेदन है कि जो सूचना यहां दी गई है वह गलत हो तो उस परिस्थिति में क्या इस प्रकार की गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

Page No.17



**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**— बैठने के लिए स्थान पर्याप्त बताया है और यदि उसमें गलती है तो सरकार जरूर सोचेगी।

**श्री श्रीदास गोयल**— तो क्या सरकार मेरी उपस्थिति में जांच कराने के लिए तैयार है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्य मन्त्री )—मैं आपसे अर्ज करूं कि आपकी उपस्थिति में भी जांच करवाई जा सकती है और अभी आपने बात कही उसकी भी दुबारा जांच करवाई जा सकती है। वहां से जवाब आया था कि प्राइमरी स्कूल था, उसकी मरम्मत करके उसको हाई स्कूल बनाया। इस साल ११ हजार रुपये साइंस की ट्रेनिंग के लिए स्कूल को दिये हैं। आप जैसी स्थिति बता रहे हैं उस पर दुबारा विचार किया जायगा।

**श्री अध्यक्ष**— नेक्स्ट क्वश्चन, श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

## प्रश्न संख्या २४६

## गंगानगर जिले में भूमिहीन किसानों को किश्त में दी गई भूमि का मालिकाना निश्चित करना

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**— क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में भूमिहीन किसानों की जो भूमि किश्तों पर अलॉट हुई थी उसमें मालिकाने की क्या तजवीज की गई थी और आयन्दा २२ जनवरी, सन् १९५५ के नियमानुसार जो अब जमीन दी जावेगी उस पर मालिकाने की दर क्या होगी ?

(ख) पहले से ज्यादा मालिकाना बढ़ाने का क्या कारण है ?

(ग) क्या सरकार पैदावार के रेट्स गिर जाने के बाद अब और मालिकाना वसूल करना चाहती है ?

(घ) क्या सरकार इस बढ़े हुए मालिकाने रेट पर दुबारा गौर करने के लिए तैयार है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री)—(क) गंगानगर जिले में जो भूमि किश्तों पर अलाट हुई है उसमें १ रु० ८ आना फी बीघा मालिकाना वसूल किया जा रहा है। नये नियमों के अनुसार भी मालिकाना इसी दर पर लिया जायगा।

(ख) मालिकाने की दर बढ़ाई नहीं गई है।

(ग) जी हां।

(घ) क्योंकि मालिकाने की दर नहीं बढ़ाई गई है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

# Page No.18



**श्री गुरुदयालसिंह संधु**--क्या यह मालिकाने की दर वही है जो पहले ली जाती थी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**-- जी हां ।

**श्री गुरुदयालसिंह संधु**--वह रेट क्या है ?

**श्री दामोदर लाल व्यास**-- १ रु० ८ आना फी बीघा ।

**श्री गुरुदयालसिंह संधु**-- बीघा किसको कहेंगे; सोल्ड एरिया, इरिगेटेड एरिया या मेच्योर्ड एरिया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**-- मैं समझा नहीं ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**-- किस रकबे पर लागू है, जो रकबा फरोख्त करेंगे, ये जो इरिगेटेड हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**-- जो एरिया अलॉट किया जायगा उस पर ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**-- क्या यह ध्यान में है कि पहले डेढ़ रुपया नहीं लिया जाता था ?

**श्री दामोदर लाल व्यास**-- लिया जाता था ।

**श्री गुरुदयालसिंह संधु**-- क्या जांच कराने के लिए तैयार हैं कि ऐसी रकम नहीं लगती थी, मेच्योर्ड एरिया पर लगाई जाती थी ।

**श्री दामोदरलाल व्यास**-- जांच करा लेंगे ।

**श्री गुरुदयालसिंह संधु**-- पहले नहीं लिया जाता हो तो क्या अब बराबर करने के लिये तैयार हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**-- उस पर विचार करेंगे ।

**श्री गुरुदयालसिंह संधु**-- क्या पहले रेट्स लिये जाते थे उनको बराबर करने के लिए तैयार है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**-- मैंने कहा कि पहले भी और अब भी यही लिया जाता है, नहीं लिया जाता है तो जांच करवा ली जायगी ।

**श्री गुरुदयालसिंह संधु**-- पहले वाली रेट सरकार करने के लिये तैयार है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास**-- जांच करके वैसा किया जा सकता है । लेकिन ज्यादा रद्दोबदल करने की आवश्यकता हुई तो उस पर विचार किया जायगा ।

**श्री गुरुदयालसिंह संधु**— जवाब यह दिया जा रहा है कि पहले वाली ही रेट्स हैं, तो फिर सरकार ऐसा विश्वास क्यों दिला रही है ?

**श्री अध्यक्ष**— नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जयसिंह राणावत ।

**प्रश्न संख्या २४७**

**प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति**

**श्री जयसिंह राणावत**—क्या मुख्यमंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

( क ) क्या आसीन्द जिला भीलवाड़ा की प्राथमिक पाठशालाओं में सरकार ने अब तक ऐसे अध्यापकों को तैनात कर रखा है जो पूर्ण शिक्षित नहीं हैं ?

( ख ) क्या सरकार अयोग्य शिक्षकों की भर्ती के हेतु तत्काल रोक लगाने की व्यवस्था कर रही है ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—(उप मंत्रिणी)

( क ) एक अध्यापक के बारे में एक शिकायत आई है । ऐसे अध्यापकों को आयन्दा के लिये हिदायत कर दी गई है । परिवर्तन करना जरूरी नहीं समझा गया ।

( ख ) वर्तमान में जो अनक्वॉलिफाइड अध्यापक हैं वे पुराने नौकर हैं । गत पांच वर्षों से मिडिल पास ही भर्ती किये गये हैं ।

गत दो वर्षों में योग्य अध्यापक इन्टव्यू द्वारा ही लिये गये हैं ।

**श्री जयसिंह राणावत**—माननीय मंत्राणी जी साहिबा यह बताने की कृपा करेंगी कि ऐसे अध्यापक जो 'अभाव' को 'प्रभाव' कहते हैं उनके लिये केवल हिदायत से क्या मतलब निकल सकता है ?

**श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल**—ऐसे अध्यापक जो काफी अर्से से कार्य कर रहे हैं उनको हिदायतें दी जाती हैं । समय समय उनकी इन्स्पेक्टर जांच करेगा, इसके अलावा उनको हटाने का प्रश्न नहीं है ।

**श्री जयसिंह राणावत**—ऐसे अयोग्य अध्यापकों को यदि हटाया नहीं जाता है तो इनको प्राथमिक पाठशालाओं से हटाकर माध्यमिक पाठशालाओं में जहां चार-पांच अध्यापक रहते हैं वहां भेज दिया जाय, तो प्राथमिक पाठशालाओं में जहां एक ही अध्यापक कार्य करता है वहां योग्य आदमी रखा जा सके ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—इस पर विचार किया जा सकता है ।

Page No.20



प्रश्न संख्या २४८

**श्री अध्यक्ष**—रावराजा श्री सरदारसिंह।

( प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

प्रश्न संख्या २४९

**श्री दामोदरलाल व्यास**—माननीय अध्यक्ष, मैं इस प्रश्न का उत्तर आगे आनेवाली टर्न पर दूंगा, क्योंकि इसमें जो फिगर्स मांगे गये हैं वे हमारी कोशिशों के बावजूद भी इकट्ठे नहीं हो पाये हैं।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट टर्न कब आयगी अब ?

**श्री व्यास**—जब भी आयगी तब।

प्रश्न संख्या २५०

**राजस्थान सरकार की सेवा में द्वितीय युद्ध में कार्य करने वाले डॉक्टर**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या मुख्यमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

( १ ) राजस्थान सरकार की सर्विस में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में सेवायें की थीं ?

( २ ) उक्त डाक्टरों ने कितने कितने समय के लिये द्वितीय विश्वयुद्ध में सेवायें की थीं ?

( ३ ) क्या उनके उपरोक्त सेवाकाल को राजस्थान की सेवा में जोड़ दिया गया है ?

( ४ ) यदि हां, तो कब ?

( ५ ) यदि नहीं, तो क्यों ?

( ६ ) भारत सरकार द्वारा इस संबन्ध में कब-कब क्या-क्या आज्ञायें राजस्थान सरकार को मिली हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** (मुख्यमंत्री)—

( १ ) २८।

( २ ) बीकानेर, टोंक, भरतपुर व नागोर से सूचना नहीं आई, बाकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

[ श्री मोहनलाल सुखाड़िया ]

( ३ ) ६ के जोड़ लिये गये, ६ ऐसे हैं जिनकी सेवायें नियमानुसार नहीं जोड़ी जा सकतीं, बाकी १६ के केस विचाराधीन हैं क्योंकि उनसे पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

( ४ ) चार की सर्विस डेपुटेशन पर दी गई थी, उनके आदेश की तिथि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। एक की १९४८ में बीकानेर सरकार ने जोड़ी थी। छठे की सर्विस फौज से स्थानान्तरित हुई ?

( ५ ) उत्तर नं० ३ में समावेश है।

( ६ ) प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट २ देखिये )

**श्री चान्दमल मेहता**--भारत सरकार के जिस सर्कुलर का इसमें हवाला है और जिसको सदन की मेज पर रखा गया है वह कौन से साल का है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—१-६-५० का।

**श्री चान्दमल मेहता**—१६ मामले जो सन् ५० से अब तक पेन्डिंग हैं उनके फैसले न होने के क्या कारण हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—इस में कइयों की सर्विस के बारे में और भी कई ऐसे प्रश्न उलझे हुए हैं जिनके कारण देरी हो गई। मैं समझता हूं कि अब जल्दी ही इनका फैसला हो जायगा।

**श्री चान्दमल मेहता**—क्या यह सही है कि पिछले सेशन के वक्त भी यह आश्वासन दिया गया था कि इस प्रश्न के जल्दी ही हल होने की आशा है और दो-तीन महीने में हल कर दिया जायगा ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मुझे पिछली वक्त क्या आश्वासन दिया गया था, इसके बारे में ठीक से याद नहीं है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि इस प्रश्न के जल्दी हल होने की आवश्यकता है और जल्दी हल कर दिया जाय।

**श्री चांदमल मेहता**--जो आश्वासन सरकार की ओर से दिये जाते हैं क्या उनका रेकॉर्ड सरकार रखती है क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—सरकार की ओर से भी रखा जायगा और असेम्बली हाउस में भी रखे जाने की व्यवस्था हो रही है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि जिन डॉक्टरों की बार सर्विस नहीं जोड़ने की वजह से उनका सिलेक्शन सी० ए० एस० वन में नहीं हो सका क्योंकि यदि उनकी सर्विस जोड़ दी जाती तो वे सी० ए० एस० वन में आ जाते, तो क्या इस बारे में सरकार विचार करेगी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—सी० ए० एस० वन के लिये केवल सर्विस ही आधार नहीं देखा गया। सर्विस और अनुभव दोनों को देख कर चुनाव किया गया।

**श्री चांदमल मेहता**—सर्विस और क्वालिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है, जो डॉक्टर वार सर्विस के थे वे भी क्वालिफाइड थे। अगर उनकी वार की सर्विस गिन ली जाती तो सर्विस के लिहाज से वे सी० ए० एस० वन में आ सकते थे, क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कोई केस बताकर रखा जाय तो समझ में आ सकता है।

**श्री कुम्भाराम आर्य**—पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सी० ए० एस० वन के लिये जो चुनाव किया गया, उसमें सर्विस को आधार बनाकर नहीं किया गया।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने योग्यता के साथ-साथ सर्विस का भी चुनाव में ख्याल रखा?

**श्री कुम्भाराम आर्य**— कोई नहीं।

### प्रश्न संख्या २३३

### सिरोही शहर की बालिकाओं के लिये माध्यमिक पाठशाला

**श्री जवानसिंह**—क्या शिक्षा-मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने सिरोही शहर में बालिकाओं के लिये मिडिल स्कूल खोलने की स्वीकृति दे दी है?

(ख) अगर नहीं, तो इस ओर अब तक क्या कदम लिये जा चुके हैं?

(ग) अगर हां, तो स्कूल अभी तक क्यों नहीं खोला गया है?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) भवन की सुविधा प्राप्त न होने के कारण। यह सुविधा मिलते ही स्कूल खोल दिया जायगा।

**श्री जवानसिंह**—भवन क्या सरकार बनाना नहीं चाहती?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—सरकार जनता के सहयोग से चाहती है।

**श्री जवानसिंह**—यह मामला कब तक उलझन में पड़ा रहेगा?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—आप जितना जल्दी सहयोग के लिये तैयार होंगे उतना ही जल्दी यह कार्य हो जायगा।

Page No.23



**श्री जवानसिंह**—सिरोही की जनता एक मकान इस मिडिल स्कूल के चलाने के लिये किराये पर देने के लिये तैयार है ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—इसकी कोई जानकारी नहीं।

**श्री जवानसिंह**—सरकार ने क्या कदम लिया भवन निर्माण के लिये या जहां स्कूल चल रहा है उसको किराये पर लेने के लिये ?

**श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल**—स्वीकृति दे दी है।

**श्री जवानसिंह**—क्या अब सरकार संस्था का ख्याल करके भविष्य में जल्दी से जल्दी भवन निर्माण कराने या किराये पर मकान लेने के लिये तैयार है ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—विचार किया जायगा।

**श्री जवानसिंह**—क्या सरकार इस पर निश्चयपूर्वक नहीं कह सकती, केवल विचार ही कर रही है ?

**श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल**—विचार करके कोई कार्य किया जाय तो अच्छा रहता है।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—सिरोही के लिये ही विशेष ध्यान दिया जायगा क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—आपके यहां के लिये भी सोचा जायगा।

## सन् ५४-५५ में अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये गजटेड अधिकारी

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न पहले का रह गया था उसका उत्तर मैं दे देता हूं।

[ प्रश्न इस प्रकार है :—

**प्रश्न संख्या ७ सी० एम०**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् ५५-५५ के वर्ष में कितने नये व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर गजटेड ऑफिसर्स नियुक्त किया गया ?

(ख) उक्त व्यक्तियों के नाम और उनकी योग्यतायें क्या हैं और उनकी नियुक्तियां कब कब की गई ?

(ग) उक्त व्यक्तियों की नियुक्तियां किस आधार पर की गई और कितने समय के लिए की गई ?

# Page No.24



[ श्री चांदमल मेहता ]

(घ) उक्त व्यक्तियों में किस किस को पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कनफर्म किया जा चुका है ? ]

**श्रीमोहनलाल सुखाड़िया** ( मुख्यमंत्री )—(क) ८५।

(ख) (ग) व (घ) उपरोक्त ऑफिसरों के नाम, योग्यता आदि की सूचना नक्शे के स्तम्भ २, ३, ४ और ६ में दी हुई है।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि जो सूची सदन की मेज़ पर रखी गई है वह सूची अपूर्ण है, उसमें कुछ नाम छोड़ दिये गये हैं ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—अपूर्ण कुछ हद तक हो सकती है। सूचनायें प्राप्त नहीं हो पाई हैं। लेकिन जो सूचानायें दी गई हैं वे पूर्ण हैं। बाकी की सूचनाएं ज्योंही प्राप्त होती जायंगी, आपको भेज दी जायंगी।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या इस नक्शे में आप सेक्रेटेरिएट में जिनकी अस्थायी नियुक्तियां हुई हैं, उनका भी समावेश नहीं कर सके हैं क्या ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—ऐसा नहीं हो सकता। कृपया नाम बताइये।

**श्री चांदमल मेहता**—जिन व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति की गई है, उनकी पुनर्नियुक्ति के पीछे क्या कारण है ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—मैंने निवेदन किया कि अगर पुनर्नियुक्ति की गई है तो आवश्यकता को देखते हुए की गई है।

**श्री चान्दमल मेहता**—क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति की गई उनकी जितनी योग्यता वाले राजस्थान में बहुत से व्यक्ति हैं, फिर उन्हीं की पुनर्नियुक्ति क्यों की गई ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—योग्यता और अनुभवः इन दोनों बातों को देखकर; जैसा कि मैंने अर्ज किया, आवश्यकता का अनुभव करके ही रखा गया है।

**श्री चान्दमल मेहता**—माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन यह है कि मैंने अपने प्रश्न फरवरी के महीने में ही भेज दिये थे, जिसको करीब डेढ़ महीना होने आया, लेकिन सरकार की ओर से अधूरा जवाब दिया जाता है; उसमें कई प्रश्नों के बारे में कह दिया जाता है कि पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये वे कितने समय की

Page No.25



[ श्री चांदमल मेहता ]

आवश्यकता समझते हैं। जितने महीनों की आवश्यकता समझते हों, उतने महीने पहले ही सवालात भेज दिये जायं ताकि सवालों के जवाब पूरी तौर से मिल सकें।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—आप सेक्रेटेरिएट के नाम बताइये जो इस लिस्ट में नहीं आये, मैं आपको उत्तर दूंगा।

श्री **चान्दमल मेहता**—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी इसी प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा यह कहा गया था कि यह लिस्ट पूर्ण नहीं है। सेक्रेटेरिएट के नाम तो मैं बताऊंगा ही और इसी ढंग से बताऊंगा। प्रश्नों क जो उत्तर दिये जाते हैं या तो उसके लिये कह दिया जाय कि हम जवाब देने में असमर्थ हैं, नहीं तो पूरे जवाब दिये जायं ताकि पूरी जानकारी हासिल हो सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरी जानकारी के लिये आपको कितने दिन की आवश्यकता रहती है? जैसा कि प्रश्न देने का समय १५ दिन का है, अगर इस निर्धारित समय में उत्तर नहीं प्राप्त होते हैं तो महीने या दो महीने की अवधि दी जाय ताकि हम महीने दो-महीने पहले ही प्रश्न भेज सकें।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—मैंने अर्ज किया था कि सम्भव है कहीं की जानकारी नहीं आई हो। तो आप बतावें कौन-सी चीज ऐसी है जिसके बारे में आप कह सकते हों कि जिसकी जानकारी इसमें नहीं है। जो लिस्ट दी गई है उसमें तो यह नहीं कहा गया है कि इसमें यह नहीं है।

## मांग संख्या ३२—विविध

श्री **अध्यक्ष** ( श्री स्वायत्त शासन-मन्त्री से )—मेजर हैड ५७ पर जवाब दीजियेगा आप।

Nine members have spoken besides those who moved cut-motions.

श्री **कुम्भाराम आर्य** ( चिकित्सा एवं स्वायत्त शासन-मन्त्री )—अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर सदस्यों ने जो पंचायतों के चुनावों को लेकर कुछ शंकाएं उपस्थित की हैं उनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात तो यह कही गई है कि पंचायतों के जो चुनाव हैं वे गुप्त होने चाहिये, बैलट से होने चाहिये और हाथ उठाकर होने की परम्परा जो है वह नहीं होनी चाहिये। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अभी तक इस परम्परा को इस तरीके से पसन्द किया गया है। पिछली बार स्वायत्त शासन-मन्त्रियों का एक सम्मेलन भी इस विषय में हुआ। उस सम्मेलन में इस विषय से दिलचस्पी रखने वाले अन्य महानुभाव भी सम्मिलित हुए थे। इस विषय पर चर्चा हुई थी और उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसकी संख्या १३ है और उस प्रस्ताव में यह व्यक्त किया गया कि चुनाव जो हों, वे हाथ उठाकर के ही होने चाहिये और यही तरीका अच्छा भी रहेगा। इसके साथ एक बात एक माननीय सदस्य ने यह कही कि जो चुनाव हुए हैं बिना लिस्ट के ही,

[ श्री कुम्भाराम आर्य ]

बिना सूचः के ही हुए हैं और यह बात आगे के लिए नहीं रहनी चाहिये। इसके लिए हम विचार कर रहे हैं कि आगे के जो चुनाव कराये जावें वे वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हों और पंचायतों के निर्माण होने के पश्चात् पंचायतें इस कार्य को आसानी से कर सकेंगी और यह कठिनाई उनके सामने आगे नहीं आ सकेगी।

एक सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि पंचायतों के बारे में जो शिकायतें की गई हैं वे सब, अब चुनाव अधिकारी जो चुनाव के बारे में निर्णय देगा उससे सम्बन्ध रखती हैं और वही जो निर्णय करेगा, वह अन्तिम कहलावेगा। इसलिये कलेक्टर को एक आदेश दे देवें कि जितनी भी इलेक्शन पिटीशनें उनके पास पहुँचें उनका निर्णय लेने में वे अधिक टाइम नहीं लगावें और जल्दी से जल्दी इस कार्य को समाप्त कर दें। इस विषय पर मेरा निवेदन है कि अधिकारियों को जल्दी कार्य करने के लिए पहले से ही आगाह किया हुआ है और अधिक जल्दी करने के लिए इस सम्बन्ध में उनको और आगाह कर दिया जावेगा।

कुछ सदस्यों ने वार्डों के सम्बन्ध में और कुछ सदस्यों ने गांवों के सम्बन्ध में यह कहा कि कि कुछ गांव रह गये और कुछ वार्ड ठीक से नहीं बन पाये। गांव रह गये इस विषय पर बोलने वाले सदस्य महोदय ने, एक अलंकार कहिये या व्यंग्य कहिये यह भी कहा कि मिनिस्टर महोदय ने इस बात को इस तरह से टाल दिया कि जनरल इलेक्शन में भी कुछ गांव रह गये थे, इसलिये पंचायतों के चुनावों में रह गये तो क्या। मैंने ऐसा हाउस के सामने नहीं कहा है। यह अवश्य कहा था कि अपवाद जो हैं वे सब जगह चलते हैं और अपवाद का निर्मूल इस तरह होता है कि जब भी वह चीज सामने आवे, गलती मालूम हो उसका सुधार कर दिया जावे और कोई जरिया इसके लिए नहीं। जनरल इलेक्शन में भी अपवाद रह गये थे—कुछ गांव ऐसे रह गये थे जो वोटर लिस्ट में नहीं आये थे। अब भी मैं यह निवेदन करूंगा कि अपवाद को मिटाने के लिए एक ही मार्ग है कि जब चीज सामने आवे तो उसका सुधार कर दिया जावे। जो कोई पंचायत में वोट देने से रह गये हैं उन गावों को जिस किसी पंचायत से उनका सम्बन्ध आसानी से जोड़ सकेंगे, जहां के लिए उचित बैठेगा उनको उन पंचायतों के साथ लगा दिया जावेगा और उनके वार्ड बनवाकर चुनाव करा दिये जावेंगे और उनका प्रतिनिधित्व पीछे नहीं रह सकेगा और जो वार्ड बनाने की बात है उसके बारे में हमको यह समझ कर चलना चाहिये कि करीब तीन हजार के आस-पास हमारी पंचायतें थीं और उन पंचायतों को हमने १५ तक बांटा है। एक पंचायत में १५ तक मेम्बर हो सकते हैं तो इन ३ पंचायतों का १५ से गुना करते हैं तो १५×३=४५ बढ़ जाते हैं और यह इतना बड़ा काम हो जाता है कि जिसको हम सब लोग मिलकर करें और पूरी मशीनरी लगावें तो भी अपवाद रहता। वह अपवाद इन वार्डों में अब भी कहीं रहा है तो पंचायतों का निर्माण हो चुका है और पंचायतें जैसा चाहेंगी आगे के लिए अपने वार्डों की सीमाएं निर्धारित करेंगी और ऐसी सीमाएं जब निर्धारित हो जावेंगी तो यह शिकायत आगे के लिए नहीं रहेगी।

कुछ सदस्यों का यह भी कहना हुआ कि कुछ पंचायतों के केन्द्र बदल दिये गये। इस सम्बन्ध में भी यह समझ कर चलना है कि जान-बूझ कर किसी पंचायत का क्षेत्र बदला हो, ऐसी बात नहीं है।

[ श्री कुम्भाराम आर्य ]

इसमें कई गांव बीच में नहीं पड़ते थे और उसे केन्द्र बनाने के लिये छांट लिया गया या कोई गांव किनारे पड़ता था या इलाके के लोगों ने अपनी सहूलियत समझकर खास तौर से मांग की उनकी मांग पर कहीं कहीं स्थान बदल गया है तो उसे यही समझना चाहिये कि पंचायत की बात को माना गया है न कि उनके खिलाफ कोई बात हुई है। फिर भी आयन्दा के लिये यह होगा कि जहां जहां पंचायतें हो रही हैं, कोई जगह ऐसी रहेगी नहीं कि वहां पंचायत न हो। पंच लोग जिस जगह को पसन्द करेंगे, वहीं बैठकर उनको फैसले करने की छूट है। फिर पंचायतों के स्थान की बात इतनी आपत्ति की बात नहीं है। इसके बाद भी पंचायतदार को इस बात का हक है कि वे अपनी पंचायत को और दूसरी जगह बदलवाने के लिये सरकार से छूट ले ले और इस प्रकार की बात अगर सरकार के सामने आवेगी तो हम उस पर जल्दी ही निर्णय कर देंगे। अब यह पंचायत का घर बदल गया है तो वापिस वहां नहीं आवेगा, ऐसी बात भी नहीं है।

एक सदस्य जो जैसलमेर से आये, उन्होंने यह कहा कि हमारे उधर पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर डिविजन के चुनाव पीछे हुए हैं। अब वहां का कार्य शुरू है और जैसलमेर भी चूंकि जोधपुर डिविजन का एक जिला है तो अब वहां के चुनाव भी जल्दी ही हो जावेंगे।

दो पंचायतों का खास तौर से जिक्र किया गया है। बूंदी की ओर से जो सदस्य महोदय आये हैं उन्होंने यह आपत्ति की है कि पंचायतों के चुनाव ठीक से नहीं हुए हैं और पंचायतों का चुनाव बीच में रुका हुआ है। मैं निवेदन करूं कि उन पंचायतों में, जिनका वे खास तौर से नाम ले रहे हैं चुनाव करवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन दलबन्दी के कारण जब जब चुनाव रखा गया वहां गड़बड़ हुई है और उस गड़बड़ की वजह से वहां चुनाव पोस्टपोन होते रहे हैं। अब उसके चुनाव के लिए, व्यवस्था के साथ जल्दी कराने के लिए आदेश दे दिये गये हैं और चुनाव जो हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगे।

एक सदस्य महोदय ने दलगत नीति अख्त्यार करने की भी शंका उपस्थित की है। मैं आपसे निवेदन करूं कि ऐसी बात रही नहीं है। पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, वे दलगत नीति के बाहर हो रहे हैं। कहीं भी इस आधार पर चुनाव नहीं लड़े गये हैं। इस बात का नारा नहीं लगाया है कि यह किस पार्टी विशेष की तरफ से चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी...

**श्री वेदपाल त्यागी**—क्या माननीय मंत्री महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने जो वक्त दिया था उसकी ओर ध्यान देंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और कॉम्युनिस्ट पार्टी दोनों लड़ रही हैं पंचायतों के चुनाव।

**श्री कुम्भाराम आर्य**—कहां पर ?

**श्री अध्यक्ष**—कन्टालिया में।

**श्री कुम्भाराम आर्य**—जोधपुर के अन्दर कांग्रेस ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

Page No.28



**श्री वेदपाल त्यागी**—जोधपुर में ही है वह इलाका।

**श्री कुम्भाराम आर्य**—वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वह कांग्रेस का है और उससे आप उसको दलगत ही समझते हैं तो यह थोड़ा समझने का फर्क है। ऐसी तो कोई पाबन्दी है नहीं कि कांग्रेस का कोई आदमी पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन ऐसा कहीं पंचायतों के लिये कांग्रेस की ओर से कोई आदेश नहीं है कि फलां जगह का चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। दलगत मामले उठाने की वजह से इस तरह की बातें उठाई जाती हैं और इस बात को पैदा करके चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की जाती है।

मैं यही एक निवेदन करना चाहता था कि मूल बात जो इस प्रकार की आई थी वह एक वोटर लिस्ट की आई थी। एक आई थी पंचायतों के चुनाव क्षेत्र के अन्दर उनके कार्यालय स्थापित होने की, दूसरी उनके केन्द्र बनाने की, तीसरी वार्ड की और चौथी थी कि वोट हाथ उठाकर दिये जायं या गुप्त दिये जायं। तो जहां तक वोट देने का सवाल है वह मैंने स्पष्ट कह दिया है। जहां केन्द्र बदलने की बात है वह पंचायतदारों पर बहुत अधिक निर्भर करेगा। जिस तरह की सहूलियत होगी, सरकार उनकी सहूलियत का ध्यान रखेगी। जहां तक वार्डों का संबन्ध है उसका और सूची का काम पंचायतों पर खुद पर होगा और यह शिकायत यदि आयन्दा होगी तो पंचायतदारों की तरफ से होगी, अधिकारियों की तरफ से नहीं।

एक सदस्य महोदय ने पंचायत के अधिकारियों का नाम लेकर यह कहा कि पंचायत के अधिकारियों ने अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए; यहां तक कहा गया है कि उनकी तनख्वाह बन्द कर देनी चाहिए। मैं निवेदन करूं कि इतना बड़ा काम अकेले पंचायत के अधिकारियों ने नहीं किया। इसके अन्दर रेवेन्यु विभाग ने भी काम किया है, शिक्षा विभाग ने भी काम किया है, दूसरे महकमों के लोगों ने भी, जो मिल सकते थे चुनाव के अन्दर, उन सब ने योग दिया है। उनके साथ पंचायत विभाग के लोग थे चुनाव के अन्दर, उन सब ने योग दिया है। उनके साथ पंचायत विभाग के लोग थे, उनसे भी योग लिया गया है। इसलिए अकेले पंचायत के अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट करना और कहना कि उनकी वजह से ही सारा काम इस तरह का हुआ, ऐसा नहीं समझना चाहिए। पंचायत विभाग के अधिकारी जिलों में बहुत थोड़े हैं। एक-एक पंचायत अफसर के पास १, २ असिस्टेन्ट रहते हैं। ३,४ आदमियों ने पूरे जिले में जिसमें ५,७, १० और १५ तहसीलें हैं उन सबका चुनाव कराये हों, ऐसी बात नहीं है। चुनावों का सुपर्विज़न जिले के कलेक्टर करते रहे हैं। कलेक्टर के सुपर्विजन के अन्दर दूसरे लोग जिनकी कि नियुक्तियां की गई हैं रिटर्निंग अफसर के नाम से, उन लोगों ने चुनाव कराये हैं। इसलिए अकेले पंचायत के अधिकारियों का नाम लेकर कहना कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, उचित नहीं है।

थोड़े से शब्दों में मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों के बारे में तीन शिकायतें थीं। एक तो वोटर लिस्ट की, एक वोट की और एक केन्द्र की। ये तीनों चीजें मैं समझता हूं कि आगे इस तरह से नहीं रहेंगी और पंचायतों के हाथ में सीधी आ जायेंगी। तो यह शिकायत आयन्दा के लिये नहीं आयेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा उन सदस्य महोदयों से, जिन्होंने कि कट-मोशन पेश किये हैं कि वे उनको वापिस लेने की कृपा करें।

**श्री श्रीदास गोयल**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अर्ज करना है कि जो ग्रान्ट इन एड डेढ़ लाख की रखी गई है जब कि रिवाइज़्ड बजट में अगले साल १,६२,००० रु० थी तो इस साल तो और ज्यादा होनी चाहिए थी। क्या यह रुपया इतने बड़े क्षेत्र को देखते हुए पर्याप्त है?

**श्री कुम्भाराम आर्य**—वित्त मंत्री महोदय इसीलिए बैठे हैं।

**श्री श्रीदास गोयल**—लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय ने इस संबंध में कितनी राशि चाही थी, उसको स्पष्ट कर दें।

**श्री कुम्भाराम आर्य**—आपकी तबियत के लिए कह देता हूं।

पंचायतों को भूमि के अधिकार सारे के सारे दे दिये गये हैं। गांवों में जो पड़त जमीन है वह सब पंचायतों के हाथ में रहेगी। इस बात को ध्यान में रखकर यह एड रखी गई है। पहले यह अधिकार पंचायतों के हाथ में नहीं थे इसलिए ज्यादा पैसा रखा था।

**श्री श्रीदास गोयल**— क्या उन्हें आबादी की जमीन को डिस्पोज़ ऑफ करने का अधिकार होगा?

**श्री कुम्भाराम आर्य**—जी हां।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—माननीय अध्यक्ष, इस विविध की मांग में पंचायतों के बारे में ही कट-मोशन आये हैं और उनका जवाब हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय ने दिया है और जो इसके बारे में कि पंचायतों में ग्रान्ट इन एड के बारे में जो प्रश्न मेरे माननीय मित्र ने उठाया, उसका जवाब मिल चुका है।

वैसे पंचायतों को बनाना है हमें बिल्कुल एक अच्छी संस्था के रूप में, जिससे कि वे अपना खर्चा खुद चला सकें। उनको भूमि सम्बन्धी अधिकार तो दिये जा चुके हैं, लेकिन इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि और क्या क्या आमदनी के जरिये उनके सुपुर्द किये जायं जिससे कि पंचायतें अपना स्वायत्त शासन संस्था की तरह से खुद फन्ड बना सकें और उसका काम कर सकें।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या वे सरकारी भूमि को बेच सकते हैं?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—मैंने निवेदन किया कि आबादी की जमीन जितनी गांव में है वे बेच सकेंगे। अभी तक उन्हें किराये पर ही देने का हक था। अब बेचने का अधिकार दे दिया गया है। आबादी की जितनी जमीन आबादी के लिए जहां घोषित कर दी गई है उसको बेचने का अधिकार है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—दूसरी सरकारी जमीन, रकबा, जो काबिल-काश्त है उसको भी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—काबिल काश्त के लिए नहीं, आबादी के बारे में मैं कह रहा हूं। इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं रहता है जिसका जवाब देने की जरूरत हो। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र से अर्ज करूंगा कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्री छीतरलाल—मैं वापिस लेना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—जवाब देना चाहते हैं क्या या जवाब भी नहीं देना चाहते हैं ?

श्री छीतरलाल—मेरी शिकायतों का कोई जवाब ही नहीं दिया गया है, तो क्या जवाब दूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री केसरीसिंह।

महाराज श्री केसरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी दो बातों का आश्वासन दिया है, उससे मुझे काफी संतोष हुआ है। एक तो पंचायतों के लिए निर्वाचन सूचियां तैयार की जायंगी और उनके जरिये चुनाव कराये जायेंगे और जो गलतफहमियां पैदा होती हैं, वे इसके कारण नहीं होंगी और दूसरे क्षेत्रों के लोग आ जाते हैं और बीच में गड़बड़ करते हैं, वे गडबड़ें अब नहीं होंगी।

दूसरी बात यह है कि वार्ड ठीक तरह से बना दिये जायेंगे। इस बात में काफी गड़बड़ हुआ करती थी वह भी अब नहीं होगी।

तीसरी बात माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाई है कि दलगत भावना से चुनाव करवाते हैं। इसके लिए मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि जिस पंचायत के लिए मैंने उनसे जिक्र किया था उसके अन्दर डी. सी. सी. के तीन व्यक्तियों की एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी को यह पॉवर दी गई कि सरपंच और पंचों के चुनाव के लिये उन्हीं व्यक्तियों को खड़ा किया जाय। इसका मैं जरा स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यदि ऐसा किया गया था तो क्यों और आयन्दा के लिए क्या उनकी ऐसी ही नीति रहेगी ! इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री केसरीसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री केसरीसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है...

श्री मुक्तिलाल मोदी—छीतरलालजी का जवाब नहीं आया।

**श्री अध्यक्ष**—जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुन लिया इसके बाद जवाब नहीं आया है तो नहीं आया।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ३२ पर श्री छीतरलाल शर्मा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

अपना पक्ष जीता प्रस्ताव गिर गया।

**श्री अध्यक्ष**-प्रश्न यह है, "कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३२ मेजर हैड ४०-विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को ७०,५४,००० की राशि प्रदान की जाय।"

( स्वीकृत )

मांग स्वीकृत हुई।

**मांग संख्या १६—कृषि**

**श्री अध्यक्ष**—मांग संख्या १६, श्री रामनिवास मिर्धा।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुदान के लिये मांग संख्या १६, मेजर हैड ४०-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३८,३६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

**श्री अध्यक्ष**—मांग प्रस्तुत की गई।

( श्री खेतसिंह और श्री हरिकृष्ण व्यास की अनुपस्थिति में उनके कटौती प्रस्ताव नहीं लिये गये। )

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—मैं इस पर बोल सकता हूं क्या ?

**श्री अध्यक्ष**—बोलिये जरूर, मगर अपनी सीट पर से बोलिये। संयुक्त दल में शामिल हो गये हैं क्या आप ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—नहीं साहब, वहां तो मैं पूछने के लिये गया था।

अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में जो मांग माननीय मन्त्री जी ने रखी है ... वेटरनरी......

**श्री चान्दमल मेहता**—इसकी अलग मांग है।

श्री अध्यक्ष—आपस में बातें मत करिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, जो मांग एग्रीकल्चर के लिये रखी गई है उसके अन्दर ऐसा सुना गया है कि जिन-जिन मदों में जो रुपये खर्च होते हैं, वे पूरी तरह से नहीं खर्च हो पाते हैं और खेतों के लिए जो खाद काश्तकारों को दिया जाता है वह खाद सरकार सिन्दरी से मंगाकर काश्तकारों को देती है। उन बेचारे काश्तकारों को सीमेन्ट लेते समय जबर्दस्ती खाद लेनी पड़ती है और इस खाद में कितना नुकसान सरकार को पहले साल में पड़ा था और शायद इस साल भी इस खाद में काफी नुकसान उठाना पड़े। जो एग्रीकल्चरल फॉर्म्स सरकार ने बनाये हैं, उन फॉर्मों के जरिये इतना नुकसान सरकार को होता है कि जिसकी हद नहीं है और उनकी वजह से सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को काफी नुकसान हमेशा रहता है। इसके बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि जिन लड़कों को एग्रीकल्चर का काम सिखाकर तैयार किया जाता है उनको तैयार करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में छोटे-छोटे कस्बों में भेजकर वहां के काश्तकारों को एग्रीकल्चर का कुछ काम सिखाया जायगा तो ज्यादा अच्छा है, बनिस्पत इन फार्मों के।

एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जो सामान खरीदा जाता है उसके टेन्डर मांगे जाते हैं और उनके द्वारा सामान खरीदा जाता है। पहले भी मैंने कुछ दिन पहले मन्त्री जी से निवेदन किया था कि टेन्डर न मंगाकर इस समान को गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के द्वारा खरीदा जाय; जिस एग्रीकल्चर के सामान में लाखों रुपयों का खर्चा रहता है, लाखों रुपये सरकार के बरबाद होते हैं और उनका कोई हिसाब नहीं रहता है, उनसे बचत हो सके। यदि इस सामान को इन्डियन स्टोर से खरीदा जायगा, तो सरकार को काफी लाभ होगा और सामान भी अच्छा मिलेगा।

पिछले साल सरकार को १० लाख रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से मिले थे। वे किस कारण से, मैं समझ नहीं पाया; लेप्स हो गये। सेक्रेटरी की लापरवाही के कारण या मन्त्रीजी कारण ये १० लाख रुपये लेप्स हो गये और राजस्थान की जनता के लिये उनसे जो मशीनरी आने वाली थी वह नहीं आ सकी। इसी तरह से भारत सरकार से जितने रुपये आने चाहिये वे यों ही लेप्स होते हैं, इसलिये मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर के जितने रुपये भारत सरकार से मिले उनके बजट पास होते ही इन रुपयों को जल्दी से जल्दी काम में लाना चाहिये और एग्रीकल्चर की शिक्षा के लिये जिन लड़कों को भेजा जाता है उनको छोटे-छोटे गांवों में भेज कर काश्तकारों को नयी-नयी बातें बतानी चाहिये जिससे कि एग्रीकल्चर की उन्नति हो सके, नहीं तो खाली फॉर्म बनाने से एग्रीकल्चर की उन्नति नहीं हो सकेगी।

श्री चान्दमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मैंने एक कटौती प्रस्ताव भेजा था, वह शायद रिजेक्ट हो गया है। क्या मैं इस पर बोल सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—जरूर। पर पुलिस की मांग पर १५ कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से किसानों को अच्छा बीज देने की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अन्तर्गत जिस शर्त पर सारे किसानों को बीज दिया जाता है वह शर्त ऐसी है कि जिससे किसानों को पूरा फायदा नहीं हो पाता है। किसानों को बीज वापिस लौटाते समय प्रति मन पर ऽ५ अनाज बाढ़ी के रूप में भी देना आवश्यक होता है जो एक प्रकार से

[ श्री चांदमल मेहता ]

उधार दिये गये बीज का ब्याज है । साथ ही यह आवश्यक होता है कि किसान अनाज को साफ करके मय बाडी के अनाज पहुँचावे उन स्थानों पर जहां कि कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट का सेन्टर होता है । एक तरफ बाड़ी का अनाज और दूसरी ओर सारा खर्चा, इसका हिसाब लगावें तो इसका ब्याज पड़ेगा करीब ३०-३५ रुपया सैकडा प्रति माह । सरकार की ओर से तकावी दी जाने वाली रकम पर जो ब्याज चार्ज किया जाता है वह आठ आना सैकड़ा चार्ज किया जाता है, लेकिन यह अनाज का हिसाब ३०-३५ रुपये सैकडा पड़ता है । इससे किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता । राजस्थान बनने से पहले जो रियासतें थीं उनमें भी बीज दिये जाते थे । जयपुर स्टेट में ढाई सेर प्रतिमन के हिसाब से बाड़ी ली जाती थी । राजस्थान के निर्माण के बाद काश्तकार उम्मीद करते थे कि इस रेट में कमी होगी लेकिन कमी करने के बजाय सरकार द्वारा बाड़ी की रेट बढ़ाई गई है । मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप दो बातों की ओर ध्यान दीजिये । एक तो यह है कि जो किसान केश से बीज खरीदना चाहें उनको केश से बीज दे दिया जाय और जो केश से नहीं खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए बाड़ी की रेट में पर्याप्त मात्रा में कमी की जाय । मैं आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे ।

**श्री श्रीदास गोयल**—मैं एक मिनिट बोलना चाहूंगा ।

एग्रीकल्चर के सिलसिले में अभी दो मित्रों ने अपने विचार प्रकट किये । पी० ए० सी० की रिपोर्ट कल ही सदन में पेश हुई है जो बहुत साफ है । पिछले साल से इस साल एग्रीकल्चर के सिल-सिले में कुछ प्रगति हुई है । उस प्रगति का स्वागत करते हुए हमें आशा करनी चाहिए कि भविष्य में यह डिपार्टमेंट, जो मित्र शिकायत करते हैं, उस ओर से उनको संतुष्ट करने की कृपा करेगा । एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कम्प्रेशर्स के सिलसिले में । किसान अपनी खेती को ठीक करने के लिए कम्प्रेशर्स का इस्तेमाल करता है । उनकी संख्या को देखते हुए कम्प्रेसर्स हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उस पर लोगों को खर्च भी अधिक करना पड़ता है । लोगों को राहत पहुँचाने के ख्याल से सरकार इस खर्चे को इस तरह अनुपात में लायेगी कि प्राइवेट कम्प्रेशर्स के मुकाबले में वह खर्चा बढ़कर नहीं हो ।

एग्रीकल्चर स्कूलों और कॉलेजेज़ के सम्बन्ध में निवेदन है कि जो जमीन जरखेज है, राजस्थान में अच्छी और बढ़िया है, वहां कॉलेज या स्कूल्स खोलने में सरकार प्रयत्नशील रहेगी तो ज्यादा अच्छा होगा, जैसे कि मैं कोटा या सवाई माधोपुर का नाम पेश कर सकता हूं ।

मेलों में प्रगति की गई है और मैं देखता हूं कि मेलों में पशुओं के और दूसरे डिमॉन्स्ट्रेशन्स वगैरह करके गांवों के लोगों को प्रोत्साहित किया गया है । ये लोगों को प्रोत्साहन देने के तरीके हैं । मैं देखता हूं कि यह तो प्रगतिकर है और प्रशंसा का सूचक है ।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—माननीय अध्यक्ष, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे माननीय मित्रों ने कृषि-विभाग द्वारा किये जाने वाले कामों से काफी सन्तोष प्रकट किया है और साथ ही सुझाव भी दिये हैं । वे बड़े अच्छे सुझाव हैं और उनका बराबर पालन करने का प्रयत्न किया जायगा । जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया कि सीमेंट के बदले किसानों को खाद लेना पड़ता है, पर ऐसी बात नहीं है । सरकार के

[ श्री भोगीलाल पंड्या ]

पास बहुत सीमेंट है, सीमेंट की कमी नहीं है। सरकार के पास इतनी सीमेंट है कि हर एक किसान को सीमेंट मिल सकती है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—वह सप्लाई से ऐसी दी जाती है।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—सप्लाई से भी खूब दी जाती है।

दूसरी बात कही कि टेन्डर नहीं मांगे जाने चाहिये, भारत सरकार की मार्फत माल खरीदना चाहिये। ठीक है यदि सरकार को इसमें फायदा दीखेगा तो भारत सरकार की मार्फत खरीदेगी, वर्ना टेन्डर के जरिये खरीदना ठीक रहेगा; बिना टेन्डर के खरीदना बड़ा चर्चा का विषय बन जायगा।

इसके साथ ही यह कहा गया कि कृषि-विभाग का रुपया लेप्स हो जाता है। सरकार हमेशा इस बात का प्रयत्न करती है कि रुपया लेप्स न हो। किन्हीं विशेष कारणों से अगर लेप्स हुआ है तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायगा कि रुपया लेप्स न हो।

यह भी कहा गया कि अच्छा बीज देने की सरकार को कोशिश करनी चाहिये। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा किया है और लोगों ने इसमें बड़ा भारी सहयोग दिया है और आज अच्छा बीज लेने की गति तीव्र रूप से बढ़ रही है। बाढ़ा के लिये जाने के सम्बन्ध में कहा गया। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि इसमें सरकार कोई फायदा या लाभ की दृष्टि से काम नहीं करती। बाढ़ा, जो खर्चा आता है उसी लिहाज से लिया जाता है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या एक मन के पीछे ५ सेर खर्चा आ जाता है?

**श्री भोगीलाल पण्ड्या**—वही लेते हैं जो आता है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—हम बनिये लोग भी एक के पीछे ५ सेर का बाढ़ा लेते हैं तो फिर सरकार में और हममें क्या फर्क रहा?

**श्री भोगीलाल पण्ड्या**—सरकार तो देखकर अच्छे से अच्छा बीज लाती है और उस पर जो खर्चा आता है उसी हिसाब से लेती है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—५ सेर बाढ़ा भी तो उसी बीज का लेते हैं जो उस बीज से पैदा होता है।

**श्री भोगीलाल पण्ड्या**—उसी से लेते हैं। यह भी कहा गया कि जो ऐसा बीज नकद रुपया देकर लेना चाहे उसको देना चाहिये। तो इसमें तो कोई एतराज नहीं होता कि कोई नकद रुपया देकर बीज मोल ले, उसको दिया जाय। पर किसान तकावी चाहते हैं, वे नकद रुपया नहीं देते। किसानों के पास उस समय नकद रुपया नहीं होता है। इस पर भी सरकार विचार करेगी।

यह भी कहा गया कि कम्प्रेशर कुओं पर काम में लाये जाते हैं, उनमें खर्चा ज्यादा आता है। ऐसी बात नहीं है। इसमें हिसाब लगाया जाता है। एक फुट पर कितना खर्चा हुआ इस हिसाब से

[ श्री भोगीलाल पंड्या ]

खर्चा जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत रूप से किसी ने लिया हो और ज्यादा खर्चा आया हो यह बात दूसरी है, वर्ना सरकार तो इसी हिसाब से लेती है।

जो अच्छे अच्छे सुझाव आये हैं वे बड़े अच्छे हैं और सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। इस पर किसी माननीय सदस्य के कटौती के प्रस्ताव हों तो वे वापिस लेंगे।

**श्री अध्यक्ष**—कोई कटौती प्रस्ताव नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या १६, मेजर हैड ४०-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को ३८,३६,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

( स्वीकृत )

डिमान्ड स्वीकार की गई।

## मांग संख्या १४—पुलिस

**श्री रामकिशोर व्यास**—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिये मांग संख्या १४, मेजर हैड २९-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित श्रीमन् राजप्रमुख को २,८५,२०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

**श्री अध्यक्ष**—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल !

**श्री श्रीदास गोयल**—श्री विश्वम्भर नाथ जोशी आ गये हैं, श्रीगणेश वे ही कर दें।

( श्री जोशी द्वारा श्री गोयल के साथ परामर्श करने पर )

**श्री अध्यक्ष**—There is no pressure on the Hon'ble Member to move the cut-motion. We can take it as not moved.

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी**—I have not got a copy of it, Sir, I just wanted to ascertain...

श्री अध्यक्ष—There is no pressure...

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी—I wanted to speak. I just wanted to...

(विराम)

श्री अध्यक्ष—So I take that Mr. Srhidas Goel also does not want to speak.

श्री श्रीदास गोयल—No, sir, I want to speak.

[ निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया, "To discuss Corruption prevalent in the Department]

माननीय अध्यक्ष, महकमा पुलिस वह महकमा है जिसके द्वारा राजस्थान सरकार की हिफाजत किये जाने का बीड़ा उठाया जाता है और साथ ही जनता का भी ( हिफाजत करने का ) । इस महकमे की बड़ी भारी जिम्मेदारी है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण महकमा है । इस पर खर्च होने वाली रकम को देखें तो यह बड़ा महत्वपूर्ण महकमा माना जाता है और खासकर ऐसी हालत में जब कि चोर, डाकू, लॉ ब्रेकर्स और गड़बड़ी करने वाले, जोकि समाज में फोड़े के रूप में हर जगह विद्यमान हैं, का प्रश्न सामने है। इस महकमे में भ्रष्टाचाचार हैं, यही कारण है कि सरकार ने एन्टी करप्शन ब्रांच इसको रोकने के लिये जिम्मेदार करार दिया है और हमारे माननीय सम्बन्धित मंत्री उसके चेयरमेन हैं । मैं एक-एक मद पर अर्ज करू कि जहां तक इस महकमे का डाकुओं से भिड़न्त लेने का प्रश्न है, वह तो प्रशंसनीय है । अभी कल एक थानेदार चन्द आदमियों को लेकर डाकुओं का पीछा करने को निकले और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए स्वर्ग का रास्ता लिया । मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार उनके परिवार वालों के लिये पूरी राहत पहुंचाने का प्रयत्न करे । मेरे सामने इस प्रकार की कई मिसालें है और हम देखते हैं कि इलेक्शन के समय राजस्थान में जितनी गड़बड़ी थी उसको रोकने के लिये सरकार ने काफी प्रगति की और अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो उनको देखने के बाद हमें यह मानना पड़ेगा कि इस विषय में सरकार ने काफी सफलता प्राप्त की है और काफी डाकुओं को लिक्वीडेट किया है और वे सरेन्डर भी कराये हैं। अगर एक व्यक्ति बहुत बड़ा जुर्म करके आपके पास आता है और वह अपने आपको समर्पित कर देता है तो उसके सुधार के लिये कोई न कोई उपाय अवश्य होना चाहिये । समाज ने उसे अच्छा माना हैं । हो या नहीं, हमारी सरकार ने उसे अच्छा माना है। समाज अच्छा माने या न माने, लेकिन यह कहना पड़ेगा कि उनके साथ न्याय करना चाहिये । इसके अलावा मुझे यह कहना पड़ेगा कि जो पैसा खर्च होता है उसका पूरा न्याय होता हैं या नहीं , यह भी देखना है। अभी एक धौलपुर का उदाहरण था कि वहां की बस्ती से एक व्यक्ति को डाकू उड़ा कर ले गये । इसके अलावा और भी कई लोगों को डाकू उड़ा कर ले गये । उन लोगों को एक्सप्लोइट किया जाता है । अगर पुलिस को हमने सूचना दी और उसने उसका कड़ाई से कदम उठा कर मुकाबला किया तो उस आदमी को ज्यादा खतरा जिन्दगी का है । इसलिये वे लोग पुलिस को सूचना देने में डरते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह उनकी भूल और बुजदिली है । इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि पुलिस जिस तरह डाकुओं का पीछा करती है उसी तरह से एब्डक्टेड पर्सन्स के केसेज में अड़ोस-पड़ोस से सूचना

[ श्री श्रीदास गोयल ]

मिल जाने पर उनका पीछा करे। इसके अलावा अड़ोस-पड़ोस में पुलिस के थाने हैं, वहां वाले भी उसको रोकने के लिये प्रयत्न करें। अभी-अभी पीपलदे की मिसाल हमारे सामने आई। यह सवाई माधोपुर का एक गांव है। यहां बदकिस्मती से २,४,५ आदमी ऐसे रहते हैं जो धनाढ्य हैं। वहां एक-एक डकैत ऊंटों पर बैठकर जा रहे थे जिनकी पोशाकों और दूसरे हाव-भावों से यह साफ प्रकट होता था कि ये सिवाय हत्यारों और डकैतों के और कोई दूसरे नहीं हो सकते। सड़क पर से गुजरे, गांव में से गुजरे; यहां तक कि म्युनिसिपेलिटी गंगापुर के जो चेयरमेन है उन्होंने उनको जाते हुए देखा, लेकिन हमें सोच और आश्चर्य होता है कि इस प्रकार काफी लम्बा रास्ता तय करने के बावजूद भी और कई थाने की चौकियां पड़ने पर भी और आस-पास में पुलिस चौकियां होते हुए भी बारां पुलिस थाने से ७-८ मील की दूरी पर डाका पड़ा। तिजोरियां तोड़ी गईं और लाखों का माल लूट कर डाकू ले गये, लेकिन अब तक उनका पता नहीं। माल बरामद नहीं हो पाया है। इसलिये मैं यह अर्ज करूं कि इस प्रकार की डकैतियों की सूचना मिलते ही पुलिस उनका पीछा करे। मैं आशा करता हूं कि सरकार अवश्य इस बात पर ध्यान देगी कि भविष्य में एब्डक्शन और डकैतियों के मामले नहीं हों, इसके लिये ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहेगी।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और खिरनी में मेरा देखा हुआ है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, डाकुओं को पकड़ा और माल बरामद किया और केस कोर्ट के सामने पेश किया गया। उसकी ट्रायल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई और वहां से अदालत ने उसको सेशन्स में कमिट कर दिया। सेशन्स में एक के सिवाय सब डिस्चार्ज हो गये। यह मैंने खुद ने देखा और यह अनुभव किया कि पुलिस विभाग की प्रोसिक्युशन ब्रान्च है वह काफी लंगड़ी है, सब-इन्सपेक्टर बिला अनुभव के होते हैं; उनके पास पूरे साधन नहीं होते। लेकिन डाकुओं के वकीलों के पास अच्छी लॉ की लाइब्रेरी होती है, वे १०-१५ साल के अनुभवी होते हैं, डाकुओं से अच्छा पैसा प्राप्त करके उनको बचाते हैं और ऐसा करके वे समाज के लिये जहर का काम कर रहे हैं। उनकी योग्यता के सामने मामूली सब-इन्सपेक्टर ठहर नहीं पाते और उसका नतीजा यह होता है कि डाकू लोग बरी हो जाते हैं और समाज को इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। डाकू लोग एक लाख रुपये का डाका डालने के बाद अगर कुछ रुपया देकर कानून खरीद सकते हैं तो उनकी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जो सब-इन्सपेक्टर अनट्रेन्ड हैं उनको इस प्रकार जिम्मेदारी के मामलों में प्रोसिक्युशन की तरफ से तमाम कार्यवाही सौंप देना, यह नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो एक हाथ से सरकार डाकुओं को पकड़ती है, सम्भालती है और दूसरे हाथ से उनको छोड़ देती है। यह गलत बात है। कई जगह प्रोसिक्युटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, एडवोकेट जनरल भी हैं। कई लोग प्रोसिक्युशन में लॉ ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन उनको शिकायत करने का मौका मिला है कि एस० पी० के दफ्तर में पूरी लाइब्रेरी नहीं है। कई लोग वकीलों से दोस्ती करके उनके यहां की लाइब्रेरी से लॉ देख कर आते हैं लेकिन वकीलों के पास अप-टु-डेट लॉ रिपोर्ट और जरनल होते हैं जो डाकुओं को कानूनी मदद देती है।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि जब एन्टी-करप्शन विभाग पुलिस के पास है और जब ऐसी हालत है तो सरकार को सोचना चाहिये। मैं उन मजिस्ट्रेट का नाम नहीं लूंगा; किसी केस

[श्री श्रीदास गोयल]

को यदि पुलिस पेश करती है, जिसको पुलिस के अधिकारी मानते हैं, सब-इन्सपेक्टर मानते हैं और जब वे मजिस्ट्रेट की अदालत में उस मामले को पेश करते हैं तो कई मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो डाकुओं से रिश्वत लेने में नहीं घबराते हैं। ऐसे भी कई मजिस्ट्रेट हैं जिन पर हमको फख्र है कि वे बड़े ईमानदार हैं, यह एक बहुत बड़ा कन्सीडरेशन है।

श्री जवानसिंह—आप एक एग्जाम्पल देकर बतावें।

श्री श्रीदास गोयल—मैं उनके नाम कब लूं, अभी लूं या बाद में लूं, यह मेरे डिस्क्रिएशन पर छोड़ देना चाहिये।

अगर पुलिस का प्रोसिक्युशन डिपार्टमेन्ट इस मामले में ज्यादा सतर्क रहेगा और योग्य व्यक्तियों को रखेगा तो बहुत असर पड़ेगा और मैं यह मानता हूं कि अगर प्रोसिक्युशन को सुधारने का प्रयत्न किया गया और कदम उठाया गया तो प्राइमाफेसी केस बन कर आगे केसेज़ चलेंगे और आगे के लिये जो डर दिखाया जावेगा वह खत्म हो जावेगा और डाकुओं को सजा मिलेगी।

मैं आज यहां पर बहुत स्पष्ट शब्दों में यह निवेदन करूं कि मेरा यह जिम्मा है और खास कर ऐसी हालत में, जब मैं यह महसूस करूं कि सच्चाई के साथ हमें किसी बात को रिप्रेज़ेन्ट करना हैं। इस सम्बन्ध में मैंने सम्बन्धित मन्त्री महोदय से भी कुछ निवेदन किया था। कभी-कभी मेरी सब-इन्सपेक्टर पुलिस से बात होती है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा, यह तो बताओ कि तुम रुपया लेते हो, यह सुनते हैं क्या यह सच है या गलत? उसने कहा कि यह सही बात है। हम लेते तो हैं। मैंने कहा क्यों लेते हो? तब उसने कहा कि यह आप अफसरान बालादस्त से दरियाफ्त करें; उसने कहा कि रिश्वत का पैसा एड़ी से चोटी तक के पास पहुँचता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत सम्भव है सेक्रेट्रीज़ इसमें शामिल नहीं हों। उसका कहना है कि अगर रिश्वत न लें तो आगे कैसे दे सकते हैं? अगर हमको अपनी तरक्की व अपने बाल-बच्चों का ख्याल रखना है तो आगे इसका रास्ता किया जावे। उन्होंने मुझसे यह कहा कि हम भी यहीं पैदा हुए हैं, खान-पान भी हमारा वही है, हम भी स्वतन्त्र भारतवासी बनेंगे, हमारे दिल में जजबात है, हम भी यह समझते हैं कि हम भी पब्लिक के दुःख-दर्द में हाथ बटावेंगे; तो वह हमको आर्थिक सङ्कट में नहीं रहने देंगे और मेरा भी ऐसा मानना है कि किसी एक व्यक्ति के दस हजार की चोरी हो गई। किसी सब-इन्सपेक्टर ने उसको बरामद कर दिया कि चलो, उसके लिए उसको बतौर कुछ इनाम मिलेगा। राजस्थान की जनता में और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट में भी उनकी तारीफ होगी और उनको भी इसके लिए फख्र होगा कि ईमानदारी से काम किया है, कर्तव्यपरायण है लेकिन परिस्थिति उलटी नज़र आती है। एक सब-इन्सपेक्टर जयपुर से आते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जयपुर इसलिए छोड़ देना पड़ा कि उनको कुछ खर्च करना पड़ता था, कुछ टैक्स थे, दस्तूर थे और चूंकि वे उसको पूरा नहीं कर सकते थे इसलिए उन्होंने माफी चाही कि उन्हें बाहर भेज दिया जाय। तो मैं निवेदन करूं कि हमारे माननीय मन्त्रीजी और सेक्रेटेरिएट के अधिकारी और अन्य सम्बन्धित अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे और इसलिए विशेष ध्यान देंगे कि आज डेमोक्रेसी के वक्त में भी अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी बातें होती हैं तो उसका जनता पर काफी बुरा असर पड़ता है और इसको अवश्य ही हटाना चाहिए और जनता में एक

# Page No.39



[ श्री श्रीदास गोयल ]

प्रकार का विश्वास पैदा करना चाहिये उस अविश्वास के स्थान पर, जो कि इस विभाग के प्रति जनता में फैला हुआ है। यह अविश्वास इसलिए मिटना चाहिए कि मसलन् 'बाड़ ही खेत को खाने लगे' तो उसकी कौन सम्हाल करेगा, कौन रखवाली करेगा और कौन फसल को काटने की आशा रखेगा? इसलिए मैं माननीय सम्बन्धित मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा और यह भी आशा करूंगा कि इस विषय में केवल औपचारिक तरीके का उत्तर न देकर और उसी से संतोष न करके कोई न कोई कड़ा कदम उठायें ताकि उनका नाम भी तवारीख में आवे और लोग यह याद करें कि फलां समय में फलां मिनिस्टर थे जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, खत्म नहीं तो, कम से कम, कम करने में अमुक कदम उठाये। मैंने इस विषय में सब-इन्सपेक्टर्स से दरियाफ्त किया कि आखिर वे चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के अधिकारी और दीगर अधिकारी या माननीय मन्त्रीजी दौरे पर आये तो उन जिलों के सम्बन्धित सब-इन्सपेक्टर्स हैं उनके बीच में वे हों और उन्हें वे लोग विश्वास दिलावें कि सच्ची बातें कहने में उनका कोई बिगाड़ नहीं होगा। वे सच्ची घटनायें सुन लें और मैं आशा करता हूं कि यदि उन्होंने उन बातों को कार्यान्वित करने के लिए, शिकायतों को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाये तो भ्रष्टाचार अवश्य दूर हो जायगा। उनकी कुछ शिकायतें कचहरियों या अदालतों से नहीं हैं। मुकदमे अदालतों में ले जाते हैं। सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य-परायणता से काम करने पर भी वे मामले अदालतों में जाकर खत्म हो जाते हैं और उनके खत्म हो जाने के साथ-साथ हमारे खिलाफ दो-चार शब्द लिख दिये जाते हैं तो हमको पस्तहिम्मत हो जाना पड़ता है कि आखिर किसके लिए बेगार करें? उन लोगों को मालूम होता है कि आखिर क्या मुद्दा है, किस कारण से होते हैं? वे संतोष करें? कि इस कारण से होते हैं। लेकिन डिमोरेलाइज करने वाले कारण होते हैं। सरकार के लिए यह सोचने की बात है। सरकार ने एक अच्छा उसूल और प्रणाली यह बना ली है और केवल यह रखी है कि आर० पी० एस० और आई० पी० एस० में वे ही व्यक्ति आवें जिनकी लम्बी सर्विस है और जिनको येन-केन प्रकारेण तरीकों से भी लायें तो इस पुलिस डिपार्टमेंट में सुधार नहीं होने वाला है। लेकिन वे यह देखें कि जो सच्चरित्र है, ईमानदार हैं, कर्त्तव्यपरायण हैं, नेकनीयती से काम करते हैं, जिनका व्यक्तिगत सर्विस का रेकार्ड उनके पास रहता है, उनको तरक्की मिलती है या नहीं; नहीं मिलती है तो तरक्की दें। वे समय-समय पर उनके रेकार्ड को देखें। इस तरीके को काम में लाने से इस उदाहरण को देखकर अन्य विभाग के अधिकारी भी आगे बढ़ेंगे और जो सच्चरित्र हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यपरायण हैं, उनको तरक्की मिलेगी और जो गड़बड़ियां करने वाले हैं, रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं, जो चाहते हैं कि एक्स्प्लोइटेशन करके ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करना है; उनको नीचा गिराना चाहिए, चाहे वे आर० पी० एस० के केडर के हों, चाहे वे आई० पी० एस० के केडर के हों और इस तरह के उदाहरण आने से, एग्ज़ाम्पल्स होने से जो गड़बड़ी करने वाले हैं, रिश्वतखोर हैं वे उन रास्तों पर जाने से पस्तहिम्मत होंगे। मैं आपको निवेदन करूं कि पड़ौस में हमारे बूंदी स्टेट थी। वहां एक अंग्रेज आई० जी० पी० आये। पुलिस डिपार्टमेंट के जो पहले के कर्मचारी थे उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। उनके आने से वहां अच्छा प्रभाव पड़ा। इस विषय में साथियों से बात-चीत होती थी तो वे कहा करते थे कि इस व्यक्ति ने अच्छा रास्ता अख्तियार किया है।

तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में पुराने उदाहरण मिलते हैं तो उनको अंगीकार करना चाहिये और इस प्रकार का रास्ता अख्तियार करना चाहिये कि जिससे इस डिपार्टमेंट को सुधारने में

[ श्री श्रीदास गोयल ]

सफलता मिल सके। ये दो-चार शब्द कहकर इस डिमान्ड पर जो रकम मांगी गई है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि लोगों के जीवन को बचाने के लिए, मनुष्यों के प्राणों को बचाने के लिए और भी आवश्यकता हो तो और मंगा जाय, लेकिन इसके उपरान्त भी जो घटनायें चोरियों और डाकों की हो रही हैं, वे बड़ी शर्म की बातें है और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इस मार्ग में अधिक सतर्क रहेंगे और जगह जगह तूफानी दौरा करके सब-इन्स्पेक्टर्स के व्यक्तिगत रेकॉर्ड रख कर इस भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां जयपुर में बाजपेयीजी चीफ जस्टिस थे। उनको हरएक इन्स्पेक्टर, हरएक सरिश्तेदार का रेकार्ड मालूम था, हरएक के करेक्टर से परिचय था। मैं माननीय मन्त्रीजी से आशा करता हूं कि वे राजस्थान के कौने-कौने में घूमकर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करें, सब-इन्स्पेक्टर तक के करेक्टर की। नीचे तक के कर्मचारियों के लिए नहीं कहूंगा। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करें, जनता से सम्पर्क स्थापित करें। इन तमाम बातों पर विचार करते हुए इस डिपार्टमेन्ट की उन्नति करें, इसको सुधारें। मैं आशा करता हूं कि मनुष्य के लिए हरएक चीज़ सम्भव है। इसके लिए भी हल निकाला जा सकता है। यही फिर दुबारा निवेदन करते हुए मैं समाप्त करता हूं कि इस विभाग के सुधार के लिए कोई सख्त कदम उठाया जाय।

**श्री सभापति**—श्री धूलजी भाई।

**श्री धूलजी भाई**—[निम्न लिखित विषय पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया, "To discuss corruption prevalent in the Department"]

पुलिस विभाग के लिए कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि हमारे राजस्थान के अन्दर पुलिस हमारे राजस्थान की जनता की सेवा के लिए रखी जाती है। जहां तक मैं समझता हूं जो हमारी पुलिस है वह जनप्रिय होनी चाहिए, क्योंकि उसका विशेष सम्बन्ध जनता के साथ होता है और इसलिए हमारी पुलिस का चरित्र-बल बहुत ऊंचा होना चाहिए और उसमें नैतिकता होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि हमारे राजस्थान में पुलिस विभाग की ओर से कुछ तरक्कियां हुई हैं और हमारे पुलिस विभाग में बड़े-बड़े ओहदेदार कर्मचारियों ने बड़ा अच्छा काम करके बताया है, उसकी तारीफ करता हूं। लेकिन उसके साथ-साथ मैं अपने बांसवाड़ा जिले की कहानी सुनाऊंगा। इस प्रकार की घटनायें अन्य जगह नहीं हुई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार और अनैतिकता पुलिस विभाग के ऊंचे अधिकारियों द्वारा होगी तो वह राजस्थान के लिए शर्मनाक बात होगी।

इसलिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे बांसवाड़ा जिले में एक श्री सुन्दरलाल त्रिवेदी नाम के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस दो वर्ष से आये हुए थे। अब तो उनका तबादला हो चुका है। उन्होंने वहां इस पुलिस विभाग में इतना अनाचार और इतना भ्रष्टाचार फैलाया है कि उससे पुलिस तक तंग आ चुकी थी। वहां की जनता तो इससे बेहद परेशान हो चुकी थी। उनका दुश्चरित्र, उनका गन्दा व्यवहार इतना फैल चुका था कि पुलिस के अच्छे आदमी इस बात को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं थे। पुलिस कर्मचारियों ने उनके खिलाफ

[ श्री धूलजी भाई ]

एक पर्चा भी निकाल कर यहां भेजा, जिस समय उनको यहां किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में S.P. सम्मेलन में बुलाया गया था। उस समय वह पर्चा बांटा गया था। उससे मालूम होता है कि वहां के पुलिस के कर्मचारी भी उनसे कितने असन्तुष्ट थे और जनता भी कितनी असन्तुष्ट है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सर्कल थानेदार जो थे उन्होंने एक मर्डर का केस पकड़ा, जिसमें दो औरतों का मर्डर हुआ था। उसके अन्दर एक बड़े राजघराने का हाथ है। उनसे हजारों रुपया लेकर इस मुकद्दमे को दबाया गया और जिन आदमियों के नाम मुकद्दमा बनाकर अपने कागजों में बताया गया वह बेहूदा और झूठी कार्यवाही है। इस कार-गुजारी को वहां की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने तार दिये, मेमोरेन्डम दिये कि हमारी राजस्थान सरकार अपने विश्वास पात्र ,आदमी को भेजकर इन्क्वायरी कर रही है। इसके बाद ज्यों ही इस एस० पी० का तबादला दूसरी जगह हुआ इसके बाद वहां जो रहस्य छिपे हुए थे वे खुलने लगे। सही गवाह थे, उन्होंने बयान दिये और उस पर सही मुजरिम पकड़े गये। यहां तक मालूम हुआ कि उन एस०पी० ने इस मामले के अन्दर २५-३० हजार रुपया रिश्वत का लिया है और वहां से वे फोरिन में ट्रेनिंग पाने के लिये चले गये। इस प्रकार के दुराचरण का हमको तब पता चला जब कि उसके खिलाफ लोग बड़बड़ाये और उनकी इन्क्वायरी की गई। यह भी मालूम हुआ कि महिलाओं के साथ में भी बुरा व्यवहार किया था। उन लोगों ने धारा १६४ में बयान सुबूत किये। इस प्रकार के अत्याचार एक एस०पी० करे जो कि जिले का एक अध्यक्ष है तो इससे बढ़कर और क्या अत्याचार हो सकते हैं? ये जो मैंने बातें कहीं उन पर राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह इन्क्वायरी बिठावे और जांच कराये और ऐसे अधिकारियों को राज्य-सर्विस से विमुक्त किया जाय।

मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं; इसमें बड़े-बड़े रहस्य छिपे हुए हैं, कई मर्डर के केसेज़ भी हैं, चोर और डाकुओं के साथ मिलकर इसने काफी गोलमाल किया है। कई ऐसी चोरियां मिली हैं, जिसका माल मिला है, उस माल में भी उनका हिस्सा था। इस प्रकार के कई षड्यन्त्रों में उनका हाथ रहा। यह तीन-चार व्यक्तियों का एक समूह है जो मिला हुआ है। एक तो सर्कल इन्स्पेक्टर नूरहुसेन कुशलगढ़, थानेदार सुरेन्द्रसिंह बांसवाड़ा, एक नबीहुसेन, सिपाही; ये सब मिलकर इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। ये सब बातें जनता ने बताईं। ये सारी चीजें हमारे सामने आईं और सरकार इस मामले में ढीली चल रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वे एस०पी० साहब या दूसरे पुलिस वाले जो कहीं भी हों, उनको बुलाकर उन पर एक्शन ले और उनको दोषी पाने पर उनको सर्विस से अलग कर देना चाहिये। ये ऐसे व्यक्ति राजस्थान की सेवा के लिये बिल्कुल अयोग्य हैं। हमें चाहिये यह कि इस प्रकार पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनाचार जो चल रहा है उसको रोका जाय।

दूसरी बात यह है कि हमारे जिले में अधिकतर आदिवासी लोग हैं जो बिना पढ़े-लिखे हैं! इसलिये उन लोगों के ऊपर ऐसा आदमी भेजना चाहिये जो सच्चरित्र हो, अच्छा पढ़ा-लिखा हो। वहां के लोग अनपढ़ हैं, इसलिये उनको डरा-धमकाकर रिश्वत और भ्रष्टाचार करते रहते हैं। ऐसे आदमी को वहां भेजा जाना चाहिये जिसका नैतिक बल अच्छा हो, सच्चरित्र हो और कुछ शिक्षित भी हो। वहां के आदमियों के अनपढ़ होने की वजह से कोई भी पुलिस का कर्मचारी वहां की जनता के नाम झूठा मुकद्दमा बनवाकर, धमकी देकर रुपया ऐंठ लेते हैं। इसीलिये मुझे यह कटौती का प्रस्ताव लाने

[ श्री धूलजी भाई ]

की आवश्यकता अनुभव हुई है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सुन्दरलाल त्रिवेदी के खिलाफ इन्क्वायरी बिठाई जाय और हमें विश्वास दिलाया जाय कि ऐसे अधिकारी किसी भी राज-सेवा में न रखे जायेंगे और किसी भी जिले में नहीं भेजे जायेंगे। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाकर उनको राज्य-सेवा से विमुक्त किया जाय।

राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति ईमानदार होने चाहिये, जो जनता की सेवा के साथ अपना कर्तव्य-पालन करें। पुलिस विभाग में अगर इतना ऊंचा चरित्र-बल नहीं है तो हमारा जन-सेवा कार्य कठिन है। इसलिये पुलिस-अधिकारियों के चरित्र-बल को और शिक्षा और सेवा भावना को बढ़ायें तो नैतिक आचरण से पुलिस विभाग जनता का प्रेम पा सकता है। मेरा यह सरकार से निवेदन है कि इस ओर सरकार ध्यान रखेगी और जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों को उचित सजा देगी।

**श्री जवानसिंह**—[ निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने के लिये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"To discuss Corruption and in-efficiency among the Police Officers." ]

माननीय सभापति महोदय, मैंने पुलिस विभाग के लिये जो मांग की गई है उसमें खास तौर से करप्शन और इनएफिशियेन्सी है उस बारे में निवेदन करने के लिये कटौती का प्रस्ताव रखा है।

मैं शुरू से ही जिस नतीजे पर पहुँचा हूं उस चीज का ही पहले बयान कर दूँ, माननीय सभापति महोदय, ताकि समझने में आसानी रहेगी। वह यह है कि पुलिस का महकमा जो है वह करप्शन के मामले में चरम सीमा तक पहुँच चुका है। इसलिये यह पुलिस का महकमा न होकर इसका नाम करप्शन का महकमा रख दिया जाय तो बहुत वाजिब होगा, ताकि हर एक आदमी को समझने में बहुत आसानी रहेगी। जब करप्शन के महकमे का नाम लिया तो पुलिस का महकमा अपने-आप सामने आ जायगा। अब यह कहा जा सकता है कि इसको करप्शन का महकमा क्यों करार दिया जाय, यह नाम ही क्यों उपयुक्त माना जाय? यह इसलिये कि पुलिस-अधिकारी कोई भी काम तब तक नहीं करते जब तक कि उस काम के लिये कुछ पैसा न दिया जाय, चाहे वह काम करना उनकी जिम्मेदारी हो या कानूनी रूप से बाधित ही क्यों न हो। कोई जुर्म है तो उसकी आकर उनको इन्क्वायरी करनी चाहिये। लेकिन हम राजस्थान में हर जगह देखते हैं जैसा कि हर जगह से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे हैं; उनकी बातें यह साबित करती है कि कोई भी राजस्थान का कोना ऐसा नहीं बचा है जिसमें पुलिस का करप्शन किसी कद्र नहीं फैला हुआ हो। आज एक बात हम सदन के चारों कोनों से सुनते हैं कि करप्शन बुरी तरह फैला हुआ है। यह इस बात का सुबूत है कि पुलिस के आदमी तब तक कोई काम नहीं करते जब तक कि उनको रिश्वत के रूप में कुछ पैसा नहीं मिल जाता, चाहे कोई कम्पलेन्ट लिखाने के लिये जाता हो, चाहे एक्यूज्ड के तौर पर जाता हो। वह आदमी जिसके खिलाफ कोई जुर्म नहीं, उसके पास से भी पैसा लिया जाता है और

[ श्री जवानसिंह ]

पैसा लेकर उसे छोड़ा जाता है। इस तरह से न तो वे सुबूत ही पेश करते हैं और न कोई काम कागजों में आता है। इस प्रकार की तमाम कार्यवाहियां पुलिस करती आ रही है। अब प्रश्न हमारे सामने यह पैदा होता है कि क्या वजह है हमारे मन्त्री महोदय जागरूक नहीं है? अभी कुछ दिनों पहिले की बात है कि बीकानेर के इलाके में एक महाजन के बच्चे को उड़ा लिया गया और उनके रिश्तेदारों को काफी रकम देने के बाद सौंप दिया गया, लेकिन आज तक पुलिस विभाग पकड़ने वाले का पता लगाने में असफल रही है। इसी प्रकार एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि इतने आदमियों को डाकू द्वारा छुड़ाया गया, इतने आदमी उड़ा कर ले गये। क्या पुलिस विभाग इस बात का पता नहीं कर पाई? क्या वजह थी? किस प्रकार इन लोगों का उड़ाया गया और कितना रुपया दिया गया और कितने अर्से तक उनको कहां रखा गया? इन बातों का पता लगाने में पुलिस बिल्कुल असफल रही है। यह हम आये दिन पढ़ते हैं कि इतने आदमिमों को उड़ा कर ले गये और इतने रुपये देकर वापिस छोड़ा गया। लेकिन पुलिस विभाग उन व्यक्तियों में इतना विश्वास प्राप्त नहीं कर सकी जिसकी वजह से वे सब बातें पुलिस को बतला सकें। इसलिये मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस अगर अपने काम में जागरूक रहती और उन आदमियों का विश्वास प्राप्त करती तो इस प्रकार की बातें अपने-आप सामने आ सकती थीं। अगर जनता का पुलिस विभाग में विश्वास होता तो वे जो डाकुओं से छूट कर आये हैं वे खुद आकर बता देते कि हमें वहां रखा गया और इतने रुपये देने के बाद हमें छुटकारा मिला। आज यह इस बात का सुबूत है कि पुलिस विभाग में जनता का कतई विश्वास नहीं। इस विश्वास के न होने की वजह से ही इस प्रकार लोग उड़ाये जाते हैं। यह इस बात को बताता है कि यहां कोई सरकार नहीं, जनता को संरक्षण देने की जिम्मेदारी किसी पर नहीं। यह इस बात को बताता है कि हमारे यहां कोई सरकार नहीं, यह कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। इन चीजों के साथ-साथ एक-दो दृष्टान्त सदन के सामने और पेश करना चाहूंगा। करीबन डेढ़ महीने पहले का वाक़या है ८-२-५५ का, करौली के आस-पास सपोटरा तहसील के शिवगंज नाम के गांव का किस्सा है। वहां एक जगमालसिंह नाम के व्यक्ति को वहां के दो-चार व्यक्तियों ने मिलकर लाठियों से मारा और ऐसा मारा कि वह अधमरा होकर वहीं पर गिर गया। उन लोगों ने उसको इतना पीटा कि वे यह समझ कर कि यह मर गया, उसे छोड़कर चलते बने। वह आदमी वहां से उठ कर पास के गांव में जाता है और वहां उसने कुछ आदमियों से कहा कि बैरून्दा मेरा स्थान है, वहां पर मुझे ले जाओ। वे आदमी उसको बैरून्दा लेकर जाते हैं। वहां वह करौली अस्पताल में जाता है। वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है और अपने बयान देता है कि मुझे तीन-चार आदमियों ने जिनके नाम ये हैं, लाठियों से मारा और मैं उससे बेहोश हो गया और उसके बाद में वे मुझे मरा हुआ छोड़ कर चलते बने और मैं वहां से उठकर इस स्थान पर आ पहुँचा हूं।

अब तारीख ८-२-५५ के बाद आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही इस बारे में नहीं की। यह बात जानकर मुझको काफी अचम्भा हुआ। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस मामले में उस व्यक्ति को जिसकी कि जान गई अस्पताल में लाया गया और वहां लाने के बाद मरने से पहले उसने राज सारा खोल दिया था, तमाम आदमियों के नाम ले लिये थे। जिले के एस. पी. ने इस पर तीन-चार रोज के

[ श्री जवानसिंह ]

लिए तीन-चार आदमियों को गिरफ्तार किया, पर बाद में उनको भी छोड़ दिया और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल यह काम करप्शन की वजह से, जो आज पुलिस में चारों ओर फैला हुआ है, किया गया। इतना ही नहीं इस मामले में और भी राज था। यह मामला इस प्रकार था कि कोई कांग्रेस के सज्जन हैं श्री चिरन्जीलाल शर्मा। सदन में न होने के नाते मुझे उनका नाम तो नहीं लेना चाहिये था, पर ऊंचा स्थान है उनका कांग्रेस के लोगों में। ये गत चुनावों के वक्त हार भी चुके हैं। यह शख्स, जिसको मारा गया उस स्थान का रिप्रेज़ेन्टेटिव था और उसने उन महान् व्यक्ति के खिलाफ इलेक्शन में काम किया था, इसलिए उससे वे दुश्मनी करते थे। उस वक्त में तीन साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति का खून करवाया और यही कारण था कि ८-२-५५ की रात को जब कि वह मारा गया था तो दूसरे दिन सुबह वे तीन-चार व्यक्ति उक्त सज्जन के पास करौली शहर में पाये गये। इस बात का सुबूत मौजूद है। पर इतनी तमाम बातों के होते हुए भी पुलिस कुछ कर नहीं पाती है। इसलिए नहीं कि वह करने में समर्थ नहीं है, पर इसलिए कि हजारों रुपये पुलिस-अधिकारियों को दे दिये जाते हैं। तीन-चार दिन उनको गिरफ्तार भी रखा। इस वजह से नहीं कि कानून उन्हें इस बात के लिए बाध्य करता था बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया कि पैसा मिल जाय। पैसा मिल गया तो छोड़ दिये गये। तो इस प्रकार की हरकत एक आदमी से कत्ल करने तक के मामले में की जा सकती है, जिसमें कि एक इतना जिम्मेदार व्यक्ति जिले का पुलिस-अधिकारी एस. पी. की पोस्ट होल्ड करने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित हो। इतनी गैर-जिम्मेदाराना हरकतें करे तो फिर इस पुलिस से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान की पुलिस कोई काम सफलता से, ईमानदारी से और जनहित की भावना से कर सकती है। उनको योग्यता उनके करप्शन के नीचे दब जाती है और हम जांच भी नहीं कर सकते कि वे पुलिस के अधिकारी लोग जो हैं ये इस योग्य भी हैं या नहीं अथवा उनमें इस योग्यता को धारण करने की क्षमता भी है या नहीं ? तो माननीय चेयरमेन महोदय, ये तमाम बातें हमारे सामने जब आती हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है।

किस प्रकार इस डिपार्टमेंट का हर आदमी ऊपर से नीचे तक, आई. जी. पी. से लेकर एक छोटे से छोटा कॉन्स्टेबल तक, हरेक आदमी रिश्वत के लिए काम करता है; उसका काम फिर चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वह इस बात को नहीं सोचता कि तनख्वाह उसे मिलती है सरकारी काम के करने के लिए, जनता की जान-माल की हिफाजत रखने के लिए, जनता में विश्वास पैदा करने के लिए। वे तो काम करते हैं इसलिए कि रिश्वत में पैसा मिलता है या नहीं; नहीं मिलता तो काम नहीं करते। तो इस प्रकार के आदमी जिस सरकार के जिस किसी भी विभाग में हैं, वह सरकार सफल नहीं हो सकती। वह तो किसी-न-किसी दिन डूबेगी। इन चोरियों-डकैतियों में पुलिस की बहादुरी हमें देखने को नहीं मिलती। इसकी शिवेलरी मिलती है हमें और जगह; जनता को, गरीब जनता को मारने-पीटने में वहां अपनी बहादुरी जरूर देखने को हमें मिलती है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभी थोड़े दिनों पहले फिल्म स्टार आए थे। उनका एक क्रिकेट मैच था। वहां पर हम इस पुलिस की शिवेलरी को देखते हैं; इनकी बहादुरी और वीरता का दिग्दर्शन हम वहां पाते हैं। वहां काफी दर्शकगण वह क्रिकेट मैच देखने गये थे, तो वहां पर ये

[ श्री जवानसिंह ]

पुलिस वाले उन नर्तकियों को दिखाने के लिए अपनी शिवेलरी का प्रदर्शन इन भले दर्शकगण पर लाठी चार्ज करके करते हैं, उस मैदान में जहां पर कि क्रिकेट मैच खेला जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, यह उनकी बहादुरी का कैसा नमूना था, यह कौन-सी उनकी शिवेलरी थी ? मैं भी थोड़ी देर के लिए वहां अवश्य गया था और मैंने देखा यह तो मैं तो दंग रह गया कि क्या वजह है जिसकी बिना पर बिना अपनी जिम्मेदारी सोचे-समझे, बिना किसी आदेश के पुलिस उन दर्शकों कर लाठी-चार्ज कर सकती है ? ऐसी क्या परेशानी थी ? क्या बात थी जिसके लिए लाठी-चार्ज तक की नौबत आ गई ? ऐसा कौन सा बड़ा कारण वहां हो गया जिस पर इतनी नौबत आ गई ? कारण था तो केवल यह था कि पुलिस का इन्तजाम बराबर नहीं था, गफलत पुलिस की थी और इसका नतीजा मिला भले आदमियों को लाठियों के रूप में, जिन्होंने देखने के लिए रुपया भी खर्च किया और इस पर भी देखने के बदले में मिली लाठी। यह तमाशा रहा और यह हुई पुलिस की शिवेलरी। ऐसे शान्ति के स्थान में, जहां राजस्थान की राजधानी में क्रिकेट का मैच खेला जा रहा था और साथ ही यह भी मुझे आश्चर्य है कि किस तरह जिम्मेदार लोगों ने इस काम को ठीक समझा। तो इस प्रकार की बात एक तरफ हमको देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस रिश्वतखोरी को रोकने की कोशिश करेगी, पर परेशानी आज इस हद तक पहुंच गई है कि एक पुलिस का अफसर दूसरे अफसर से रिश्वत लेता है जो कि इसी महकमे का है। एक थाने में एक इन्सपेक्टर को रक्खा जाता है, पर इसके बाद चूंकि वह अफसर रिश्वत का इतना पैसा नहीं दे सकता है अपने से ऊपर के अफसर को इसलिए कि इतना पैसा उसको उस थाने के हल्के से रिश्वत का नहीं मिल पाता, तो उसको फिर वहां से तब्दील कर दिया जाता है दूसरी जगह।

मैं आपके सामने अभी थोड़े ही दिनों पहले का एक दृष्टान्त रखूंगा। एक पुलिस-स्टेशन कुलावा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है जहां कि सब इन्स्पेक्टर ने वायदा किया था कि इतने हजार रुपये दूंगा रिश्वत में, मुझे उस जगह रख दो। तो उस आदमी का वहां पर तबादला हुआ, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने कह दिया कि वहां इन्कम नहीं है, इन्कम रिश्वत की नहीं है, इसलिए वह असमर्थ है कि वह और ज्यादा रुपया दे सके। वहां पर से उस आदमी का ट्रान्सफर अब कर दिया गया है। इस कदर यह एक जगह ही नहीं है कि यह कह दें कि सब आदमी बराबर के नहीं होते, लेकिन सब जगह यही हालत है। तो वाकई राजस्थान की जनता बहुत परेशान है। क्योंकि ऊपर के अधिकारी, आई.जी.पी. तक मैं कहूंगा, वह इस बात को चाहते हैं, इस बात की मांग करते हैं, इस तरह से लेते हैं तो नीचे के अधिकारी इन चीजों को करने के लिए अपने आपको समर्थ पाते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए ये बातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं।

मैं, सभापति महोदय, निवेदन करूंगा आपके द्वारा कि सरकार जल्दी से जल्दी इस मामले में जागरूक होकर इस प्रकार के कदम उठाये कि भविष्य में ये बातें कुछ कम हों। मैं विश्वास नहीं करता हूं कि जैसी कि प्रगति उलटी तरफ की इस डिपार्टमेंट में हो रही है, वह नहीं होनी चाहिए। मेरा कटौती का प्रस्ताव रखते हुए केवल यही उद्देश्य था कि सरकार इस बात पर खास तौर से ध्यान दे। मैं नहीं कहूंगा कि सेक्रेटेरिएट इसमें शामिल है, रिश्वत लेता है। मैं नहीं कहूंगा कि

# Page No.46



[ श्री जवानसिंह ]

मंत्री महोदय इस मामले में कतई शामिल हैं, लेकिन इस बात के लिए अवश्य कहूंगा कि वे इस बात में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं कि पुलिस विभाग की बराबर जांच करवायें और बराबर ख्याल रखें और इन बातों के न होने देने में सफलता हासिल करें। लेकिन उनके पास भी जरूरत से ज्यादा काम दे दिया जाता है। सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी महोदय के पास भी अगर जरूरत से ज्यादा काम थोप दिया जाता है तो कैसे माना जाय कि वे अपने डिपार्टमेंट का काम ऊंचा उठाने में सफल हो सकेंगे। यही कारण है कि पुलिस विभाग से २-२॥ साल से आर्म्स के लाइसेन्स आते हैं सेक्रेटेरिएट में। सेक्रेटरी महोदय के पास काम थोप दिया जाता है, माननीय सभापति महोदय, रिऑर्गेनाइज़ेशन कमेटी का और दूसरी कमेटियों का तो फिर हम उनसे किस प्रकार उम्मीद करें कि वह काम को वक्त पर निबटा देंगे। यह हम उनसे जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर प्रकार के आदमी के पास इस प्रकार का काम नहीं डाला जाय कि रोज-मर्रा का काम उसका पूरा नहीं हो सके। यही नहीं, हमें इस तरह से काम को निबटाने के लिए और दूसरे अन्य स्टेप्स लेना पड़ेंगे तभी इस प्रकार का जो करप्शन फैला हुआ है उसको रोकने में सरकार सफल हो सकेगी तथा और नये कदम उठायेगी। इस बात का आश्वासन मैं पाना चाहता हूं अपने इस कटौती प्रस्ताव को मूव करके।

**श्री सभापति**—श्री मुक्तिलाल मोदी।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—[निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (निम्न स्तर के कर्मचारियों के फिक्सेशन पर विचार करने हेतु)]

माननीय चेयरमेन महोदय, यह जो पुलिस की २,८१,३०,००० रु० की मांग माननीय मन्त्रीजी ने रखी है, वह मांग और जितनी भी दूसरी मांगें आई थीं वे मांगें तो कुछ प्रजा के काम में आने वाली मांगें थीं, परन्तु यह जो मांग है वह मांग आज के प्रजातन्त्र के युग में एक पैसे की भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रजातन्त्र हो गया और सब लोग यह समझने लग गये कि अब जनता का राज्य है। पंचायतों का चुनाव हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और तहसील पंचायतों के चुनाव हो गये, असेम्बली बन गई, पार्लियामेंट बन गई, तो क्या जरूरत है इस पुलिस डिपार्टमेंट की? परन्तु आज यह देखने में आया है कि चोरियां होती हैं, डाके डाले जाते हैं और डाकुओं को पकड़ा भी जाता है और चोरियों भी पकड़ी जाती हैं, कुछ नहीं भी पकड़ी जाती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कहा है कि कुछ बातों में यह रिश्वत खाते हैं, परन्तु आज इसका सारा भार जो कुछ है वह कुछ एम० एल० एज़० और कुछ मिनिस्टर्स हैं, उन पर है। तब इस राजस्थान की जनता का कैसे भला हो सकता है; जब तक कि वे लोग सिफारिश करेंगे, जब तक कि ये लोग पुलिस के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को नाजायज तरीके पर दबायेंगे। चोरी के, डाके के मुकदमे जो पकड़े जाते हैं और उसकी सिफारिश आज मिनिस्टर, एम० एल० एज़० और कांग्रेसमेन जब करते हैं तो क्यों नहीं वे रिश्वत खायेंगे; आप एक करप्शन करेंगे तो वे चार करप्शन करेंगे।

( विपक्ष की ओर से करतल-ध्वनि )

और उसके करने वाले कौन है! वह हैं आपके भाई।

**श्री सभापति**—आपका कटौती का प्रस्ताव जो है, फिक्सेशन के संबंध में है।

**श्री घीसीसिंह**—पुलिस की आलोचना करते करते एम० एल० एज़० की आलोचना शुरू कर दी, यह भी किसी विधान में होगा ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—जब आपने पुलिस वालों के बारे में, सब-इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर के बारे में कहा, और जब मैंने कहा कि एम० एल० एज़० के लिए तो आप कहते हैं।......

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी**—Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble member should not be allowd to talk to each other.

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—आज सब-इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर, सब लोग जिनके फिक्सेशन के बारे में मेरा कटौती का प्रस्ताव है, उसका सारा कारण यही है कि आज हम लोग थोड़ी सी पॉवर में आकर पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे से छोटे जितने भी अधिकारी हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं कि आज कोई सब-इन्सपेक्टर, कॉन्स्टेबल या हैडकॉन्स्टेबल मेरा भाई, जंवाई, साला है उसको ऊंचा बढ़ा दो और जिसकी बेचारे की सिफारीश नहीं है, उसको नीचे गिरा दो। जब तक हम लोगों में इनके फिक्सेशन के बारे में ऊंचा स्तर नहीं आयेगा तब तक पुलिस डिपार्टमेंट में रिश्वतखोरी बन्द नहीं हो सकती है और जो फिक्सेशन का तरीका आज सरकार बरत रही है उस तरीके को दूर नहीं करेंगे तब तक उन ऑफिसर्स के अन्दर, उन कॉन्स्टेबल्स के अन्दर उत्साह नहीं आयेगा। वे रिश्वत भी खायेंगे, चोरियां भी करेंगे, और डाके भी डालेंगे और सब कुछ करेंगे, जब तक कि सरकार उनके फिक्सेशन के बारे में नहीं सोचेगी।

मैं यह मानता हूं कि आज राजस्थान के अन्दर कई कर्मचारी मारे गये डाकुओं के पीछे, परन्तु आज उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, स्त्रियां भूखों मर रही हैं। राजस्थान सरकार उनका कुछ नहीं कर रही है, तब फिर कौन डाकुओं के पीछे भागेंगे, चोरों का पीछा करेंगे। हजारों चोरियों के उदाहरण बतादूं। हमारे गांव की तरफ एक डाका पड़ा था। उस डाके की कोई सुनवाई नहीं हुई। पंचायतों के चुनावों में कॉन्स्टेबल और हैड कॉन्स्टेबल कुछ रिपोर्ट लिखते हैं तो मिनिस्टर साहब का टेलीफोन पर टेलीफोन आता है कि क्या करते हो, उसकी रिपोर्ट नहीं लेनी है ?

**श्री सभापति**—मैं आपका एक बार फिर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपके प्रस्ताव की ओर।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—ऐसी हालत में फिक्सेशन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सरकार और प्रान्तों की तरह राजस्थान में भी इन ऑफिसर्स का करायेगी तो उन ऑफिसर्स की उन्नति होगी और जो आज का तरीका है, जिससे इन ऑफिसर्स का फिक्सेशन नहीं हो पाता है, तो वह गलत तरीका है। सरकार उसको उठा देगी और पब्लिक सर्विस कमीशन में, जैसा कि सारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का फिक्सेशन होता है उसी तरह हैड कॉन्स्टेबल से लेकर सब-इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर ( डी० एस० पी० का तो अब पब्लिक सर्विस कमीशन को सरकार ने दिया है ); ये तीनों जो सरकारी सर्विसेज़ हैं उनका फिक्सेशन

[ श्री सभापति ]

और देगी। इस मामले में पुलिस के कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, वह कम है। इसलिए इस बजट में ज्यादा बढ़ायेंगे और मैं इस कट-मोशन में जो बातें आई हैं उनके अलावा और भी बातें कहना चाहता हूं। परन्तु मैं दूसरे कट मोशन पर बोलूंगा, नहीं तो इस पर ही ३ मिनिट और चाहता हूं।

**श्री सभापति** ( श्री गुलाबचन्द कासलीवाल )—आपको फिर बोलने का अधिकार होगा, पहले और कटौती प्रस्ताव हो जाने दीजिये।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी**— Mr. Chairman, Sir, may I be permitted to move my cut-motion No. 106 ?

**श्री सभापति** ( श्री गुलाबचन्द कासलीवाल )—You will have the opportunity to move that when your turn comes. Let us first take in serial order. Shri Chandmal Mehta will move his cut-motions.

**श्री चान्दमल मेहता**—[ निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने के हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

1. "To discuss the corroupation prevailing in the Department.

2. To discuss the favouratism in the seldection of Candidates for S. I. Traning.

3. The discuss the failure of Government to renew Arms Licenses.

4. To discuss the decoity of Govardhanpura of tehsil Kishangarh."]

माननीय चेयरमेन, मेरे इस डिमान्ड पर ४ कट-मोशन्स हैं। मैं उनमें से सबसे अधिक महत्व जो पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है, उस सम्बन्ध के कटौती प्रस्ताव को देता हूं। इसलिये मैं पहले इसको पेश करना चाहूंगा क्योंकि इस पर मैं अधिक समय लूंगा। बाद में यदि सभापति साहब अलाउ करेंगे तो मैं दूसरे कट-मोशन्स पेश करूंगा, नहीं तो सारा समय इसी में लूंगा।

**श्री सभापति**—आप चारों ही कटौती प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।

**श्री चान्दमल मेहता**—माननीय सभापति, पुलिस विभाग एक सेवा का विभाग है। इसके जिम्मे जनता की सेवा का काम सौंपा गया है। इसके जिम्मे काम है शान्ति व्यवस्था करने का, इसके जिम्मे काम है जनता को चोरों और डाकुओं से बचाने का, इसके जिम्मे काम है मारपीट करने वाले व जोर-जुल्म करने वालों को सजा दिलाने का; इसके हर महकमे में लिखा हुआ है "Eay I help you" और कहीं हिन्दी में लिखा हुआ है "मेरे योग्य सेवा"। यदि हम वास्तविकता की ओर जांच करें तो यह सिर्फ दिखावा मात्र है। यदि कोई व्यक्ति व्यवहार में "मेरे योग्य सेवा" लिखा देख कर, शब्दों के

[ श्री चंदमल मेहता ]

चक्कर में पड़कर वहां चला जाय तो उसे सेवा लेने के बजाय सेवा देनी पड़ेगी और सेवा के रूप में जूते खाने पड़ेंगे और गांठ से कुछ रुपये पुलिस अधिकारियों को देने पड़ेंगे। यह स्थिति हमारे पुलिस अधिकारियों की है जिनको सेवा का काम दिया गया है और जिन पर २॥ करोड़ रुपये सरकार खर्च करना चाहती है। वे आज अपने कर्त्तव्य से दूर हैं और उनका आज कर्त्तव्य दूसरा हो गया है। पुलिस का आज कर्त्तव्य है चोरियें कराना, चोरियों में हिस्सा लेना और अपराधी व्यक्तियों को छुड़ाना व निरपराध व्यक्तियों को फंसाना और निरपराधों पर मार-पीट करना, रिश्वत लेना और रिश्वत न मिले तो उन पर झूठे मुकद्में बनाना और उनको सजा दिलाना। मैं सोचता हूं कि आज की पुलिस का यह काम है और यह काम उस टाइम तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि एड़ी से लेकर चोटी तक के अफसर उसमें शामिल न हों और मैं निवेदन करूंगा कि मैंने आंखों से देखा है कि एड़ी से चोटी तक के अफसरों में रिश्वत की रकम की बन्दर बांट होती है और नतीजा यह होता है कि जांच की आवाज उठाई जाती है तो जांच नहीं हो पाती। यहां तक कि यदि विधान सभा में आवाज उठाई जाती है तो अधिकारी यह सोचते हैं कि विधान सभा में इस तरह की आवाज नहीं उठे। इस दृष्टि से हर मामले में न्याय के बजाय कोशिश यह की जायगी कि उसके खिलाफ झूठे मुकद्मे दायर करवाये जायेंगे। आई० जी० पी० जैसे पुलिस के अधिकारी हैं, जिनको आज सदन में मौजूद रहना चाहिये था और सारी बातें सुननी चाहिये थीं, वे आज यहां मौजूद नहीं हैं और शायद इसलिये मौजूद नहीं हैं कि उनके काले कारनामे सुनने में शायद उनको शर्म आती है। मैं ये बातें इसलिये नहीं कहता हूं कि पुलिस की कुछ आलोचना करूं लेकिन तथ्य के आधार पर कहना चाहूंगा और यह निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग सरकार पर इतना हावी हो गया है कि जब पुलिस के बारे में प्रश्नों का मौका आता है तो मन्त्री जी को गलत जवाब देना पड़ता है। उसको यदि चेलेन्ज किया जाता है तो उसका कोई नतीजा निकल सके, यह मैं नहीं मानता।

अब मैं आपके सामने दो-तीन प्रमाण रखना चाहूंगा कि किस तरह पुलिस आम लोगों को तंग करके, फंसा कर पैसे वसूल करती है। यदि पुलिस निरपराध व्यक्तियों को पीटे तो दो रास्ते हैं: एक तो यह कि पुलिस के अधिकारियों पर मुकद्मा चलाया जाय और दूसरा यह कि ऊंचे पुलिस अधिकारियों कहा जाय। मैंने दोनों ही रास्ते अपनाये हैं और दोनों ही रास्तों में पुलिस वालों ने दाव नहीं दिया है।

मैं आपके सामने एक वाक्या बयान करता हूं। किशनगढ़ में रामलीला हो रही थी। रात को ११ या १२ बजे कुछ व्यक्ति रामलीला से अपने घर वापिस जा रहे थे। पुलिसवालों ने देखा कि इनको फंसाया जाय और आज का खर्चा निकाला जाय। उन्होंने उन आदमियों से कहा कि तुम रात को १२ बजे बाजार से निकल रहे हो, तुम चोर हो। उन्होंने कहा कि हम लोग व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित नागरिक हैं, हिस्ट्री शीटर्स नहीं हैं और रामलीला देखकर आ रहे हैं, हमने कौनसा अपराध किया है? वे नहीं माने और उनको पुलिस में जाने के लिये मजबूर किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कोई अपराध हो तो हम कल आ जायेंगे। क्योंकि पुलिस हेड कांस्टेबल वहां अकेला था इसलिये लोग अपने घर आ गये। वह हेड कॉन्स्टेबल थाने में गया और दूसरे कॉस्टेबल्स को साथ लेकर उन लोगों के घर

[ श्री चांदमल मेहता ]

आया और रात को १२ बजे घर के किवाड़ खटखटाने लगा। उन लोगों ने देखा कि किंवाड़ तोड़ देंगे इसलिये वे नीचे आये। उनको पुलिस वाले पकड़ कर थाने में ले गये और वहां उन लोगों को खूब पीटा। सबेरे यह बात सभी लोगों के सामने आई तो लोग ताअज्जुब करने लगे। मेरे सामने भी बात आई, मैंने भी इसका पता लगाया। लोग डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास गये तो उन्होंने कहा कि इनके जो अगुआ हैं उनको गिरफ्तार कर लो, इनका यह हौसला कि पुलिस का सामना करते हैं। एक प्रतिष्ठित नागरिक कान्तिचन्दजी, जिनकी सभी लोग इज्जत करते थे उनको कहा गया कि यही बुड्ढा सब का अगुआ है, इसको गिरफ्तार किया जाय। इन सारी बातों के खिलाफ हमने मुकद्दमा चलाया। मुकद्दमा चल रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने आज तक उस हेड कॉन्स्टेबल के समन्स सर्व नहीं कराये, इसलिये अब तक कोर्ट में उस मुकद्दमे का कुछ नहीं हो सका।

कुछ दिन हुए बादर-सीधरी गांव में एक मेला था। इस अवसर पर गांव वालों में आम तौर पर पत्थर फैंकने का रिवाज है, इसलिये उस दिन भी मामूली पत्थर चले। पुलिस वालों ने देखा कि पत्थर चले हैं इसलिये हमें अच्छी रकम रिश्वत में मिलेगी। अतः उन्होंने काफी लोगों को हैरेस किया। फिर उनको पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति जो काफी प्रतिष्ठित है वे रह गये हैं, इसलिये उनको भी फांसा जाय। वे कांग्रेस पंचायत के भी सदस्य थे और सर-पंच थे। वे उस समय वहां मौजूद नहीं थे, किशनगढ़ गये हुए थे, किशनगढ़ के एस० एच० ओ० ने उनको पुलिस में पकड़ बुलाया और बुरी तरह पीटा। जब मुझे इसकी सूचना मिली तो मैं स्वयं पुलिस में गया और पूछा कि फलां व्यक्ति यहां पर है, तो पता चला कि वे वहां पर थे और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। मैंने पुलिस वालों से पूछा कि इनको क्यों पीटा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो कहीं से पिट कर, बेतें खाकर आये हैं हमने तो इनको नहीं पीटा। मेरे द्वारा शिकायत करने पर डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस स्वयं पुलिस थाने में आये और बादर-सीधरी ग्राम के दो व्यक्ति जिनको पुलिस कस्टडी में बुरी तरह पीटा था, उनको दिखाया गया और उनसे मांग की गई कि इन व्यक्तियों का डॉक्टरी मुआयना कराया जाकर पीटने वाले पुलिस कर्मचारियों को सजा दिलवाई जावे, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। उन लोगों को डॉक्टरी मुआयना तक के लिये नहीं भेजा गया। तब मैंने उनकी डॉक्टरी जांच करवाई और मैंने जांच के बाद इस मामले को आई० जी० पी० तक पहुँचाया। सब-इन्सपेक्टर का कुछ नहीं बिगड़ा और फंसे दो कॉन्स्टेबल।

जब मैंने आगे के अधिकारियों तक इस मामले को बढ़ाया तो एडीशनल सुपरिन्टेन्डेड पुलिस, जो जयपुर हैं, उनको जांच के लिये भेजा गया। उन्होंने पुलिस द्वारा पिटे हुए जो गवाह थे उन आदमियों को किशनगढ़ बुलाया और कहा कि अगर तुम लोगों ने पुलिस के खिलाफ बयान दिये तो तुम लोगों को हिस्ट्री शीटर बना दिया जायगा और तुम्हें जिन्दगी भर आराम नहीं लेने दिया जायगा। उन लोगों ने कहा कि चाहे हिस्ट्री शीटर बना दो, पर जो सही बात है वह तो कहेंगे। किन्तु उनके बयान लिये गये तो अंग्रेजी में लिये गये और बिलकुल खिलाफ बयान लिखे गये। आज अदालतों में भी हिन्दी में बयान लिये जाते हैं, सुनाये जाते हैं और फिर दस्तखत कराये जाते हैं। परन्तु इनके बयान अंग्रेजी में लिखे गये और खिलाफ लिखे गये और उनको वे पढ़ कर नहीं सुनाये गये। नतीजा यह होता है कि वे कॉन्स्टेबल निरपराध घोषित किये जाकर वापिस बहाल कर

[ श्री चांदमल मेहता ]

दिये जाते हैं। हमने उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करके देख लिया कि पुलिस के अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक, बड़े से बड़े अफसर से लेकर छोटे से छोटे पुलिस कर्मचारी तक कितने मिले रहते हैं। मैं इसी सम्बन्ध में एक एक बात और कहना चाहता हूं। अरांई गांव में एक घटना घटी। बैकवर्ड क्लास के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के विचारों के हैं और सेवाभावी हैं, वे कभी कभी पुलिस के अत्याचारों के भी खिलाफ खड़े हो जाया करते हैं। उन्हें अरांई गांव में बाजार में रात को ८ बजे पुलिस के तीन कॉन्स्टेबल मारते हैं। सब-इन्स्पेक्टर के पास रिपोर्ट करते हैं तो वे कहते हैं कि हमने मारा है। इस अत्याचार के खिलाफ, अरांई की जनता ने इस पुलिस के अत्याचार के खिलाफ पब्लिक मीटिंग की और प्रस्ताव पास कर अपराधियों को दण्ड देने के लिये मांग की। प्रस्ताव की कॉपी गृह विभाग के सचिव, मन्त्री और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को भेजी गई, पर इस अत्याचार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह की एक और घटना मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। किशनगढ़ से जयपुर जो मोटर बस सर्विस चलती है उसमें दो कॉन्स्टेबल बैठते हैं और बिना किराया जयपुर आना चाहते हैं, पर उनसे किराया चार्ज कर लिया जाता है। जयपुर की पुलिस चौकी के पास आते ही उन्होंने ड्राइवर को कहा कि तुम्हारा लाइसेंस कहां है बताओ ? मोटर का मालिक भी साथ था। उसने कहा कि एक कॉन्स्टेबल को लाइसेंस देखने का कोई हक नहीं, कोई ऑफिसर लाइसेंस मांग सकता है। सिविल जज, किशनगढ़ भी उस मोटर में थे। उन्होंने कहा कि क्यों हम लोगों को बिना मतलब लेट करते हो। तो इस पर उस वक्त तो उनको छोड़ दिया, पर मोटर स्टेन्ड पर आते ही उनको पकड़ कर ले जाते हैं पुलिस थाने में और मारपीट करते हैं और फिर उलटा उन्हीं पर मुकदमा चलाते हैं कि इन्होंने पुलिस वालों के साथ मारपीट की। तो मैंने ये घटनाएं बतलाई कि किस तरह पुलिस मार-पीट करके पैसा वसूल करती है।

अब मैं वे घटनाएं बताता हूं कि किस तरह पुलिस वाले मुलजिमों को रुपया लेकर छोड़ देते हैं। अभी इसी सेशन में मैंने एक प्रश्न भी इस बारे में पूछा था। छीतर जाट के यहां नरवर में चोरी हो जाती है। उसके पास कुचील की पुलिस चौकी पड़ती है। वहां के इन्चार्ज ने चोर को पकड़ लिया और सब-इन्स्पेक्टर, किशनगढ़ के पास इत्तिला भेजी कि वे मौके पर आकर जांच करें, पर सब-इन्स्पेक्टर ६ दिन तक नहीं गया। परिणाम यह हुआ कि कुचील चौकी का इन्चार्ज चोर को लेकर किशनगढ़ पहुँचा। फिर सब-इन्स्पेक्टर उस चोर को लेकर मौके पर आता है और उस छीतर जाट से रुपया लेना चाहता है। उसने रुपया नहीं दिया तो उस सब-इन्स्पेक्टर ने रात को चोर को भगा दिया। जब मैंने सदन में इस बारे में प्रश्न किया था तो माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। पर दरअसल गिरफ्तार किया गया है, ६ दिन तक वह चोर कुचील में रहा है, वहां का हरएक रहने वाला जानता है, पर इस वजह से कि चौकी का इन्चर्ज कहीं सही बात न कह दे, इसलिये उसका ट्रान्स्फर कर दिया गया, वह अब यहां जयपुर में है और अगर उसे पूछा जाय तो वह सारी बात कहेगा। पर अगर सच्चा आदमी वहां रहता है तो सब पोल खोल देता है, इसलिये वह बदल दिया जाता है।

मैं अब खास तौर से एक बड़ी चोरी की मिसाल सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं जिसमें

[ श्री चांदमल मेहता ]

पुलिस वालों ने पांच-सात हजार रुपये पर हाथ साफ किया है। किशनगढ़ के एक सबसे मालदार आदमी हैं, उनके यहां अभी करीब तीन महीने पहले ५०,०००रुपये की चोरी हो जाती है। इसकी पुलिस में रिपोर्ट की गई। पुलिस वालों ने कहा कि रूपया नहीं दोगे तब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। इस पर उसने कहा कि हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे। तो पुलिस वालों ने कहा कि ऊपर रिपोर्ट करोगे तो फिर दर्ज तो कर लेंगे, पर केस को बिगाड़ना सुधारना तो हमारे हाथ में है; हम इस केस को बिगाड़ देंगे। इस पर जिसके यहां चोरी हुई उसने देखा कि इससे तो अच्छा यह है कि यहीं पर कुछ दे दिया जाय और वह पुलिस वालों को तीन-चार हजार रुपया दे देता है। इस पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। रिपोर्ट तो दर्ज कर ली जाती है, किन्तु क्या होता है कि उसकी मां, जो कि एक पर्दानशीन औरत है उसके नाम वारन्ट इश्यू होता है। वह बेचारा घबराता है और सोचता है कि यह रुपया गया सो गया, पर्दानशीन महिला के सम्मान के रक्षार्थ कुछ और रुपये पुलिस वालों को देकर पीछा छुड़ाना पड़ा। यह हालत पुलिस की है किस अधिकार से कहें। पुलिस के खिलाफ कोई सुनने वाला नही है। जैसी इस विभाग की स्थिति यहाँ बिगड़ी हुई है वैसी शायद ही और कहीं बिगड़ी हुई होगी। ऐसा कहा जाता है कि चोरियों की संख्या में कमी हुई है, पर वस्तुस्थिति कुछ और ही है। लोग देखते हैं कि अगर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायेंगे तो पहले तो रिपोर्ट दर्ज कराने के पैसे देने पड़ेंगे और चोर को तो पकड़ा नहीं जायगा और घर वालों को या पड़ोसियों को तंग किया जायगा। इसलिये लोगों की यह धारणा बनती जा रही है कि पुलिस में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करावें। मैं गांवों में घूमा हूं और मैंने वहां देखा है कि गांवो में लोगों में यह धारणा घर कर रही है और वे लोग यह कहते हैं कि हमारे यहां से पुलिस चौकी को हटा दिया जाय और डाकुओं से रक्षा के लिए आर्म्ड गार्ड भले ही रखी जाय पर पुलिस वाले न रहें क्योंकि ये हमारी रक्षा नहीं करते, उलटा हमें लूटते हैं। आज गांवों में इस तरह की मांग हो रही है कि डाकुओं से रक्षा के लिए आर्म्ड गार्ड तो लगा दी जाय, पर पुलिस चौकियों उठा दी जाय।

अब मैं सदन के सामने एक और घटना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जिसमें आई. जी. पी तक शामिल हैं। कुछ समय की बात है कि एक वर्ष पहले भंवाड़ा गाव में एक किसान के यहां ८०–१०० मन मक्का पड़ी थी जिसको लोग गाड़ियों में लाद कर जबरदस्ती ले जाते हैं। किसान के पास में एक ही व्यवस्था रहती है कि पुलिस में जाकर रिपोर्ट करे। वह पुलिस में शिकायत करने पहुंचता हैं और निवेदन करता है कि इस तरह की बात है, मेरे यहां से १०० मण मक्का जबर्दस्ती गाडियों में लादकर ले गये। पुलिस ने देखा कि जो ८०–१०० मन मक्का मुफ्त में ले गया है तो वह २० मन की रकम तो हमें दे ही देगा। मक्का जबरदस्ती जो उठा कर ले गया था उसने पुलिस से को पैसे दे दिये और इसका नतीजा यह होता है कि केस चालान न करके फाइनल लगा दी कि तुम्हारा केस चलने के काबिल नहीं है। इस घटना का असर गांव वालों पर पड़ा और उन्होंने यह सोचा कि आज तो इसके साथ ऐसा हुआ है, कल औरों के साथ भी यही होगा और हम लोग अरक्षित हो जायेंगे। सब गांव वालों ने मिल कर सम्बन्धित अधिकारियों से इसकी जांच की मांग की; पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास रिपोर्ट की, कलेक्टर के पास रिपोर्ट की, आई. जी. पी. के पास रिपोर्ट की, कांग्रेस के पास शिकायत की। वहां की तहसील कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट होने के नाते भंवाड़ा गांव में जाकर मैंने जांच की। लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि बात सही है और आखिर विधान सभा में इस प्रश्न

[ श्री चांदमल मेहता ]

को मेरे द्वारा उठाये जाने पर इसकी जांच के लिये सी. आई. डी. के एक अफसर मौके पर पहुंचे। विरले कोई न कोई ईमानदार भी मिल जाते हैं। उसने सही रिपोर्ट दे दी। उच्च अधिकारियों ने देखा कि इससे तो बड़े बड़े अफसर फंसेंगे तो इसकी जांच के लिये दुबारा दूसरे अफसर को भेजा।

इत्तफ़ाक से वह भी ईमानदार आदमी था और उसने पहले जो रिपोर्ट की गई थी उसकी ताईद की। दुबारा फिर आई. जी. पी. साहब का हुकम चलाया जाता है। दो दफा सी. आई. डी. की जांच से मालूम हो गया लेकिन पुलिस को आखिर सब्र हो किस तरह से ? दमन किया गया। आई. जी. पी. साहब की टेलिफोन से बात होती है। उस किसान के खिलाफ झूंटी रिपोर्ट करने के अपराध में मुकदमा चलाने का आदेश दिया। यह हमारी कैसी हुकूमत है ? जब हमें स्वतन्त्रता नहीं मिली थी उस समय हम बड़ी-बड़ी आशाएं लगाए हुए थे। उस समय हमारी सरकार नहीं बनी थी। हम सोच रहे थे कि किस तरह से आज हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वे न हो सकेंगी। माननीय चेयरमेन, मैं इस सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करूंगा कि आज पुलिस के कारनामों की स्थिति चरम-सीमा पर पहुंच चुकी है और अगर इसको रोकने के लिये कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो राजस्थान में बहुत बड़ी क्रान्ति होगी और कई जिम्मेदार कांग्रेसी और विधान-सभाई उसमें आगे आवेंगे और क्रांति करेंगे।

अब जहां तक पुलिस विभाग के कर्मचारियों को प्रोमोशन देने का प्रश्न है, यह एक दूसरा ही प्रश्न है। योग्यता और काम के आधार पर यहां उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है या जिनकी सेवाएं पुरानी हैं उनको आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाता है। इसके लिये रिकमन्डेशन चाहिये और रिश्वत चाहिये। वे ईमानदारी से इसको सिद्ध नहीं कर सकते। जब वे रिश्वत न लें तो दे कैसे सकते हैं। इसलिये जो ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही या कोई दूसरा चार्ज उन पर लगाकर उनको निकाल दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि ईमानदार लोगों को प्रतिवर्ष किसी न किसी आरोप में फंसा कर बहुत बड़ी तादाद में नौकरी से निकाल दिया जाता है और जो लोग रिश्वत लेते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं, उनको तरक्की मिल जाती है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि इस विधान सभा में मैंने पूछा था कि डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट किस आधार पर बनाये गये ? जब मैंने लिस्ट देखी और सुनी तो यह देखा कि कोई आधार नहीं था, सिवाय सिफारिश के। जो डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट प्रोमोशन के द्वारा इस वर्ष बनाये गये थे उनसे कई दूसरे आदमी सीनियर और ट्रेन्ड थे, मगर वे डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट नहीं बनाये गये और ऐसे आदमी बनाये गये जो न तो शुद्ध हिन्दी ही ठीक तरह से लिख सकते हैं और न अंग्रेजी ही लिख सकते हैं। उनकी कार्यवाही मैंने पिछले विधान सभा के अधिवेशन में बताई। इस तरह की सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं और इसी का परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में जो कहा है कि डाकुओं को बहुत बड़ी संख्या में पकड़ा गया है और डकैतियां खत्म हो गई। तो आप सबसे पहले देखिये कि बहुत बड़ी संख्या में डाकू पकड़े गये, उनका माल कितना बरामद हुआ है ? कितना उन लोगों के घर में पहुंचा है, जिनका माल डाकू ले गये थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक

[ श्री चांदमल मेहता ]

प्रश्न पूछा था उसके जवाब में यह कहा गया था कि इस वर्ष ८ लाख की डकैतियां हुईं और एक लाख का माल बरामद हुआ। यह देखना है कि पुलिस माल बरामद करने के पीछे कितनी लगी हुई है ? मैं यह कहूंगा कि माल-बरामदगी के मामले में पुलिस में आपस में बंदर-बांट शुरू हो जाती है। डाकू या चोर पकड़ लिये जाते हैं और माल जो बरामद करती है उसकी बन्दर-बांट कर लेती है। मैंने देखा कि एक दफे मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में इस प्रकार की घटना हुई। डाकुओं का पता लग गया, माल बरामद हुआ, पुलिस की बंदर-बांट शुरू हुई और नतीजा यह हुआ कि बन्दर-बांट के कारण माल बरामद नहीं हुआ। मैं उस समय बीमार पड़ा था। मैंने एक रजिस्टर्ड लेटर के जरिये माननीय गृह-मन्त्रीजी को यह बताया कि किस तरह से बन्दर-बांट उस माल की की गई। इसके अलावा कई बार यह कहा जाता है कि वास्तव में उन्होंने माल और डाकुओं का पता लगाया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा जो कि मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी की बात है; एक जगह वकुआ हुआ, पुलिस ने लिस्ट बनाई। उस लिस्ट का कोई माल बरामद नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस ने उक सप्लीमेन्ट्री लिस्ट बनाई। उसमें एक टॉर्च भी लिखी। उस पर आर. एन. या एम. एन. लिखा था। पुलिस ने एक टॉर्च खरीदी और उस पर जो नाम लिखा था लिखवाया और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा करके कहा कि हमने डाकुओं का पता लगा लिया। यह टॉर्च किसी से बरामद कर ली जाती है। आखिरकार वे सेवा करने के लिये मुकर्रर हैं, न कि इस प्रकार के कार्य करने के लिये।

मैं एक डकैती जो गोवर्धनपुरा, तहसील किशनगढ़ में हुई, उसकी चर्चा अवश्य करना चाहूंगा। उस डकैती की कोई परवाह नहीं की गई। किशनगढ़ के लोगों ने आवाज उठाई। आखिर डकैती हुई थी जिसको तो रेकार्ड में लाना ही पड़ता था। इसलिये वे पुलिस वाले मूंडोलाव ग्राम में पहुँच जाते हैं और वहां पर एक महाजन को कहते हैं कि तुमने चोरी की है और तेरे पास चोरी का माल है। जब वह महाजन इन्कार करता है तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं और डर दिखा कर उससे २०० रु० वसूल कर लेते हैं। इसके बाद माल का पता लगाने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं कि जो २०० रु० लाते हैं, उससे उसी तरह की चीज एक सुनार से बनवाते हैं, और बनवा कर वह पहचनवाई जाती है। इस तरह की कार्यवाही करते हैं। असली डाकू कहां हैं और माल कहां है, इसका कोई पता पुलिस नहीं चला सकी। अगर कोई इसकी जांच करे तो पता चल जाएगा। किस तरह सुनार के यहां चीज बनाई गई और किस तरह महाजन से रुपये लिये गये। ये सारी बातें बताती हैं कि पुलिस का काम सेवा करने का है; वह लोगों से सेवा लेने का नहीं और लोगों को मारने का नहीं है। मौजूदा पुलिस सेवा करने के बजाय मारने-पीटने और फर्जी मामले बनाने का काम करती है। मौजूदा पुलिस का कार्य पब्लिक को परेशान करने का है, यह तरीका पब्लिक की सेवा करने का नहीं है। ऐसे लोग जो सेवा का ढोंग करते हैं उनकी हमको आवश्यकता नहीं। हमको आवश्यकता है उन लोगों की जो सेवा का असली लक्ष्य सामने रखते हों।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो उसकी रिपोर्ट पुलिस नहीं लिखती और जब पैसा दिया जाता है तो लिख लेती है और मामला साबित भी हो जाता है तो भी उसको रुपये लेकर रफा-दफा कर दिया जाता है। जब यह

[श्री चांदमल मेहता]

मांग की जाती है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को हटाया जाकर इसकी जांच की जाये, तब भी पुलिस के उच्च अधिकारी उसकी कोई परवाह नहीं करते और रुपये पहुँच जाते हैं, इससे सब रफा-दफा हो जाते हैं। अगर वे किसी को बदलने के लिये हुक्म भी दे देते हैं तो भी वह बदल दिया जाता है।

इस प्रकार किशनगढ़ के बारे में मैंने कुछ अधिकारियों के संबन्ध में शिकायत की कि इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है तो उन्होंने थोड़ी सी कृपा की। वहां के डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट को तो नहीं हटाया, लेकिन सब-इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर कर दिया। लेकिन ज्योंही कोई सिफारिश या रुपया पहुंचा उसकी ट्रान्सफर केन्सल कर दी गई। अगर इन अधिकारियों को वहां से हटा कर इन सारी बातों की जांच कराई जावे तो मालूम होगा कि किस तरह का अन्याय आज बढ़ गया है।

अब मेरे दो कटौती के प्रस्ताव और हैं। समय कम है, उन पर कुछ कहूंगा और पांच मिनिट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक कट-मोशन है सब इन्सपेक्टरों की ट्रेनिंग के लिए केण्डिडेटस के सिलेक्शन के बारे में। माननीय चेयरमेन, ट्रेनिंग के लिये उम्मीदवार दो तरह के व्यक्ति होते हैं; एक तो वे केन्डीडेट जो सरकार की नौकरी में होते हैं और दूसरे वे जो प्राइवेट होते हैं। इन पुलिस कर्मचारियों के सिलेक्शन के लिये प्रत्येक डिवीजन के लिये एक कमेटी बनी है जिसमें डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कलेक्टर और एस० डी० ओ० होते हैं जो अपनी रिपोर्ट केन्डीडेटों का इन्टव्यू करके देते हैं। लेकिन नतीजा यह होता है कि जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है तो आई० जी० पी० साहब अपने नाम दे देते हैं।

शायद यह हो सकता है कि ऊपर से मन्त्रियों की सिफारिशें आयें और दूसरों की सिफारिशें आयें, जिसके आधार पर वे कायम हैं और नीचे के अधिकारियों की राय न मानना हो। दो कारण हो सकते हैं। आई० बी० सर्विस भी उन पर ही निर्भर करती है। तो जिन जिन व्यक्तियों की सिफारिशें की जाती हैं वे न आकर नये आ जाते हैं या तो यह मानकर चलिये कि कमेटियां जो कायम की गई हैं वे कोम्पीटेन्ट नहीं हैं या वे ठीक सिफारिश नहीं करती हैं। यह मानकर चलिये कि वे ठीक सिफ़ारिश करती हैं तो ऊपर से गड़बड़ हो जाती है। इस सिलेक्शन में इस प्रकार की सिफारिशें नहीं होनी चाहिए; जो योग्य हैं और वास्तव में जो आते हैं उनको चान्स दिया जाना चाहिए।

आर्म्स लाइसेन्स के रिन्युअल के सिलसिले में मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। लाइसेन्स के रिन्युअल के सम्बन्ध में एक तारीख मुकर्रर है। किन्तु इस तरह की बातें हुई हैं कि तारीख मुकर्रर होने के अनुसार वक्त पर रिन्युअल के लिए प्रार्थना-पत्र दिये गये, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर दिये गये। मैं खेद के साथ निवेदन करूंगा कि समय पर रिन्युअल के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिये जाने पर भी, इस ५४-५५ के वर्ष में, एक लम्बी लिस्ट मिलेगी कि रिन्युअल नहीं हुआ। उन लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब कि वे दूसरी जगहों को जाते हैं। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि लाइसेन्स रिन्यु करना है या नहीं। नहीं करना है तो साफ इन्कार कर देना चाहिए और जब रिन्युअल के अन्दर है तो वक्त पर कर देना चाहिए।

[ श्री चांदमल मेहता ]

मैं इन शब्दों के साथ मेरे सारे कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं और माननीय गृह-मंत्रीजी से, जिन्होंने कि हाल ही में इस पोर्टफोलियो को सम्हाला, नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो ऑफिसर के खिलाफ जनता में भावना पैदा हुई है, मैं यह नहीं कहता कि विपक्ष में या पक्ष में बन सकी है, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था करें कि जो पुलिस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार है, सेवा करने के बजाय जो सेवा लेना चाहते हैं, उसमें सुधार हो। कोई बड़े से बड़ा कदम भी उठाना पड़े तो वह जनता के हित में उठावें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं।

**श्री सभापति**—श्री शंभूसिंह।

( अनुपस्थित )

श्री एच. के. व्यास।

( अनुपस्थित )

श्री बी.एन. जोशी।

**श्री विश्वम्भरनाथ जोशी**—मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"That the Demand for Grant No. XIV Major Head 29-Police be reduced to Re. 1/- ( to discuss the failure of the Government to check corruption in the Police Department")

चेयरमेन महोदय, पुलिस में भ्रष्टाचार के बारे में, इस सदन में जब से विधान सभा स्थापित हुई है, मैं समझता हूं, अधिकतर सदन के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। हर वर्ष बजट की बहस के दौरान में या श्रीमन् राजप्रमुख के एड्रेस के दौरान में सब सदस्य विचार व्यक्त करते हैं और सरकार की ओर से जवाब दिये जाते हैं, एक फॉर्मलिटी के तौर पर। उसको पूरा करके अपना काम आगे बढ़ाते चलते हैं। सभापति महोदय, मैं ऐसा मानता हूं और स्वयं माननीय मन्त्रीजी की जानकारी में है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार कितना है और वे क्या काम करते हैं, ऑलरेडी है। उन सारी बातों के बावजूद भी एक्शन कोई खास होता नजर नहीं आता है और ऐसा मालूम होता है कि क्या मन्त्रीगण, क्या सरकारी अफसरान और क्या जनता; ये सब ही करीब-करीब विश्वास खोते जा रहे हैं कि क्या कभी भी किसी सरकार के लिए यह सम्भव होगा कि पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को बन्द किया जा सके। यह भावना घर करती जा रही है कि यह करप्शन सरकारी कर्मचारियों में है और खास तौर पर इस सम्बन्ध में पुलिस का विशिष्ट हवाला है, जो टाला नहीं जा सकता और हटाया नहीं जा सकता है, चाहे कितना ही प्रयत्न किया जाय; इसको पूर्ण रूप से बन्द नहीं किया जा सकता। तो यह भावना घर करती जा रही है। इसके लिए समय पर कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम किसी दिन यह विश्वास करते थे कि देश में जनता की सरकार बनने के बाद पुलिस के महकमे का भ्रष्टाचार पूर्णतया बन्द नहीं हो सकेगा तो बहुत मात्रा में तो खत्म हो जायगा। लेकिन मैं समझता हूं कि विगत सात वर्षों में कोई खास प्रगति, जिसको सन्तोषजनक कहा

[ श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ]

जा सके, अब तक नहीं हो पायी है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यद्यपि जनता की सरकार द्वारा आम जनता के जीवन-स्तर को उठाने के लिए बड़ी-बड़ी योजनायें बनवा कर करोड़ों रुपये, देश-वासियों की कड़ी मेहनत के रुपये, पंचवर्षीय योजना में और अच्छी-अच्छी बातों में लगाये जा सकते हैं, उसके उपरान्त भी हम यह देखते हैं कि यह असन्तोष की भावना तथा मुल्क की निर्धनता जिस हद तक दूर होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। करोड़ों रुपये भी इन योजाओं में लगा दिये जायं मशीनरी में, किन्तु व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण उसका दुरुपयोग होता है। अरबों रुपया आज देश में खर्च हो रहा है, जनहित के कार्यों में खर्च हो रहा है, किन्तु जनता के लिए यह भावना बन गई है और यह विचार-योग्य विषय हो गया है कि लाखों-करोड़ों रुपयों का अपव्यय होता है और वह केवल सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण होता है। सरकार के दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी पुलिस पर है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि जहां-जहां, जिस-जिस जगह, चाहे सरकारी विभाग हों या जनता में हों, तो वह पुलिस के अधिकार-क्षेत्र की बात है कि वह उसको रोके और यदि नहीं रुकता है तो उसकी जिम्मेदारी भी पुलिस की है। उस भ्रष्टाचार को सात साल के स्वराज्य के बाद भी दूर नहीं किया जा सका है। इस विषय में मैं यह नहीं कहना चाहता कि पुलिस में कोई ईमानदार नहीं है। आई० जी० पी०, एस० पी०, इन्सपेक्टर्स, सब-इन्सपेक्टर्स कॉन्स्टेबल्स सब रिश्वत लेते हैं, नहीं। उनमें ईमानदार भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के आम कर्मचारियों की मनोवृत्ति में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो तब्दीली और परिवर्तन होना चाहिए था और जिस मात्रा में होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। सात साल पहले विदेशियों का राज्य था। विदेशी शासन को कायम करने की जड़ ही पुलिस थी। पुलिस रिप्रेशन की एजेन्ट थी और उसको यही माना जाता था। उसकी जो मनोवृत्ति थी वह शासक मनोवृत्ति थी। शासक समझते थे कि हम जनता से उठे हुए हैं और सारे लोगों पर हुकूमत करने का काम हमारा है। ये मनमाने तरीकों से काम करते थे किन्तु उसके विपरीत भी जनता की सरकार बनने के बाद भी, जब कि पुलिस के लोगों को महसूस करना चाहिए था कि अब जनता की सरकार बन गई है, जनता की सरकार को चलाने की जिम्मेदारी उन पर है, यह मेन्टेलीटी होनी चाहिए थी, उस मेन्टेलिटी को ऊपर के जो सीनियर अफसर हैं उन्होंने उसको कुछ एडजस्ट किया है, लेकिन उनसे जो छोटे हैं, पुलिस थानों के इन्चार्ज हैं, सब-इन्सपेक्टर्स हैं उन लोगों में बहुत कम एडजस्ट कर पाये हैं और उनसे भी नीचे लेवल के लोग हैं, कॉन्स्टेबल्स और हैड कॉन्स्टेबल्स, उनके बारे में तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वे बिलकुल ही एडजस्ट नहीं कर पाये हैं। उनके विचार, रुख और रवैये जनता के प्रति वैसे ही हैं जो कि आज से आठ-दस साल पहले विदेशी सरकार के वक्त में और राजाशाही के जमाने में थे। कहने को जन-सेवक हैं, पुलिस थानों पर लिखा हुआ है "मेरे योग्य सेवा, मे आई हैल्प यू, सर," इसके बावजूद भी वे जन-सेवक नहीं, वे उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। जो उनकी मेन्टेलिटी में एडजस्टमेन्ट होना चाहिए था, जो उनके रुख में परिवर्तन होना चाहिए था, वह अब तक नहीं हो पाया है।

आज जो शासन की स्थिरता है, उसके विषय में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज क्रिमिनल जस्टिस नहीं मिलता है। एक-एक मुकद्दमे में दो-दो, तीन-तीन साल लग जाते हैं। पुलिस

[ श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ]

वक्त पर अपने फरायज का अन्जाम नहीं देती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि सोश्यल वर्कर्स कुछ हद तक एन्थुज़ियाज़्म दिखा कर कुछ ज्यादा बातें कह जायं, जनता के लोग भी कहें और ऐसा कहा जाय कि वह पूरा सही न हो, लेकिन मैंने इस विषय में दरियाफ्त किया है और मजिस्ट्रेट्स को यह कहते हुए सुना है कि पुलिस उनके हुक्म की तामील नहीं करती है। फैसला होना चाहिए। ब्रीच ऑफ जस्टिस के केसेज़ में भी काफी दिक्कतें होती हैं। एक-एक आदमी की तामील कराने में पुलिस को साल, डेढ़ साल लग जाता है और मजिस्ट्रेट यह महसूस करता है कि वह एक सब-इन्सपेक्टर पर पांच रुपया जुर्माना नहीं कर सकता। किसी को जुर्माना करना है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सिफारिश करनी पड़ेगी कि फलां थानेदार के खिलाफ यह कर दिया जाय।

इस तरह से यह एक ऐसी व्यवस्था है कि पुलिस के कर्मचारी इसका भी दुरुपयोग करते हैं इस मजिस्ट्रेटी व्यवस्था का। कई दफा ऐसा होता है कि जिन पार्टीज़ के खिलाफ मुकद्दमा होता है उनसे मिल जाते हैं और यहां तक होता है कि मजिस्ट्रेट के हुक्म तक की उपेक्षा कर देते हैं। जिस तरह की उम्मीद मजिस्ट्रेट उनसे करता है वे उम्मीदें पूरी नहीं हो सकतीं। इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज इस डेमोक्रेसी में जनता का सरकार के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर से विश्वास उठता जा रहा है। पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जनता का विश्वास न सिर्फ पुलिस के महकमे से उठ रहा है, न सिर्फ सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से भी विश्वास उठता जा रहा है; पुलिस में व्याप्त करप्शन के कारण क्योंकि पुलिस आगे की पार्टी से मिल जाती है और इस तरह से गवाह वगैरह ठीक से नहीं हो पाते। इसलिये मजिस्ट्रेट्स को इन्साफ करने में कई मुश्किलातें आती हैं।

इस करप्शन के बढ़ने की वजह से, मैं समझता हूं कि बद-किस्मती से, पुलिस के सीनियर अफसरों की, दूसरे सरकारी अफसरों की भांति, एक मानव-प्रकृति सी बन गई है कि अपने मातहतों को शील्ड किया जाय। पक्षपात और भ्रष्टाचार के बारे में उनको पता होते हुए भी अपने मातहतों की शिकायत आने पर गवाह या शहादतें जो पेश होती हैं उनको दबाया जाता है। थानेदार वगैरह जो होते हैं वे इस तरह पब्लिक के कन्डक्ट में आते हैं कि तहकीकात के लिये हुक्म होता है या वारन्ट आदि होता है उसको पुलिस वाले सही तौर से एग्जीक्यूट नहीं करते। इससे होता यह है कि जो नतीजा मिलना होता है वह नहीं मिल पाता और अपराधी को सजा नहीं मिल पाती। सीनियर ऑफिसर अपने मातहतों को डिसऑनेस्ट समझते हुए भी सजा देना पसन्द नहीं करते। यह एक प्रकार से फाल्स नोशन आफ डिपार्टमेन्टल प्रेस्टीज (false notion of Departmental prestige) है। न मालूम वे इस मामले में किस प्रकार फेलो फीलिंग की भावना रखते हैं कि अपने महकमे के लोगों को जा-बेजा तरीके से, अपने मातहतों को प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड करते हैं। उनको गलत मानते हुए भी वे प्रोटेक्ट करते हैं। यह मनोवृत्ति सीनियर ऑफिसरों को निकाल देनी चाहिये और अपने मातहतों की शिकायतों की पूरी तरह से जांच करके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। यह मनोवृत्ति जब तक सीनियर ऑफिसर्स नहीं निकालते हैं तब तक पुलिस में व्याप्त भ्रष्टा-

[ श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ]

चार मिट नहीं सकता। शत-प्रतिशत तो भ्रष्टाचार का मिट सकना संभव नहीं, फिर भी इससे पुलिस के करप्शन में काफी कमी आयगी; ऐसा मेरा मानना है। जब तक आप पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाते तब तक सरकार के दूसरे विभागों में भी भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता और जनता का भी भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। पुलिस की यह हालत है कि सब से पहले कोई भी आदमी एफ०आई० आर० दर्ज कराने जाते हैं तो पहली बात तो यह है कि बिना कुछ लिये-दिये वे एफ० आई० आर० भी दर्ज नहीं करते। अक्सर ऐसे मामले मैंने देखे हैं और लोगों द्वारा यह कहते सुना है कि हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर कोई पुलिस का कर्मचारी इस तरह रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर कोई पुलिस का कर्मचारी इस तरह रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ पुलिस एक्ट की तहत बहुत संगीन जुर्म बन जाता है, थानेदार बर्खास्त किया जा सकता है। अगर किसी ने रिपोर्ट दर्ज भी कर ली और मार पीट का मामला हुआ तो उस पार्टी से मिल जायेंगे जिन्होंने मारा था और उनसे कुछ पैसा लेकर उस मामले को खराब करवा देते हैं ताकि अदालत में जाने पर भी उसका इन्साफ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने उनकी वाजिब मांग को मंजूर नहीं किया या उनके हाथ में कुछ नहीं रखा है तो वे उस मामले को काबिल पुलिस दस्तन्दाजी नहीं मानेंगे और यह करेंगे कि उस व्यक्ति ने यदि यह भी कहा है कि मुझे पांच आदमियों ने मारा तो वह रिपोर्ट में चार ही आदमी लिखेंगे। तो इससे होगा यह कि वह केस कोग्निजेबल केस नहीं बन सकेगा। इसके अलावा जब किसी के प्रोसिक्युशन का मामला होगा तो भी थानेदार यदि चाहेगा तो वह उसे अदालत के कठघरे से भी बचा देता है। वह गवाह वगैरह को बहका देगा। मजिस्ट्रेट द्वारा वारन्ट जारी करने पर भी पुलिस के कर्मचारी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने ११ साल तक वकालत की है। क्रिमिनल कोर्ट्स में इस प्रकार के मामले हम रोज देखते हैं और सालों तक चलने के बाद भी वे पूरी तौर से शहादत पेश नहीं कर पाते हैं और इस तरह से केस खारिज हो जाते हैं। आज हमारा क्रिमिनल कोर्ट्स का जस्टिस भी इन कर्मचारियों की अयोग्यता और कार्य-शिथिलता के कारण शिथिल हो चुका है। वारन्ट और समन की तामील नहीं होती, मजिस्ट्रेट के हुक्म की पुलिस तामील नहीं करती। वे तो क्या, छोटे-छोटे पुलिस कॉन्स्टेबल, हैड कॉन्स्टेबल तक मजिस्ट्रेट की परवाह नहीं करते। वे भी उनके हुक्म की उपेक्षा कर देते हैं और थानेदार बड़े अधिकारियों की परवाह नहीं करते। इसलिये जो रूल्स एन्ड रेगुलेशन्स हैं उनमें भी कमी है। मेरा तो यह मानना है कि पुलिस जिस इलाके की हो उसको सबोर्डिनेट मजिस्ट्रेट का हुक्म होना चाहिये। अगर उनके हुक्म के खिलाफ कार्यवाही करता है तो मजिस्ट्रेट को पॉवर होना चाहिये कि वे उनके खिलाफ एक्शन ले सकें।

सदन में भी दुर्भाग्य से एक प्रकार की मनोवृत्ति बन जाती है कि कोई भी सवाल सदन में पूछा जाता है तो महकमों के इन्चार्ज का यह रुख बन जाता है कि सरकारी मुलाजिमों को सपोर्ट किया जाता है। वे अधिकारी अपने मातहतों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपना कर्तव्य समझते हैं। जो कुछ भी उन्होंने किया, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, उसके लिये वे अपने अधीनस्थ कर्मचारी को जिम्मेवार नहीं कह सकते। लेकिन यदि उन्हें करप्शन को मिटाना है तो इस प्रकार की मनोवृत्ति का त्याग करना होगा और जो व्यक्ति गलती करता है उसको जिम्मेवार बनाना चाहिये। इसके लिये

[ श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ]

माननीय मंत्री महोदय को योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिये। आज पुलिस विभाग से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। अगर इसमें कुछ सुधार हो सका तो यह विभाग जनता में और दूसरे विभागों में करप्शन की कमी कर सकता है। यह एक नेसेसरी इविल है, अगर आप इसको ऐसा मानते हैं तो यह रिश्वत और भ्रष्टाचार हट नहीं सकेगा। और इसको कोई सरकार हटा नहीं सकेगी, यह भावना घर कर रही है लोगों के मनों में। यह प्रजातन्त्र के लिए एक घातक चीज है। मैं निवेदन करूंगा इस सरकार से कि इस सरकार को अगर किसी से खतरा है तो कॉम्युनिस्टों से इतना नहीं है, प्रतिक्रियावादियों की मनोवृत्ति से भी इतना खतरा नहीं है जितना अपने भ्रष्ट कर्मचारियों से है। इससे प्रजातन्त्र की सारी नींव खोखली हो रही है। यह राजस्थान की ही हालत हो, ऐसा भी नहीं है। सभी जगह यही हालत है। यह तो ऐसा रोग है, ऐसी महामारी है जिसके लिए योजनाबद्ध रीति से ही छुटकारा पाया जा सकता है। अगर इसके लिए जरूरत हो तो संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है। सरकार को, हमारी राजस्थान सरकार को इसके लिए अगर केन्द्रीय सरकार को कहना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिये। इन अधिकारियों को जो जरूरत से अधिक संरक्षण संविधान में दिये गये हैं, वे भी हटाये जा सकते हैं। मुआवजे के प्रश्न को लेकर संविधान में संशोधन की बात सोची जा सकती है, तो फिर क्यों नहीं यह जो गलत संरक्षण इन लोगों को दिया गया है उसको हटाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। आज इस संरक्षण की आड़ में रहकर ये कर्मचारी नाजायज फायदा उठा रहे हैं और सरकार की जनहित के लिए की जाने वाली करोड़ों की योजनाओं को सेबोटेज कर रहे हैं। यह एक बड़ा गम्भीर मसला है और इसको महसूस किया जाना चाहिये। फोर्मेलिटी के तौर पर बात सुन ली और जवाब दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिये। ड्रास्टिक एक्शन ऐसे मामलों में लिया जाना चाहिये और योजनाबद्ध ये सारे काम किये जाने चाहिये। यह सब कहने के लिए ही मैंने यह कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

**श्री भोपालसिंह**—निम्नलिखित विषय पर वद विवाद प्रस्तुत करने हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया; 'चोरियां ज्यादा होती हैं' इस विषय पर।

सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय को इस विषय में मैं कहूंगा कि एक नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जान-माल की हिफाजत की जाय। मगर जब से हमारी कांग्रेस का राज्य हुआ है तब से चोरियों और डकैतियों का होना मामूली बात हो गई है। ऐसा कोई गांव नहीं रहा, जहां चोरी न हुई हो या डकैती न हुई हो। हमारे काश्तकार लोग छोटी छोटी चीजें काश्त की, जो खेत के अन्दर होती हैं वे अपने घर पर उनको रोज सही सलामत नहीं ला सकते हैं और दुकानदार जो होते हैं वे हर एक चीज अपनी दुकान से घर पर नहीं ले जा सकते हैं। इनकी हिफाजत करने का खास काम पुलिस का होता है पर यह देखने को मिलता है कि पुलिस चोरों की मदद करती है और बजाय कम होने के चोरियां आये दिन बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए जाकर थाने में अगर रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस थानेदार चोरियों की संख्या, कहीं ज्यादा कागजों में न बढ़ जावे, इस भय से रिपोर्ट लिखाने आने वालों को वे कहते हैं कि इस तरह छोटी-छोटी चोरियों के लिए रिपोर्ट करेंगे तो मुकद्दमा चलेगा, तुम्हारा पैसा खराब होगा, आना-जाना पड़ेगा, ' समय नष्ट होगा,

[ श्री भोपालसिंह ]

हैरान होवोगे, काम-काज से जाओगे, सो अलग। तो इस तरह से लोगों को कहा-सुना जाता है। परिणाम यह होता है कि वे ऐसी छोटी-मोटी चोरियां दर्ज ही नहीं कराते। तो मेरी यह अर्ज है कि चोरियों की संख्या कागजों में बढ़ने के भय से जो थानेदार उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज किया करते उसके लिए ऐसा प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये कि हर एक रिपोर्ट दर्ज हो और उसकी पूरी पूरी तफतीश हो।

पहले राजाओं के राज्य में चोरी हो जाती थी या डकैती हो जाती थी तो खास तौर पर पुलिस वालों की तनख्वाह बन्द कर दी जाती थी, जब तक कि चोरी या डकैती का ठीक पता नहीं लग जाता था। इसके लिए वे लोग पूरे तौर से कोशिश करते थे और पता लगाते थे। पर आजकल तनख्वाह रोकना तो बहुत बड़ी बात है, पर यह सख्त तौर से हिदायत तक नहीं दी जाती कि पूरी कोशिश करके चोरी का पता लगाया जावे।

मेड़ता तहसील में पादू थाना है। वहां जरायमपेशा कौम ज्यादा रहती है। वहां पर आज उनको हाजिरी माफ हो जाने की वजह से खास तौर से अब चोरियों का धन्धा शुरू कर दिया गया है और यहां तक कि रीजां और चार-पांच गांव और हैं उनमें थानेदार को लोगों ने जब कहा कि चोरियां अब ज्यादा होने लगी हैं और इसका बन्दोबस्त करिये तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अपनी तरफ से रुपया इकठा करके रखवाले रख लो। लोगों ने बाड़मेर की तरफ से लोगों को लाकर सात-सात रुपये महीने पर रखवाले रख लिये और चोरियां कम होने लगीं। पर जब चोरों को यह भय होने लगा कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी तो वे थानेदार से मिल गये और इस पर फिर थानेदार ने यह आश्वासन दे दिया कि तुम अपने रखवाले हटा लो, हम इन्तजाम कर लेंगे। उधर चोरों को कह दिया कि तुम चोरियां करो और हमारा हिस्सा हमें दे दिया करो, हम दस्तन्दाजी नहीं करेंगे। वापिस उन्होंने चोरियां शुरू कर दीं। कुछ रखवाले लोगों ने रहने दिये। रखवालों ने कुछ चोरों को पकड़ा भी, पुलिस में इतिला भी दी पर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। जब ज्यादा चोरियों का नम्बर बढ़ने लगा तो यह भी कहने लगे कि तुम अपने रखवाले बन्द कर लो। तो इस तरह से आज गांवों में लोग अपनी जान-माल के लिए भी भयभीत हैं। उन्हें यहां तक डर है कि कहीं चोर उनकी जान तक न ले लें। उन लोगों ने यहां आकर आई. जी. पी. को भी अर्ज किया। रजिस्ट्री से रिपोर्ट भी भेजी गई पर वे रिपोर्टें भी वापिस लौटा दीं।

जिस गांव का मैंने जिक्र किया, वहां के जरायमपेशा मशहूर हैं और भारत के कोने-कोने से सजायाफ्ता भी हैं। उन पर फिर भी निगरानी नहीं रखी जाती। इसका नतीजा यह है कि जनता आज उनसे दुःखी है और इसके लिए मेरी अर्ज है कि कुछ इन्तजाम इसका होना चाहिये, नहीं तो लोग शहरों की शरण लेंगे और देहात उजड़ने लगेंगे और वहां की काश्त बिल्कुल बन्द हो जावेगी। इसलिये यह खास अर्ज है कि चोरों का पूरा-पूरा बन्दोबस्त किया जावे।

**श्री सभापति** ( श्री गुलाबचन्द कासलीवाल ) —श्री खेतसिंह।

**श्री खेतसिंह**—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"That the Demand for Grant No. XIV, Major Head 29-Police be reduced by Rs. 10/-( to discuss the insufficiency of Police Force in the Rajasthan State). "

[ श्री खेतसिंह ]

... चेयरमेन साहब, आज से दो वर्ष पूर्व इस सदन में मेरे कई मित्रों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया था कि हमारे यहां पर कानून की व्यवस्था अच्छी नहीं है और इसलिए हमें चाहिये कि चाहे स्कूलें खोलें या नहीं, चाहे हमारे अस्पताल हों या नहीं, चाहे कोई नई सड़क बने या नहीं, पर कम से कम ये जो डकैतियां ज्यादा बढ़ रही हैं उनमें कमी आनी चाहिये और इसके लिए सारा का सारा पैसा भी अगर पुलिस पर खर्च कर दिया जावे तो एतराज नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आज दो वर्ष पहले वाली हालत नहीं रही, पर फिर भी हम अभी तक पूरे कामयाब नहीं हो पाये हैं। आज भी कई डाकुओं के गैंग्स मौजूद हैं जो कि कुछ अर्से में काफी डाकू मारे गये या पकड़े गये, इसलिए चुप होकर बैठ गये हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमने पूरी कामयाबी हासिल कर ली है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज प्रान्त के हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े-बड़े डाकुओं के गैंग्स मौजूद हैं। कोटा में अमृतलाल......

**एक माननीय सदस्य**—श्री अमृतलाल जी यादव ?

**श्री खेतसिंह**—अमृतलालजी यादव नहीं, अमृतलाल डाकू है। इसी प्रकार जैसलमेर और उसके आस-पास में भंवरसिंह, जगमालसिंह, पुंगल के इलाके बीकानेर में इतनी बड़ी धाक बैठी हुई है आज दिन भी। आज वहां कोई आदमी चैन से नहीं घूम सकता। इसी प्रकार सीकर में शैतानसिंह, भैरोंसिंह और जवानसिंह और मेघला आदि अरावली हिल्स में घूमते फिर रहे हैं।

मेरा यह कहने का मतलब नहीं कि आज भी वैसी ही स्थिति है, पर यह जरूर है कि पुलिस ने इनके सिलसिले को कम जरूर किया है; पर ज्योंही मौका ये लोग पाते हैं बड़े मजे की रकम लूट कर ले जाते हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि जो हमारे गृहमन्त्री महोदय ने अपने भाषण में पहले भी कहा था कि १५०० आदमी कम कर दिये गये हैं पुलिस फोर्स में से और इस पर शाबाशी पाने का प्रयत्न किया था, पर मैं कहूंगा कि इसको कम करके आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान एक विस्तृत इलाका है। पहाड़ इसमें हैं, रेगिस्तान लम्बे-चौड़े इसमें हैं। अगर आप फोर्स में कमी कर देंगे तो यह होगा कि वापिस डाकू लोग अपनी कारगुजारियां शुरू कर देंगे और इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं तो इस बात पर जोर दूंगा कि पुलिस फोर्स कम न करें, बल्कि आर. ए. सी. की एक बटालियन और बढ़ावें, ताकि पाकिस्तान की ओर से जो हमले होते रहते हैं और जो काफी होते हैं, उनकी रोक-थाम की जा सके।

साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि पुलिस का कोई कॉन्स्टेबल डाकुओं या चोरों से मुकाबले में मारा जाता है तो उसको इनाम बहुत कम दिया जाता है, सौ-दो सौ का इनाम देकर टाल दिया जाता है। इसी प्रकार थोड़ा अधिक सब-इन्सपेक्टर को मिलता है और इससे ज्यादा इन्सपेक्टर और इससे ज्यादा एस. पी. आदि को मिलता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर कॉन्स्टेबल मारा जावे तो सबसे ज्यादा उसको दो, बनिस्बत इसके कि आप जो सब-इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर या डी. वाई. एस. पी. या एस. पी. को देते हो क्योंकि वह कॉन्स्टेबल ही होता है जो जान हथेली पर रखकर मुकाबले में आगे रहता है। पर जब वह भी देखता है कि अगर इसमें मारा जाऊंगा और मारे जाने के बाद इसका नतीजा

[ श्री खेतसिंह ]

कोई अच्छा नहीं मिलेगा या बहुत मामूली सा नतीजा मिलता है तो उसका दिल भी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी कॉन्स्टेबल किसी भी मुटभेड़ में अगर गोली का शिकार हो जाय अथवा घायल हो जाय तो उसको सबसे अच्छा इनाम मिलना चाहिये और उसकी तारीफ भी अच्छी तरह से होनी चाहिये और उसे तरक्की भी देनी चाहिये ताकि पुलिस वालों को यह प्रोत्साहन मिले कि वह भी आगे बढ़ें और मुकाबले में कामयाब होने की कोशिश करें; वर्ना यह होता है कि कमतरीन पीछे भागा और डाकू रूहपोश हो गये; इसलिये जनरली कामयाब नहीं होते हैं।

इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि छोटी और बड़ी स्टेट शामिल होकर राजस्थान बना है। उन स्टेटों में पुलिस फोर्स बहुत कम थी और पुलिस के थाने वगैरह जो पहिले थे वे बिल्कुल उसी हालत में हैं। थानों में कोई तरक्की नहीं हुई है। न तो नये थाने और न नई पुलिस चौकियां कायम हुई हैं। कई स्थानों पर जैसे कि हमारा जिला; मसलन् शेरगढ़ है वहां १०० साल पहले जो थाने थे वेही आज तक काम करते हैं, सौ साल पहले जो पुलिस की चौकियां थीं वही आज भी हैं। आज चौकियां न बढ़ी हैं और न थाने बढ़े हैं। कम से कम आज की पॉपुलेशन को देखते हुए और वहां के लोगों की माली हालत को देखते हुए यह आवश्यक था कि एकाध चौकी या एकाध थाना और बढ़ाते। इससे तो लोगों को राहत मिलती।

वहां के थानों पर वायरलेस सेट्स का होना जरूरी है। वहां डाकू आते हैं और डाका डाल कर ज्यों के त्यों भाग जाते हैं और थाने में खबर नहीं पहुंच पाती है। पैदल आदमी इत्तिला देने जाता है तो उसमें ४-५ घन्टे लग जाते हैं और पुलिस वाले आते हैं तब तक वे भाग जाते हैं और पुलिस वाले पीछा करते हैं तो बोर्डर के अन्दर चले जाते हैं और पुलिस वाले निराश वापिस लौट आते हैं। अगर वायरलेस के सेट्स उनके पास हों तो वे सामने वाले थाने को इत्तिला कर सकते हैं कि डाकू डाका डालकर रवाना हो गये हैं तो वे सामने थाने वाले उनको रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी बोर्डर के थानों पर वायरलेस सेट्स का इन्तजाम करें और नये इक्विपमेंट दे दें। इसलिए यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं कह सकता हूं कि भंवरसिंह और जवानसिंह के गेंग की कार्यवाही उस इलाके में इतनी बढ़ जयगी कि लोगों का रहना मुश्किल हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि खासतौर से तवज्जह देकर जल्दी से जल्दी इस बात का प्रबन्ध करावें।

**श्री सभापति**—मांग संख्या १४ पर १३ कटौती प्रस्ताव थे, उसमें से ११ उपस्थित हो चुके हैं। इसमें २ माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर अप्रस्तावित रहे। जो माननीय सदस्य इन ११ कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहें, वे बोल सकते हैं।

**श्री मानसिंह महार**—माननीय चेयरमेन, पुलिस विभाग के बारे में कई प्रकार के कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। आज अगर राजस्थान में किसी विभाग को लेकर यह कहा जाय कि उस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है तो इसको मैं करीब-करीब गलत ही मानता हूं, लेकिन यह बात अवश्य कही जायगी कि आज के युग में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार जितना पहले था उतना ही मौजूद है; कम-बेशी नहीं हुआ है। यह बात उस विभाग के बारे में जरूर कही जाती है।

# Page No.64



[ श्री मानसिंह महार ]

इसके अलावा जो हमारे बजट में २५ लाख रुपये की पुलिस विभाग के बारे में कटौती की गई है, इसको हमारे शेरगढ़ से आये हुए मित्र की तरह से मैं भी एक खतरनाक चीज मानता हूं। मैं इस चीज को मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर अभी इस समय वह स्थिति नहीं आई है कि जिसमें कि हमको कुछ इसका खर्चा कम करना चाहिए। राजस्थान पुलिस की सतर्कता और राजस्थान की पुलिस के अफसरान, मैं खास तौर से उन अफसरान का जिक्र करता हूं जो कि बम्बई या यू० पी० या मध्यभारत से मंगाये हुए नहीं हैं, जो कि राजस्थान के ही हैं, उनकी सतर्कता का जिक्र करते हुए कहना चाहता हूं कि उनकी दौड़-धूप, अन्दरूनी वक्फियत से राजस्थान के अन्दर डकैतियों में आवश्यक कमी

( करतल-ध्वनि )

हुई है। डाकुओं के कई गिरोह कम हो गये हैं, लेकिन फिर भी हमें देखना यह है कि राजस्थान में चोरियों का क्या हाल है? गांवों के अन्दर, चेयरमेन महोदय, अगर हम जाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि चोरियों की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। चोरियों की संख्या में कमी नहीं होने के अलावा चोरियों की ओर हमारी सरकार का विशेष ध्यान नहीं है। अगर कहीं पर एक छोटी-मोटी डकैती हो जाती है तो वह चोरियों के मुकाबिले में हलकी नहीं होती है। अगर दो-चार दिन में या शाम के वक्त गांव में जाकर किसी घर को लूट कर भाग जाते हैं तो उसको डकैती की संज्ञा दे दी जाती है और पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट, डी० आई० जी० और डी वाई० एस० पी० सारे दौड़ कर जाते हैं, उसकी जांच-पड़ताल करते हैं; लेकिन अगर कोई चोरी की रिपोर्ट कम तादाद की होती है तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और चोरियों की बरामदगी बहुत कम होती है। तो अगर चेयरमेन महोदय, हमारे मन्त्रीजी इस २५ लाख रुपये की कमी नहीं करके, इस २५ लाख रुपये क चोरियों वगैरह की बरामदगी की ओर बढ़ाने में लगाते तो बहुत उपयुक्त होता, और राजस्थान सरकार सही मायने में जनतन्त्र का लाभ उठा सकती है। किन्तु चोरियों की तरफ तो हमारी सरकार का

( श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन )

यह रवैया है कि महीना, २० दिन गुजर जाते हैं तो ऐसे उदासीन हो जाते हैं और किसी प्रकार से निवेदन किया जाता है तो आप फरमाते हैं कि बहुत समय बीत गया, तलाश करना ही मुश्किल है। तो इस प्रकार की जो नीति है, वह गलत है।

इसके अलावा राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि...

**श्री खेतसिंह**—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, आपके भाई के घर चोरी हुई थी; उसका पता लगा या अभी तक यों ही है?

**श्री मानसिंह महार**—मैं यह निवेदन करूंगा कि चोरी का पता नहीं लग सका है। कोई राजस्थान पुलिस के सब से उच्च अधिकारी जो हैं वे यह चाहते नहीं हैं कि चोरी का पता लगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है। चोरी का पता नहीं लगा है। खैर, वह मेरी व्यक्तिगत बात है। उसके लिए मैं निवेदन नहीं करता, लेकिन हमारे गांव के अन्दर की दो-एक, अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने, मिसालें रखूंगा। चोरियों के बारे में एक नई बीमारी जो कि आजकल पैदा हो रही है वह यह है कि

[ श्री मानसिंह महार ]

नेतागण चोरों का आजकल पक्ष लेने लगे हैं। इस पक्षपात के कारण थानेदार, डी वा ई० एस० पी० और सुप्रिन्टेन्डेन्ट परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार का एक केस सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस प्रकार का मामला चौमू थाने का है। चौमू के अन्दर एक आदमी के चोरी हुई। वह आदमी चिल्ला-चिल्ला कर, पुकार पुकार कर ६ महीने से कह रहा है कि मेरी चोरी फलाने ने की है, फलां देवी जी हैं, फलां आदमी है; लेकिन उनकी सिफारिश कुछ हम जैसे आदमियों की होने की वजह से उस चोरी के अन्दर किसी प्रकार की तफतीश करने में पुलिस नाकामयाब रही है और पुलिस उस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रही है।

दूसरा मामला डेराडार गांव का है। उस गांव के अन्दर मीणों की बस्ती है। वहां एक ब्राह्मण का घर है। उस गांव में जितने मीणें हैं वे उस ब्राह्मण के खिलाफ हैं। उन मीणों ने हमारे इलाके के जितने नेता हैं उन सब से हाथ मिला रखा है और उस गरीब ब्राह्मण के यहां दो-दो बार चोरियां हो चुकी हैं। उस ब्राह्मण को पीटा गया है, लेकिन उस अकेले ब्राह्मण का कोई सुनने वाला नहीं है। जब पुलिस वालों से जाकर कहता है तो वे लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहां तहकीकात करने कल आयेंगे, परसों आयेंगे। यह उचित नहीं है। यह मैं मानता हूं, सदन के सामने कहता हूं कि उस मामले में कोई कहे कि पुलिस वालों ने रिश्वत ले ली होगी तो सरासर गलत है। उस मामले के अन्दर रिश्वत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव डाला गया है और वह दबाव आप समझ लीजिये मेरा ही है या मेरे साथी एक्स. वाई. जेड. का है। इस वजह से पुलिस अधिकारी मजबूर है और वे लोग लूट-मार कर रहे है। इसलिये मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह चोरी का मामला है; बेचारा गरीब आदमी है, गांव में अकेला है, उसका कोई सहायक नहीं है; इसलिये उसकी इमदाद करेंगे और इस प्रकार की बीमारी को मिटाने की कोशिश करेंगे।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की पुलिस फोर्स डाकुओं का मुकाबला कर रही है। हमारे यहां के पुलिस कर्मचारी बहुत जगह डाकुओं के मुकाबले में मारे गये हैं और आहत हुए हैं। क्योंकि राजस्थान में डाकू बहुतायत से पाये जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी काबिल सरकार इस फोर्स के सिपाहियों को मुआवजा देना तो दूर रहा इनकी कोई तवज्जह नहीं करती। मैंने यहां पर एक बार हमारे यहां के पुलिस सिपाहियों की तनख्वाह का मुकाबला हमारे पड़ोसी राज्य अजमेर की पुलिस से किया था कि वहां पर हमारे यहां से डेढ़ी तनख्वाह मिलती थी। उस समय इस बात को यह कहकर टाल दिया था कि हमारी फाइनेन्शियल पोजिशन ऐसी नहीं है कि हम ज्यादा खर्चा कर सकें। लेकिन आज आप यहां २५ लाख रुपयों की कटौती पुलिस के बजट में कर रहे हैं। यदि आप इन्हीं रुपयों से सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ाते तो पुलिसवाले आपकी प्रशंसा करते और दुगुनी सतर्कता से काम करते और राजस्थान में चोरियाँ व डकैतियाँ पहले से आधी हो जातीं। आज हम शिकायत करते हैं कि हमारे पुलिस विभाग और फलां विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है। एक तरफ तो आप उसको ४० रु० माहवार देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग रिश्वत लेते हैं। एन्टी-करप्शन वाले ६० परसेन्ट केसेज़ इन गरीब हैड कॉन्स्टेबल्स और सिपाहियों के पकड़ते हैं। यदि रिश्वत ही पकड़नी हैं तो आप चोटी पर जाइये। आप पुलिस विभाग की चोटी पर जाइये जहां

[ श्री मानसिंह महार ]

हजारों-लाखों रुपयों का सौदा होता है। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार कोशिश करती है। लेकिन ऊपर पहुँचती है तो सरकार नीची हो जाती है, मजबूर हो जाती है। यदि ऐसी बात है तो मजबूरी को दूर करके हिम्मत से काम लीजिये। यदि मन्त्रीजी यह फरमा दें कि पुलिस के ऊंचे स्तर पर रिश्वतखोरी नहीं है तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वे ऐसा नहीं कह सकते। वहां पर किस प्रकार से थानों की बिक्री होती है, थानेदारों की बदलियां होती हैं, किस प्रकार एक जूनियर आदमी को थानेदार से सर्कल इन्सपेक्टर बनाया जाता है, वह सर्वविदित है। ये सब बातें वहां पैसों के बल पर होती हैं। सीनियोरिटी का वहां कोई ध्यान नहीं होता है। हम लोग शिकायत करते हैं तो यह क्यों नहीं कहते कि फलां कॉन्स्टेबल हैड कॉन्स्टेबल पक्षपात से बनाया गया या फलां हैड कॉन्स्टेबल सब-इन्स्पेक्टर पक्षपात से बनाया गया। ऐसा इसलिये नहीं कहा जाता है कि कॉन्स्टेबल और हैड-कॉन्स्टेबल इतना पैसा नहीं दे सकते, इसलिये उनका प्रमोशन भी नहीं होता। लेकिन जो लोग सब-इन्स्पेक्टर के केडर से ऊपर पहुँच जाते हैं वे हजारों का सौदा करते हैं। सौदा ही क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जूनियर आदमियों को सर्कल इन्स्पेक्टर बना देते हैं जिनका लिस्ट में कोई ठिकाना ही नहीं होता है। मैं नाम लेकर आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। अलवर जिले में किशनलाल नाम का एक थानेदार था जो बहुत ही जूनियर आदमी था। कुछ दिन वह सी० स्कीम में थानेदार रहा और वहां वह उच्चतम अधिकारियों की सेवा-पूजा करता रहा। उसके बाद उसने अलवर में सेवा-पूजा की। आज वही किशनलाल जैसा जूनियर आदमी जिसको सब-इन्स्पेक्टर की लिस्ट में रहने में ही संदेह था, सर्कल इन्स्पेक्टर हो गया। नतीजा यह हुआ कि आज उससे जितने भी सीनियर आदमी हैं वे कानाफूसी करते हैं कि राजस्थान में ईमानदारी का क्या काम है? हम ईमानदारी से काम करते हैं, सौदेबाजी में हाथ नहीं डालते हैं तो आज नीचे पड़े हैं। लोग यह कहते हैं कि पुलिस के सब अफसर चोर हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि कई अफसर ऐसे ईमानदार हैं जिन पर पुलिस विभाग को गर्व होना चाहिये। लेकिन ऐसे आदमी २०-२० साल से थानेदार के पद पर पड़े हुए हैं। उनके खिलाफ रिश्वतखोरी, बदइन्तजामी आदि की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और रिश्वतखोर पैसों के बल पर बढ़ जाते हैं। यदि मन्त्रीजी वाकई न्याय करना चाहते हैं तो मैंने जो उदाहरण बताया उसकी जांच करेंगे और यदि वह किशनलाल वाकई कई आदमियों से जूनियर है तो वापिस उसको सब-इन्स्पेक्टर बनायेंगे। तो मैं मानूंगा कि जनतन्त्र में न्याय होता है और यदि मिसाल देने पर भी उसके मामले को छिपाया जायगा तो मैं कहूंगा कि इस सदन पर जो पैसा खर्च होता है वह व्यर्थ होता है।

अध्यक्ष महोदय, समय तो हो गया है, लेकिन आप फरमावें तो कुछ और कह दूं!

**श्री अध्यक्ष**—आप ही आप बोलेंगे क्या?

**श्री मानसिंह महार**—मैं बहुत कम बोला हूं, वैसे आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है।

**श्री अध्यक्ष**—अच्छा, थोड़ी देर और बोल लीजिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, एक बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जिस समय मैं जयपुर की सड़कों पर डिपार्टमेन्टल मोटरों को देखता हूं तो मेरा खून उबलने लगता है। किसी मोटर पर लिखा होता है-कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट, किसी पर लिखा हुआ होता है-पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट और किसी पर क्या......

श्री अध्यक्ष—आप तो जनरल डिस्कशन पर आ गये।

श्री मानसिंह महार—पुलिस की जीपों को बाउन्ड करने में क्या जस्टिफिकेशन है? यह निवेदन करना है। जिन डिपार्टमेन्ट्स को एक भी जरूरी काम नहीं होता है उनको मोटरें दे देते हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट को मोटर की क्या जरूरत है? फिर भी उस विभाग के पास जीपें हैं। लेकिन जिन सब-इन्सपेक्टर्स, इन्सपेक्टर्स और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को डाकुओं का पीछा करना पड़ता है उनमें से ६० पर्सेन्ट के पास मोटरें या जीपें नहीं हैं। हम चाहते हैं कि चोरियां रुक जायं, डाके रुक जायें; लेकिन रुकें कैसे? चोर और डाकू पहले तो सड़क पर भागते हैं और १५ मील पर जाकर बस पकड़ लेते हैं और भाग जाते हैं और हमारे यहां के पुलिस वाले ऊंटों पर बैठ कर चोरों का पीछा करते हैं। तो आज के युग में ऊंटों पर बैठ कर चोरों का पीछा नहीं कर सकते। जितना पैसा राजस्थान सरकार मिस्लेनियस डिपार्टमेन्ट्स को जीपें देने में खर्च करती है—जैसे इर्रिगेशन, कोऑपरेटिव आदि विभागों को जीपें देकर जो पैसा खर्च करती है, उसको बन्द करना चाहिये और उनसे जीपें और गाड़ियां रिक्वीजीशन करके पुलिस विभाग को देनी चाहिये, ताकि इस डिपार्टमेन्ट से जनता की रक्षा हो सके। हम यह जानते हैं कि रक्षा मोटरों से होगी, लेकिन ये दूसरे डिपार्टमेन्ट जो हैं वे फालतू पेट्रोल जलाते हैं। वह भी बच सकता है और इससे सरकार को किफायत भी होगी और जनता के जान-माल की रक्षा होगी।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग के जितने भी अफसरान हैं उनको अपने मातहतों के साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिये। आज के युग में हमारे पुलिस विभाग ने जो कुछ अच्छा काम किया है थोड़ा-बहुत, वह इन सिपाहियों की वजह हुआ है, इसलिये इन सिपाहियों की बहबूदी के लिये हर प्रकार का काम करना चाहिये। हमारी जयपुर पुलिस लाइन्स में सिपाहियों के लिये रोटियों वगैरह का इन्तजाम जो है वह ऐसा नहीं है, जैसा कि होना चाहिये। जब अफसरों को कहते हैं तो कहा जाता है कि हम रोटियों के लिये १५ रु० काटते हैं और इतने रुपयों में ऐसी ही रोटी दे सकते हैं। आप १५ रु० के बजाय १८ रु० काटिये, लेकिन उनको राशन ठीक से दीजिये। जैसे कहा गया है कि फौज पेट से लड़ती है, राजस्थान में कोई फौज नहीं है, इस सूरत में पुलिस ही फौज है। यदि आप उनके लिये रोटी का इन्तजाम नहीं करेंगे तो वे डाकुओं और चोरों का मुकाबला करने में नाकामयाब होंगे। ये चन्द बातें कह कर मैं यह निवेदन करूंगा कि २५ लाख रुपयों की जो बजट में कमी की गई है यह राजस्थान के लिये दुर्भाग्य की बात है। दिखावे के लिये यह कहने से कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिये हम पुलिस पर कम खर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हमारे गांवों में जाकर देखिये कि ये किस भाव पड़ते हैं? जहां आये दिन डाके पड़ते हैं, औरतों को भगा कर ले जाते हैं, वहां आपका लोक-कल्याणकारी राज्य कहां चला जाता है और यहां आप पैसे बचा कर लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं; यह आपका दिखावा-मात्र

[ श्री मानसिंह महार ]

है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आयन्दा सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में इन २५ लाख रुपयों को दुबारा लेकर राजस्थान का आप वास्तविक भला करेंगे, ऐसी मुझे आशा है । नहीं तो राजस्थान की बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है ।

( श्री मुक्तिलाल मोदी के बोलने के लिये खड़े होने पर )

**श्री अध्यक्ष**—अब आप कैसे बोलना चाहते हैं ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—चेयरमेन महोदय ने कहा था कि मैं फिर बोल सकता हूं, इसलिये बोलना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष**—रूल्स बिल्कुल साफ हैं कि एक मेम्बर एक ही बार बोल सकता है ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—चेयरमेन जी ने हाउस में इस बात का ऐलान किया है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

**श्री अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !

( घन्टी )

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—मुझको जबाव तो दीजिये ।

**श्री श्रीदास गोयल**—इनका कट-मोशन था तो माननीय चेयरमेन साहब ने फरमाया तो था कि दूसरे कट-मोशन पर बोल लेना ।

**श्री अध्यक्ष**—श्री हंसराज आर्य ।

**श्री हंसराज आर्य**—आज सदन के सामने जो पुलिस की डिमान्ड है उस पर श्री खेतसिंह ने कट-मोशन रखा है, उसका मैं अनुमोदन करूंगा । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि रिश्वत सब जगह है, पुलिस भी इससे बची हुई नहीं है । मैं मानता हूं कि पुलिस में रिश्वत है पर और भी ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां कि रिश्वत न हो । पर यह कह देना कि रिश्वत केवल पुलिस में है और वह भी इन दिनों में अपनी सीमा पार कर गई है, यह तो अभी चन्द दिनों में सुनने को मिला है । आज से पहले भी इस सदन में कई बजट पेश हुए हैं, उनमें पुलिस की मांगें आई हैं लेकिन इतनी लम्बी-चौडी बातें सदन के सामने नहीं आई हैं । यह तो मानने में नहीं आता कि इन चन्द महीनों में पुलिस की रिश्वत इतनी बढ़ गई कि मेरे मित्रों को यह कहने की नौबत आ गई कि वह अपनी सीमा को पार कर गई है । उसकी सीमा कब किस जगह खत्म हुई, जरा माननीय सदस्य बतायें तो सही । यह सही बात है कि चोरी-डकैती होती है, रिश्वत भी सभी महकमों में है हां, परन्तु हमें उन

[ श्री हंस राज आय ]

दिनों की बातों की ओर भी ध्यान देना होगा जिस समय सबसे पहले हमारा सदन मिला, उसमें एक स्वर से माननीय सदस्यों की आवाज थी कि हमारी हरएक विकास-योजनाएं रोक दी जावें, सारी स्कूलों को चाहे बन्द करना पड़े परन्तु सारी ताकत जो प्रान्त की है उसको पुलिस पर लगा कर चोरियों-डकैतियों को रोका जाय, जिसने प्रान्त में मनुष्य का जीना मुश्किल कर दिया है। सब से पहले जब हम इस सदन में मिले, उस समय राजस्थान की जो हालत थी वह हमें याद है, उस समय मनुष्य का जीना ही नहीं बल्कि बहन-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का मुझे उस समय का अनुभव है। किसानों की बहू-बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई थी और वहां के किसानों की लड़कियों की शादियां, सगाई और मुकलावे तक डाकुओं के द्वारा होते थे। किसानों की बहन-बेटियों की (सगाई) मंगनी पहले कहीं हो भी गई होती तो भी डाकुओं के कहने से मंगनी छोड़ देते थे और जहां डाकू कहते थे वहां उनकी सगाई (मंगनी) हुआ करती थी। उस समय हमने आवाज लगाई थी कि स्कूलें सड़कें बन्द करदी जायं, पर यहां के किसानों की जान माल और बहू-बेटियों की इज्जत बचा ली जाय। आज उन बातों को मेरे माननीय मित्र भूल गये और लम्बी-चौड़ी बातें कहते हैं कि पुलिस में रिश्वत बढ़ गई है, वह अपनी सीमा पार कर गई है। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि रिश्वत नहीं है। रिश्वत है, लेकिन वह केवल पुलिस में ही नहीं बल्कि सब विभागों में है। ईमानदारी से देखा जाय तो रिश्वत जिस प्रकार दूसरे महकमों में है उसी प्रकार पुलिस में भी है। रिश्वत अभी रुक नहीं गई है, पर यह भी मानना पड़ेगा कि राजस्थान की पुलिस ने बहुत बड़े बहादुरी के काम किये हैं, डाकुओं को मारने में उत्तर प्रदेश की पुलिस के बाद राजस्थान पुलिस का भारत में दूसरा नम्बर है। जब से राजस्थान का निर्माण हुआ है तब से और खासकर १९५२ के इलेक्शन्स के बाद से राजस्थान की पुलिस ने बडी बहादुरी से काम किया है। सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को मालूम है कि जब डकैतों की लिस्ट सदन के सामने आती है तो कितनी लम्बी-चौड़ी लिस्ट आती है; उसमें से कितनों को ही मार दिया, कितनों को भगा दिया गया और कितनों को ही पकड़ लिया तथा पुलिस द्वारा की गई इस मार-काट के डर से कितने ही डाकुओं ने अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया। अगर राजस्थान की पुलिस में बहादुरी तथा मुकाबिला करने की हिम्मत नहीं होती तो यह नहीं होता। यह भी मानना पड़ेगा कि पुलिस के बहादुराना तरीके से किये गये मुकाबले के डर से बचे हुए डाकुओं को अपनी जान बचाने को पाकिस्तान की शरण लेनी पड़ी है। बीकानेर में मशहूर से मशहूर डकैत थे, उनमें से कई मारे गये, कई पकड़े गये और एक-दो हैं वे पाकिस्तान की शरण में पड़े हैं। मिस्टर हनुमानप्रसाद जी शर्मा, डी. आई. जी जब तक वहां नहीं थे, सच तो वहां के किसान कहने से इन्कार करते थे। गांवों में डाकू बन्दूकें और मशीनें लिये हुए फिर रहे थे, पर उन्हें कोई नहीं बताता था कि डाकू यहां घूम रहे हैं। क्योंकि उन्हें डर था कि यदि सच्ची बात बतायेंगे तो कल ये डाकू लोग हमें मार डालेंगे, बर्बाद कर देंगे। डी. आई. जी शर्मा के वहां जाने से बाद ही डकैतों का सफाया हुआ व जो बचे हैं वे पाकिस्तान की शरण में चले गये।

माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करूंगा। मैं यह मानता हूं कि रिश्वत की गड़बड़ है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान की पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि डकैतों के मामले में जो कर्मचारी मारे जाते हैं उनको आज तक जो कुछ दिया गया है उससे ज्यादा दिया जाय, जिससे डकैतों से मुकाबला करने में पुलिस वालों का हौसला बढ़े।

Page No.70



[श्री हंसराज आर्य]

इसके बाद मैं गृह-मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि जैसलमेर जिले की बाप तहसील के कुछ गांवों को जो बीकानेर जिले में मिलाया गया है, उनकी देख-रेख अभी जैसलमेर जिले की पुलिस के हाथों में है। मेरी प्रार्थना है कि उनकी देख-रेख की बजाय बीकानेर जिले की पुलिस के सुपुर्द की जाय।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि पुलिस में से काम नहीं किया है, जैसा कि मैंने अर्ज किया और महकमों में गड़बड़ है, पुलिस में भी है, इस रिश्वत के मामले में भाकरा डेम पुलिस से भी आगे है। जितनी आलोचना पुलिस की की गई है उसमें वास्तविकता नहीं है। चन्द दिनों में ही रिश्वत सीमा पार कर गई, यह सच नहीं है। अभी एक सदस्य फरमा रहे थे कि पुलिस ने रिश्वत लेनें में सीमा पार कर ली है। वे बतावें तो सही किस तारीख को सीमा पार की है? रिश्वत तो पहले भी थी और आज भी है। अभी इन चन्द महीनों में कौन सी नई बात पैदा हो गई है।

अब मैं आपके द्वारा सरकार से फिर प्रार्थना करूंगा कि डकैतों से मुकाबिले में जो पुलिस कर्मचारी मारे जाते हैं, उनके परिवार वालों की देख-रेख का पूरा प्रबन्ध किया जाय।

(श्री लालबहादुर बोलने, खड़े हुए)

**श्री अध्यक्ष**—अब इस पर और कितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

(मुक्तिलाल मोदी व दो-तीन और सदस्यों ने कहा कि वे बोलना चाहते हैं)

**श्री अध्यक्ष**—Five minutes

**श्री लालबहादुर**—मेरे साथियों में बड़ा शोर है कि पुलिस बिल्कुल चोर है, इस पर रुपया कम कर दिया जाय। मेरी राय है कि गई साल से पुलिस पर रुपया कम किया गया है, यह पुलिस के साथ ज्यादती है। मैंने गई साल सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया था कि जिला कोटा में......

**श्री अध्यक्ष**—आप किस कट-मोशन पर बोल रहे हैं?

**श्री लालबहादुर**—मैं श्री खेतसिंहजी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं।

मैंने यह ध्यान दिलाया था कि वहां की तरफ जो लोग डाकुओं की खोज में जाते हैं उनको खाना पहुँचाने का और दूसरे मीन्स ऑफ कोम्युनिकेशन वगैरह का कोई इन्तजाम नहीं होता। उस तरफ डाकुओं के पास अच्छे अच्छे हथियार होते हैं। मध्यभारत की पुलिस हमारे से बहुत आगे है और वह अपने सिपाहियों को अच्छे शस्त्र आदि देती है। मगर हमारे सिपाहियों के पास पूरा सामान न होने से वे डाकुओं को पकड़ने में असमर्थ रहते हैं और रहने ही चाहिये। यह सही है कि सरकार की तरफ से इन्तजाम कुछ इस समय किया गया है, मगर अफसोस है कि वहां पर काफी इन्तजाम नहीं हुआ और बजट को हम देखते हैं तो मालूम होता है कि पुलिस के बजट में पहले से कमी की गई है।

[ श्री लालबहादुर ]

अभी मेरे पड़ोस में सारथल, बारां, रायथल में डकैतियां पड़ीं। उनके संबन्ध में मैं बताना चाहता हूं। बारां में पुलिस ऑफिसर के पास कोई कार आदि का प्रबन्ध न होने के कारण पुलिस ने डाकुओं का पीछा एस.डी.एम. बारां की कार लेकर किया। इस तरफ पांच-सात तहसीलें हैं नाहरगढ़, मंगरोल, शाहबाज आदि। इन तहसीलों के हर थाने में एक कार रहनी चाहिये, ताकि डाकुओं का पता लगते ही उनका पीछा किया जा सके। रायथल की डकैती से सरकार को सबक लेना चाहिये। पहले हमारे यहां गांव-गांव में चौकीदार होते थे। बड़े-बड़े गांवों में दो-दो चौकीदार हुआ करते थे। मगर सरकार ने अब चौकीदारों को खत्म कर दिया। वे चौकीदार पुलिस को सारे हालात बतला दिया करते थे और पुलिस सचेत हो जाती थी। मगर आज मार खाने वाला, लुटने वाला, पिटने वाला पहले पिटे, लुट जाय और बाद में सरकार में आकर चिल्लाए, लेकिन पिटते वक्त कोई आदमी उसके पिटने या लुटने की इत्तिला नहीं दे सकता कि फलां शख्स लुट रहा है, पिट रहा है, आप जल्दी जाकर उसको बचाइये। इसका कोई इन्तजाम नहीं होता। जितना अमला कम किया गया है केवल छोटा अमला ही कम किया गया है। ऊपर कुर्सियों पर बैठने वाले डी.आई.जी. आदि कम नहीं किये गये हैं। छोटे स्टाफ पर खर्चा कम होता है और बड़े अधिकारियों पर खर्चा ज्यादा होता है, फिर भी छोटा अमला ही कम किया गया है। कोटा से सरकार ने डी.आई.जी. का हैड क्वार्टर तोड़ा, मगर वह अमला तो ज्यों का त्यों मौजूद है, उस अमले को तो नहीं तोड़ा गया। कोटा में तो पुलिस की कमी हो गई। उधर डाकुओं का इतना जोर है कि वे आदमियों को उठा कर ले जाते हैं और वहां से पुलिस को हटा दिया गया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि पहले तो चौकीदार भी आकर पुलिस को सूचना दे दिया करते थे कि डाकू लोग फलां जगह छिपे हैं और पहले से पुलिस सतर्क हो जाती थी। इसलिये इसी तरह से वहां चौकीदारों का इन्तजाम हो जाना चाहिये।

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोटा स्टेशन पर मुझे मालूम हुआ कि पहले पुलिस के कर्मचारी काम करते थे उनको डियरनेस एलाउन्स आदि करके ८५ रुपये माहवार मिलते थे; जब पुलिस रेल्वे के अन्डर में थी। आज वही पुलिस राजस्थान सरकार के कन्ट्रोल में है और उन लोगों को ४५ रु० मिलते हैं। काम उतना ही और वही, लेकिन तनख्वाह जो मिलती है वह सिर्फ ४५ रु० ही। माननीय अध्यक्ष, मेरा दावा है, अगर बराबर काम करने वालों को यदि कम पैसे दिये जावेंगे तो कम पैसा पाने वाला कभी भी ईमानदारी और सच्चाई से काम नहीं करेगा; पूरा पैसा देकर ही ईमानदारी से काम कराया जा सकता है। इसी तरह से हमारे पड़ोस में अजमेर है। वहां पर सब-इन्सपेक्टरों का ग्रेड जबकि हमारे यहां ८० रु० से शुरू होकर १२० रु० पर इ. बी. लगता है, वहां अजमेर में सब-इन्सपेक्टरों का ग्रेड १२० रु० से शुरू होता है। हमारे थानेदार उनसे मिलते रहते हैं और उनको इससे असन्तोष होता है। उनके भी बाल-बच्चों का खर्चा है। क्या हम उनसे यह आशा करें कि वे ईमानदारी से काम करेंगे? आज यह कहा जाता है कि रिश्वत बहुत चलती है। यह रिश्वत पुलिस में ही चलती हो, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान के हर विभाग में इसका बोलबाला है। इसके अलावा एक तहसीलदार जो अपने क्षेत्र में दौरा करने के लिये जाता है उसको टी. ए. आदि मिलता रहता है। लेकिन एक सब-इन्सपेक्टर को जो अपने हलके में घूमता है उसके पास न तो घोड़ा है और न दूकोई सरी सवारी का प्रबन्ध होता है और न वह अपना भत्ता बना सकता है

[ श्री लालबहादुर ]

जो व्यक्ति अपनी जान-जोखिम में डाल कर इस तरह का कार्य करता है उसको कम तनख्वाह दी जाती है और जो हुकूमत करने वाले हैं उनको ज्यादा तनख्वाह दी जावे, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कौन अपनी जान को जोखिम में डालेगा ?...

( घंटी )

तो मेरी अर्ज यह है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और विचार करते हुए पुलिस मुलाजिमों की जो कमियां हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये इसके अलावा कुछ पुलिस ऑफिसरों में भी खामियां हैं उनको भी ठीक करना चाहिये। मैं बताऊंगा कि एक नेतसिंह करके सब-इन्सपेक्टर झालावाड़ का था। यह नेतसिंह शुरू से ही सब-इन्सपेक्टर हुआ था और उसकी ५ साल की सर्विस थी। उसने कोई कसूर किया और उसको सजा देनी थी। मगर उसकी जगह दूसरे नेतसिंह को जो शुरू से हैड कॉन्स्टेबल था और २५ साल के बाद उन्नति करके सब-इन्सपेक्टर बनाया गया था उसके खिलाफ बजाय उस नेतसिंह के, कर्मचारियों ने रिपोर्ट पेश कर दी। नतीजा यह हुआ कि उसको मौकूफ कर दिया गया। उसकी अपील अब होम सेक्रेट्री साहब के पास चल रही है। और भी कई केसेज़ हैं, लेकिन समय की कमी के कारण अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—समय तो और भी देता, लेकिन आप स्कोप के बाहर जा रहे हैं।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—अध्यक्ष महोदय, मैं, खेतसिंहजी ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कानून और व्यवस्था का जो जिक्र किया उसको देखते हुए मैं भी अपने कुछ विचार इस पर व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय होम मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल कानून और व्यवस्था का जिक्र कोटा का किया और राजस्थान सरकार से यह बताना चाहा था कि आप कोटा से डी० आई० जी० का हैड क्वार्टर उठाते तो हैं मगर इससे कोई फायदा नहीं होगा और शासन की व्यवस्था में कमी महसूस होगी और उसका परिणाम एक वर्ष बाद यह आता है कि रायथल का जो इलाका है उसमें सरकार को चुनौती है और हम महसूस करते हैं कि वहां पर किस तरह से डाकुओं की वजह से आतंक फैला हुआ है, उसको रोकने की बात है। मैं समझता हूं कि डाकुओं को किसी तरह से पुलिस द्वारा समाप्त किया जावे और उनके आतंक को मिटाया जावे, उनका पता लगाया जावे। जब पुलिस उनका पता लगाएगी तभी उनके दांत खट्टे होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों में डर बैठ जाएगा। इसलिये मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि उनकी यह धारणा कि डी० आई० जी० के हैड क्वार्टर की कोटा में कोई जरूरत नहीं है, वह ठीक नहीं है। मैं यह दिखाना चाहूंगा कि जब रायथल में डाका पड़ा उस समय कोटा के एस० पी० उदयपुर गये हुए थे। उनको इत्तिला मिली तब वे आए और डी० आई० जी० बाद में आए। अगर वहां पर डी० आई० जी० होते तो एस० पी० के उदयपुर से आने तक का इन्तजार नहीं किया जाता। अगर कोटा जिले में एक डी० आई० जी० रहे तो हर्ज ही क्या है ? वहां पर चम्बल घाटी में डाकुओं के डेरे हैं। वहां के रहने वाले कई बार कहते हैं कि

[ श्री कंवरलाल जेलिया ]

पुलिस बढ़ाई जावे और डी० आई० जी० का हैड क्वार्टर यहां रखा जावे। इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिये पोजिशन को साफ किया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे कोटा में पहले चौकीदारी व्यवस्था थी और उनको कुछ जमीन अलॉट की हुई थी। उनसे पुलिस को बहुत राहत मिलती थी। चौकादारी व्यवस्था को हटाने से बहुत गड़बड़ी हो रही है। इसलिये इस पर भी सरकार विचार करे। बस, इतना ही कह कर मैं यह कहूंगा कि कोटा में डी० आई० जी० का हैड क्वार्टर अवश्य रखा जावे और वहां पुलिस बढ़ाई जावे।

**श्री घीसीसिंह**—माननीय अध्यक्ष, आपका आदेश था कि डिमान्ड पर ११ सदस्यों के कट-मोशन्स हैं, उन पर जो कोई बोलना चाहे, बोले। ११ माननीय सदस्यों ने अपने कट-मोशन्स पर कुछ बातें कहीं अपनी स्पीचेज़ के दौरान में, और कुछ माननीय सदस्य उसके दौरान में बोले।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—ये किस कट-मोशन पर बोल रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष**—११ के ११ पर बोल रहे हैं।

( हंसी )

**श्री घीसीसिंह**—११ के ११ पर और १२ हो तो शामिल कर लें।

( हंसी )

तो कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी स्पीच के दौरान में पुलिस के मुतल्लिक और दूसरे-दूसरे महकमों के मुतल्लिक रिश्वत और अन्य शिकायतों के मामलों में बातें कहीं। उनमें कहीं सत्य भी था, कुछ आलोचनात्मक बातें भी उनमें थीं और इस सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा। लेकिन एक बात माननीय सदस्य श्री मुक्तिलाल मोदी ने जो कही उस पर मुझे कुछ प्रकाश डालना है और उसके लिए सदन से निवेदन करना है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष, मेरा नाम लेकर कहा है, इसलिए फिर मैं जवाब दूंगा।

( हंसी एवं घंटी )

**श्री अध्यक्ष**—कहने तो दीजिये कि क्या कहते हैं।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—कहने क्या दीजिये, फिर आप मुझे बोलने नहीं देते हो।

**श्री घीसीसिंह**—माननीय अध्यक्ष, उन्होंने दो बातें कहीं। एक तो यह कि इन कर्मचारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने वाले कुछ एम. एल. एज़. हैं जो सिफारिशें करके उनकी कार्यवाही में दस्तन्दाजी

[ श्री घीसीसिंह ]

करते हैं। इसकी भी अपनी तरफ से सफाई पेश करता हूं कि जितने भी कर्मचारी हैं राजस्थान के अन्दर, यहां जयपुर के दफ्तरों में बैठे हैं, मेरे जिले के दफ्तरों में बैठे हैं उन सब से पूछ लें और उन सबकी आलोचना करने वाले माननीय सदस्य को मैं चैलेन्ज करता हूं कि वे साबित कर दें कि किसी प्रकार मैंने किसी भी शख्स से यहां दफ्तरों में जाकर कोई भी सिफारिश की हो। उसमें सब आ जाते हैं। मैं भी नहीं बचा हूं। आप सोचते हैं कि आप बचे रहते हैं? नाम उन्होंने बताया नहीं कि फलां आदमी (एम. एल. ए) ऐसा है। इसलिए सफाई पेश करना है और पहले के मंत्रियों से लेकर इस वक्त तक के मिनिस्टर्स मौजूद हैं। अगर उनसे मैंने कोई नाजायज फायदा उठाया है और दबाव डालकर कोई किसी मंत्री से फायदा उठाया है या कोई मुकदमा कराया हो तो आप सदन के सामने स्पष्ट कह दें; मैं उन्हें अपना गुरु मानूंगा और हितैषी मानूंगा और सदन मुझ पर जो दंड देगा तो माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये मैं उसको स्वीकार करूंगा।

दूसरी बात यह कही गई है कि मिनिस्टर चोर और डाकुओं का साथ देते हैं। मिनिस्टर चोर और डाकुओं का साथ ही नहीं देते बल्कि यह बात सुन रहा हूं कि मिनिस्टर डाकू हैं और डाकू के नाम से चारों तरफ से आवाज आ रही है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये सदन से इतना पूछना होगा कि बीकानेर में डाकू मिनिस्टर रहा है, राजस्थान बनने पर वह डाकू मिनिस्टर रहा और आज भी मिनिस्टर है। तो क्या वह यहां जो आज अखबार और चिट्ठियां पकड़ी जाती हैं तो उस वक्त में नहीं थीं, क्या ये डाकू नहीं थे? अगर ये उस वक्त में डाकू थे तो उस वक्त में ये प्रकाश में क्यों नहीं आयीं? आज जब सुखाड़िया मंत्री-मंडल बना है तब ये वाकये हमारे सामने आ गये। जब पहले से डाकू थे तो पहले आना था और अब ये डाकू हो गये। तो सदन से इतना ही चाहूंगा कि किस तारीख से ये डकैत हुए?

(घंटी)

**श्री अध्यक्ष**—समय हो गया।

**श्री घीसीसिंह**—डकैत नहीं थे और यह सूचना दी है कि ये पहले डाकू थे, उसके सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। घंटी न बजायें कृपा करके।

अगर डाकू थे, मान लीजिये तो वाल्मीकि भी तो डाकू थे। जिस वक्त डकैतियां छोड़ीं तो उस वक्त, अगर शास्त्र किसी ने देखा है तो उनको मालूम होगा, उनका नाम क्या हो गया? "वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।" वे ब्रह्म के समान बन गये। अगर कुम्भाराम डाकू थे, यह पब्लिश हो जाता है तो क्या? संगठन उनको चाहता है, जनता उनको चाहती है वे लोकप्रिय हैं और आलोचकों को सदन में आलोचना करना है तो वह मिथ्या है।

**श्री जगतसिंह झाला**—अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आये हुए मित्र ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस सिलसिले में चित्तौड़ जिले में जो घटनाएं घटी हैं, उनकी ओर सदन का ध्यान मुझे आकर्षित करना है। चित्तौड़गढ़ जिले में हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए सदन को बताना चाहता हूं कि जो सरकार बनी है, चित्तौड़ में घटी घटनायें उसके लिए एक चुनौती है और उसको सुन लेना चाहिए कि चित्तौड़ ही एक ऐसा जिला है जिसका राजस्थान में सबसे पहला नम्बर हो

[ श्री जगतसिंह झाला ]

सकता है, जहां पर कि इतनी घटनायें घटी हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि प्रश्नों के उत्तर में यह सुना गया है कि चित्तौड़ जिले में दस घटनायें हुई हैं और जो बड़ी डकैतियों के रूप में आ सकती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्नों के दौरान में यह निवेदन किया था कि चित्तौड़ जिले की डूंगला तहसील के छकाल्डा ग्राम तथा कपासन तहसील के धम्माणा ग्राम में डकैतियां हुई और यह भी निवेदन किया था कि चित्तौड़ जिले की हलत को देखते हुए उदासीनता न बरती जाय और पुलिस का जो ढीला इन्तजाम है उसको बढ़ाया जाय। आपने जवाब देते हुए कहा कि हम सजग हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपके सजग होते हुए भी इस जिले के अन्दर दस घटनायें घटी हैं और आपकी सूचना देने के बावजूद भी चित्तौड़, जो कि पुलिस का डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है, उसके पास दो मील दूर नगरी गांव है वहां यह घटना हुई और एस० पी० पहुंच नहीं सके। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? दिन-दहाड़े डाकू लोग लूट-मार कर ले गये। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह चित्तौड़ का जिला मध्यभारत से लगा हुआ है और मध्यभारत में आज-कल जो डाकुओं का आतंक फैला हुआ है उसको आंखों से ओझल नहीं कर सकते। उस स्थिति को देखते हुए आपको चित्तौड़ जिले की स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। आपने प्रश्नों के जवाब में कहा था कि ध्यान दिया जा रहा है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का ध्यान दिया गया है वह ढीला है और उसके लिए उचित और विशेष ध्यान देना पड़ेगा।

अब मैं बड़ी सादड़ी के बोहेड़ा ग्राम की घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष**—नया मेटर क्यों इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं?

**श्री जगतसिंह झाला**—डाकों की घटना हुई है माननीय अध्यक्ष, और उस विषय में फरमाया गया है कि पुलिस के थाने १२-१२ मील की दूरी पर हैं। ये थाने इतनी दूर हैं कि उनको वापिस रिऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा और कई थानों पर पुलिस फोर्स पूरी नहीं है, इस वजह से उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का मेरा फर्ज हो जाता है।

तो मैं निवेदन करूं कि जागीर के एरियाज़ समाप्त हो चुके हैं और इस वजह से कानून-व्यवस्था पर खास तौर से ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। मैं उन गांवों की ओर जो वल्लभनगर तहसील में हैं सदन का ध्यान, विशेष तौर पर माननीय गृह-मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। उन गांवों में पुलिस का ताल्लुक देलवाड़ा से रखा गया है जो कि २५ मील वहां से दूर है। २५ मील दूर हो थाना तो वह २५ मील दूर के गांवों की क्या और किस प्रकार देख-रेख रख सकेगा? यह सोचने की बात है और विचार करने की बात है। उदयपुर डिविजन की इस स्थिति के बारे में एक नहीं पचासों मिसालें ऐसी निवेदन की जा सकती हैं। इसलिए इन थानों को ठीक तरह से रिऑर्गेनाइज जल्दी किया जाय और जो व्यवस्था आज विद्यमान है उसको ठीक किया जाय। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अंगदराम**—माननीय अध्यक्ष, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जब से कांग्रेस गवर्नमेन्ट बनी है, दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ रही है; ये कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ रही हैं। यह बात दूसरी है कि कौनसी मिनिस्टरी आई हो और किसी तरह का इन्तजाम किया हो, किसी में इसकी मात्रा में कमी-बेशी हो सकती है लेकिन सारा टोटल रिजल्ट यह है कि दिन-प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ा है और अब जनता के अन्दर यह मशहूर हो गया है कि रुपया दे आते हैं और काम करा लेते हैं, इससे कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। यहां हमारी विधान सभा में १६० आदमी बैठे हुए हैं। इन लोगों ने भी इस सम्बन्ध में आज तक कोई कदम नहीं उठाया है। छोटी-छोटी बातों पर हम एक-दूसरे की आलोचना करने लग जाते हैं। लेकिन सही मायने में कोई भी काम नहीं कर रहा है। आज कट-मोशन पर बहस हो रही है, बजट पर भी बहस हुई थी। उसमें भी कई बातें कही गईं लेकिन उसका कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं होता और जो होने वाला होता है वही होकर रहता है। एक-दूसरे की खिलाफत करते हैं, आलोचना करते हैं किन्तु उससे नतीजा कुछ निकलता नहीं है। यह हम लोगो के लिये शर्म की बात है और खासतौर से कांग्रेस के लिये लज्जा की बात है और डेमोक्रेसी में तो यह बहुत ही शर्मनाक चीज है। हम लोग यह प्रण कर लें तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी यहां रह नहीं सकती। एक लाख आदमी के पीछे एक एम०एल०ए० चुनकर आया है किन्तु वह अपना फर्ज पूरी तौर से अदा नहीं करता। आज हम यह देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को पुलिस की तरफ से मदद मिल जाती है, उनको व्यक्तिगत फायदा हो जाता है, तो वे सोचते हैं चलो, हमको तो कोई नुकसान नहीं है, चाहे भले ही ये रिश्वतें लें। हमें तो यह करना चाहिये कि मुकामी अफसर चाहे कोई भी हो, अगर वह गलती करता है, अगर वह कानून के खिलाफ जा रहा हो तो उसकी आलोचना करनी चाहिये, चाहे उससे आपको व्यक्तिगत फायदा कुछ भी मिलता हो। जब तक हम यह नहीं करते, हम सही मायने में जनता के साथ जो हमारा कर्तव्य है उसको नहीं निभाते। अगर वह किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिये। आज हम करते यह हैं कि जो हमारा व्यक्तिगत कार्य कर देता है उसकी तो हम तारीफ कर देते हैं और जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता और कानून के अनुसार काम करता है उसकी हम आलोचना करने लग जाते हैं। जब तक हम इस भावना को नहीं छोड़ेंगे और भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे, यह चीज मिटने वाली नहीं है।

पुलिस के महकमे को ही क्यों दोष दें। आपके नीचे जो जलेबी चौक है वहां पर बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। आप यहां १६० आदमी बैठे हैं, रात-दिन जो आंखों के सामने हो रहा है उसको भी हम मिटा नहीं सकते। इसके लिये हमने किया क्या, क्या कदम उठाया? हम यहां आकर बोल लेते है, शाब्दिक तकरीरें करके चल देते हैं किन्तु अपने व्यवहार में देखेंगे तो क्या आपने इसके लिये कोई प्रेक्टिकल कदम उठाया है? मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि पुलिस के महकमे में ही क्या, तमाम महकमों में और जिन महकमों में कांग्रेस के आदमी काम करते हैं उनके नीचे भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि सब जगह भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया है।

दूसरी बात यह है कि यह जो कहा जाता है कि ग्रेड बढ़ाये जांय, रकम बढ़ाई जाय, यह मेरा खुद का अनुभव है। मैं इस बारे में चौमू थाने का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। वहां

[ श्री अंगदराम ]

चौमू की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि चोरियों की भरमार होने लग गई थी और चारों तरफ हो-हल्ला मच गया था। चोरियों की हालत यह हो गई थी कि लोगों को दिन-दहाड़े लूट लिया जाता था। इस बारे में हमने कदम बढ़ाया और हम इसके लिये एस०पी० साहब से मिले। वहां के एस० पी० श्री त्रिपाठी थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास एक ऐसा थानेदार भेज दूंगा। तो उन्होंने वहां के थानेदार को बदलते ही न मालूम चोरी कहां चली गई? हमारी समझ में नहीं आता कि न कोई वहां स्टाफ बढ़ा, न रकम ही बढ़ी; चोरी का होना उसी दिन से बन्द होगया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज अगर कोई भी कदम उठाना है तो वह सही कदम उठाना चाहिये और हमें यह प्रण कर लेना चाहिये कि हम रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को इस राज्य से मिटा देंगे, तभी दम लेंगे।

**श्री छीतरलाल शर्मा**—माननीय अध्यक्ष, जो मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। आजकल जो रिश्वत बढ़ रही है, वह बसों में भी चलने लग गई है। पुलिस के आदमी बैठ जाते हैं बसों में बगैर किराया दिये। अगर कोई बस वाला उनको नहीं बिठाता है तो उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया जाता है और उनको सजायें दिलाई जाती हैं। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि यह जो इस प्रकार की धांधली पुलिस के आदमी करते हैं उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और इसके लिये सही तरीके से इन्तजाम हो।

दूसरी बात यह है कि हमारे उदयपुर डिवीजन में और दूसरे डिवीजनों में जहां जंगली इलाका है वहां पशुओं की चोरियां बहुत हुआ करती हैं। इससे यह होता है कि सारे लोग बरबाद हो रहे हैं, चोरी जो हो जाती है तो उनके मवेशियों का कोई पता नहीं लगता और पुलिस वाले कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करते और उनके मवेशियों की पूरी तफतीश नहीं करते। अगर वहां ऐसे इलाकों में कांटेदार तार वगैरह लगाये जांय तो इस प्रकार की चोरियों में कमी हो सकती है।

**श्री हरिराम निनावा**—माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके सामने यह कहना जरूरी समझता हूं कि बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने जो कुछ कारगुजारी की है वह आज से लेकर और हमारी सरकार बनी उसी दिन से हम इनसे परेशान हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बांसवाड़ा जिले में पुलिस के खिलाफ जो वहां की जनता ने आवाज उठाई वह यह है कि वहां के गरीब किसान से रिश्वत ली जाती है। इसलिये मैं गवर्नमेंट से मांग करूंगा कि यह रिश्वतखोरी वहां बन्द होनी चाहिये। आज हमारी कांग्रेस सरकार के कर्मचारी हाथ लम्बा करके हमसे पैसा मांगते हैं और मुफ्त में खाना मांगते हैं। आज वह जमाना नहीं है कि लम्बा-लम्बा हाथ करके पैसा मांगा जाय। जब हमारी सरकार उनको पूरी तरह से तनख्वाह देती है तो फिर वहां के लोगों से रिश्वत क्यों लेते हैं? यह बात वहां के आदमी की हड्डी में जमी हुई है, अब तक भी वह मिटी नहीं है। बांसवाड़ा जिले में नहीं मिटी और एम० एल० ए० लोग जो हैं उन्होंने घर-घर जाकर यह मालूम किया कि हरएक नागरिक से पुलिस रिश्वत लेती है; जो दूध-चाय वगैरह वे होटल में पीते थे उसका पैसा देना पड़ता है। अब वे पुलिस वाले हरएक के घर में जाते हैं और मुफ्त में खाने का डाका डाल देते हैं। उनको

# Page No.78



[ श्री हरिराम निनावा ]

घी पाव भर, सेर भर दूध और एक मुर्गा खाने को मिल जाता है। गरीबों के घर में जाकर मुफ्त में रोटी और मुर्गे उडाते हैं और जो नहीं देता है तो उसको थाने में बुलाकर मारते हैं, पीटते हैं।

यह क्यों अभी तक नहीं मिटा ? और यह बात मैं आपसे अपील करके कहता हूं कि इस बारे में जिला बांसवाड़ा में सख्त कदम उठाया जावे। जिस तरह से जबर्दस्ती लोगों से रिश्वत वगैरह ये लेते हैं उसके लिए सरकार यह कह सकती है कि वे लोग क्यों देते है ? पर मैं कहता हूं कि लेने वाला क्यों लेता है, लेने वाले को शर्म आनी चाहिये। देने वाला तो डर के मारे देता है, पर लेने वाले को तो लेने में शर्म आनी चाहिये। फिर अब लोग भी ऐसे बेवकूफ नहीं रह गये हैं।

(समय समाप्ती सूचक घंटी)

स्पीकर साहब, मुझे पांच मिनिट का टाइम तो देना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**—पांच मिनिट होगये।

**श्री हरिराम निनावा**—पांच मिनिट और।

**श्री अध्यक्ष**—एक-दो मिनिट में खतम कर दीजियेगा, नहीं तो बैठ जाइये।

**श्री हरिराम निनावा**—घांटोल में चांदी की चोरी हुई थी। बांसवाड़ा तहसील के चोर पकड़े गये और उसके पूर्व घांटोल के लोगों को और उस चोरी के सिलसिले में ५०० किसानों को बिना आदेश और बिना चोरी बरामदी के इस तरह से मारा-पीटा गया कि मैं कह नहीं सकता। मैंने सुन्दरलाल एस० पी० से कहा कि इनका कुसूर नहीं है, तुम इनको क्यों मारते हो ? इस पर उसने मुझे कहा कि मैं पूरा साथ दूंगा तुम्हारा। इधर मुझसे तो इस तरह की बात करते थे और उधर रिश्वत खाते गये उन ५०० किसानों से और इस तरह हजारों रुपया उनके घर में पहुंच गया। क्या इसके लिए सरकार ने कदम उठाया ? आज दिन तक उनको पीटा गया, इस पर कार्यवाही नहीं की गई। कृपया हमारी सरकार इस पर कार्यवाही करे और एस० पी० को सख्त सजा दी जावे और रिश्वतखोरी रोकी जावे। यह मेरी प्रार्थना है।

**श्री मोतीलाल चौधरी**—माननीय अध्यक्ष, खेतसिंहजी के कट-मोशन का मैं समर्थन करते हुए, साथ ही जवानसिंहजी के कट-मोशन में भी कुछ बोलना चाहता हूं।

बोलने से पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिन सदस्य महोदय ने अपने भाषण में बोलते हुए ये शब्द यूज़ किये हैं कि इस सदन के एम० एल० ए० कोई हैं जो पुलिस से मिल कर चोरियां और डाके करवाते हैं तो ये शब्द बड़े अपमानजनक हैं, इस सदन के लिए और इस सदन के माननीय किसी भी सदस्य के लिए भी। इसलिये या तो ये शब्द हाउस की कार्यवाही से हटा दिये जाएं या उन सदस्य से यह मांग की जावे कि जिन जिन के प्रति उनको सन्देह है, उनके नाम वे जाहिर कर दें।

[ श्री मोतीलाल चौधरी ]

माननीय अध्यक्ष, यह हाउस के लिए और हाउस में बैठने वाले ईमानदार सदस्यों के लिए एक तरह का अपमान है और साथ ही हाउस के लिए भी यह अपमानजनक बात है। या तो वे माननीय सदस्य इसे साबित करें और उनका नाम बतावें, नहीं तो वे ये शब्द अपने वापिस लें और सदन उसके विरुद्ध कड़े से कड़ा कदम उठावे।

इसके बाद श्री खेतसिंहजी के कट-मोशन पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कुछ इलाकों में पुलिस की पहले से ही कमी है, उसकी पूर्ति अवश्य की जानी चाहिये। इसके लिए बजट में जो कटौती की गई है, वह नहीं करके उसे और बढ़ाया जाना चाहिये और जो जो कमी है, उसकी पूर्ति की जानी चाहिये।

मसलन् जैसलमेर-जोधपुर के इलाकों में पुलिस के साथ ट्रान्सपोर्ट के साधन नहीं हैं। पुलिस अधिकारी इसकी कई बार शिकायत भी करते हैं कि हम क्या करें, चोरों का कैसे पता लगावें, डाकुओं का कैसे पीछा करें, हमारे पास तो कोई साधन नहीं, वहां धोरों में जीपों से भी काम नहीं चलता, वहां तो अच्छे ऊंट चाहिये। डाकुओं के पास ऊंट अच्छे से अच्छे होते हैं, फिर वे करते क्या हैं कि जहां जिस जगह ऊंट थक गया, वहां उसे छोड़कर किसी भी दूसरे नागरिक का ऊंट छीनकर भाग जाते हैं। अभी पाकिस्तान से डाकू आया और डीडवाना से किसी लड़के को भगाकर पाकिस्तान चला गया, पर पुलिस के पास यातायात का इस प्रकार का साधन नहीं होने से वह कुछ नहीं कर सकी। तो ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि वहां का हर कॉन्स्टेबल इस प्रकार के साधन से युक्त रहना चाहिये। कोई कॉन्स्टेबल तक ऐसा न हो जिसके पास इस प्रकार के अच्छे ऊंट न हों। इसके बिना अगर कभी उन डाकुओं का जीप से भी पीछा किया जाय तो भी कामयाब नहीं होते। उन धोरों में जीप भी बड़ी मुश्किल से जाती है और फिर उसमें कहीं खराबी हो गई या पेट्रोल खत्म हो गया तो फिर बस। इस स्थिति में वहाँ पूरे साधन नहीं होने से मैं तो यह भी कह सकता हूं कि पाकिस्तान के डाकू जयपुर में आकर और लूट करके भी पाकिस्तान वापिस सही-सलामत चला जा सकता है। उसको रोकने के साधन हमारे पास इस समय नहीं के बराबर हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि प्रत्येक थाने में ट्रान्सपोर्ट के लिए जीप हो। यह तो कम से कम रहनी ही चाहिये और फिर हरएक कॉन्स्टेबल को अच्छे से अच्छा ऊंट भी दिया जावे। इस सवारी के ट्रेन्ड आदमी ही वहां रक्खे जावें ताकि उन धोरों में वे कामयाब हो सकें।

इसके बाद मेरा तीसरा सुझाव यह है कि बहुत से इलाके हमारे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हैं जो बहुत दूर-दूर हैं, जिनमें बहुत से गांव मिले हुए हैं। कोटा के इलाके में कम्पेरेटिवली (Comparatively) ज्यादा थाने हैं। कोटा में ८ लाख जनता रहती है, वहां २० तहसीलें हैं। नागौर में ८-९ लाख की आबादी है, पर पहले थाने पांच ही थे अब ८ हुए हैं, फिर भी इतने कम हैं। इसलिए यह जो कमी की स्थिति है, यह भी ठीक होनी चाहिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—माननीय अध्यक्ष...

**श्री अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !! एक बार में माननीय सदस्य एक ही बार बोल सकते हैं।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—एक मिनिट चाहता हूं साहब।

**श्री अध्यक्ष**—( गृहमन्त्री की ओर संकेत करके ) ये अगर आपको अपने समय में से समय देना चाहें तो आप कह सकते हैं।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—मैंने एक एडजॉर्नमेन्ट मोशन रक्खा था। या तो मेरे मोशन के लिए आगे समय दीजिये या मुझे आज समय मिलना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**—श्री मुक्तिलाल मोदी।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—राजगढ़ में एक घटना हुई। वहां एक आदमी को उड़ा कर ले जाया गया और इसमें मिस्टर दीपचन्द, जो एक कॉंग्रेसमेन हैं, उनका हाथ है, ऐसा पुलिस की डायरी में नोट है। आज तक उस केस का क्या किया गया, कुछ पता नहीं ? और राजगढ़ में कुछ दिन पहले एक घटना हुई जो कि मिस्टर दीपचन्द ने की थी; इसमें एक गोली का शिकार हुआ था। इन दो बातों के लिए माननीय मन्त्रीजी बता सकेंगे तो बड़ा अच्छा होगा।

**श्री अध्यक्ष**—Yes, Shri Gurudayal Singh Sandu.

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—माननीय अध्यक्ष, मैं इस समय बोलते हुए एक खास विषय पर हाउस का ध्यान दिलाता हूं। मैं देखता हूं कि राजस्थान के एक हिस्से में जिसको अलवर और भरतपुर कहते हैं और जहां के आजकल बहुत से रिफ्यूजीज़ आबाद हुए हैं वहां हमारे कुछ थोड़े से भाई इस हाउस में बैठने वाले जो एक विशेष वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं किस तरह वहां लोगों को भड़का रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि पिछले दिनों जो वहां पर वाकेआत हुए हैं उनका पहले जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं कि आज से करीब २ साल पहले एक माचा नाम का गांव है जहां कि श्री गुरु ग्रन्थ साहब की बेअदबी की गई जो कि सिक्खों की धार्मिक पुस्तक होती है, जिसे सिक्ख अपना सब-कुछ मानते हैं, उसकी बेअदबी करने का वहां के कुछ आदमियों ने काम किया है। ५-६ महीने का अर्सा हुआ है कि अभी एक गांव जंझार ( Janjar ) नाम का है जो कि भरतपुर का इलाका है। उस इलाके में एक ऐसी घटना हुई थी कि वहां के लोगों ने बैठकर लोगों को समझा-बुझा दिया। फिर दूसरा वाका आता है जो वाका माचा गांव का है। १९ मार्च की रात के ८-९ बजे को होता है कि वहां कि एक मस्जिद में, जो पुराने जमाने की मस्जिद थी, वहां एक गुरुद्वारा बना हुआ है। उस गुरुद्वारे को एक विशेष वर्ग अगर वापिस लेना चाहते हैं, मैं इस ख्याल का हूं कि उनकी चीज उनको मिलनी चाहिए, लेकिन जिस ढंग से वापिस लेना चाहते हैं, जिसे मैं एक धमकी कहना चाहता हूं, उस तरीके को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। उस सम्बन्ध में एक मीटिंग हुई। वहां पर पंजाब के मौलाना जसीम खां और इस हाउस के एक माननीय सदस्य जो इस सम्बन्ध में ९-१० दिन पहले एक मगेश्कर नाम का एक गांव है वहां पर एक कालू के घर इकट्ठे हुए, जो कि एक मेव है। उसके घर पर इकट्ठे हुए और एक स्कीम बनाई गई कि किस तरह से इन लोगों को तंग किया जाय। उस स्कीम के तहत १९ तारीख की रात के ८-९ बजे माचा नाम के गांव के उस गुरुद्वारे के अन्दर, जो कि मस्जिद से गुरुद्वारा कनवर्ट हुआ था गुरु ग्रन्थ साहब को आग लगाई गई और किस तरह से वे

[ श्री गुरुदयालसिंह सन्धु ]

लोग, उधर बैठने वाले माननीय सदस्य लोगों में प्रचार कर रहे हैं कि सिक्खों ने खुद अपने धार्मिक ग्रन्थ को आग लगाई है। यह सिक्खों के लिए चैलैंज है। सिख इस तरह की हरकत कभी नही कर सकते हैं, लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि...

श्री मोहम्मद इब्राहीन—मि० स्पीकर साहब, यह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर इनको वक्त दिया जाता है तो मुझे भी वक्त दिया जाय। मैं आप से गुजारिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं अर्ज करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय और मेरा एक लफ्ज भी गलती साबित हो तो मैं सजा मानने को तैयार हूं ( करतल-ध्वनि )।

जैसा कि पहले अखबारों में आया है और इसी हाउस ने अन्दर उसके लिए डिस्कशन हुआ है। आम लोग जानते हैं, सी० आ० डी० की रिपोर्ट आपके सामने है। इससे साफ जाहिर है कि एक वर्ग विशेष के साथी वहां लोगों को किस तरह भड़का रहे हैं और उस गुरुद्वारे के अन्दर गुरु ग्रन्थ साहब को आग लगाने का काम जो आज होता है, यह उनके एक्साइटमेंट के कारण हुआ है। मैं अर्ज करूंगा कि सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं और भी उदाहरण देना चाहता था लेकिन मैं इतना ही कहकर कि अगर सरकार ने इस मामले को अच्छी तरह हेन्डल नहीं किया तो मैं समझूंगा कि उस इलाके में कुछ लोग अमन से नहीं रह सकेंगे और उन लोगों को वहां से उखड़ कर फिर से कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। यही मेरी अर्ज है। मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इस विषय में पूरी पूरी कार्यवाही करेंगे।

( श्री रामकिशोर व्यास, गृह-मंत्री द्वारा बहस का उत्तर देने के लिए खड़े होने पर )

**श्री मोहम्मद इब्राहीम**—मिस्टर स्पीकर साहब...

**श्री अध्यक्ष**—No.

**श्री मोहम्मद इब्राहीम**—मिस्टर स्पीकर साहब, यह मेरे ऊपर जाति इल्जाम लगा रहे हैं और आप मुझे वक्त नहीं दे रहे हैं। यह मेरे ऊपर इल्जाम है जाति तौर से, इसलिए मैं दर्ख्वास्त करूंगा कि मुझे भी वक्त दिया जाय। इस साल बजट सेशन में अब तक मुझे कोई वक्त भी नहीं दिया गया है। इस वास्ते आपसे दर्ख्वास्त है कि मुझे भी टाइम दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष**—( श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री से ) यह आपका टाइम कम हो रहा है।

**श्री रामकिशोर व्यास**—आप जैसा चाहें।

**श्री मोहम्मद इब्राहीम**—मेरी दर्ख्वास्त आपने नहीं सुनी तो आप एलान कीजिये कि...

**श्री अध्यक्ष**—( श्री रामकिशोर व्यास से ) आप कहना चाहते हैं, कुछ आप अपने टाइम में से कर्टेल करके कुछ देना चाहते हैं उन्हें टाइम तो ठीक है, वर्ना नहीं।

**श्री रामकिशोर व्यास**—टाइम तो नहीं है। माननीय अध्यक्ष...

**श्री मोहम्मद इब्राहीम**—मिस्टर स्पीकर साहब...

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—जब मिनिस्टर साहब ने शुरू कर दिया है तो करने दें।

**श्री मोहम्मद इब्राहीम**—मुझे पहले बताया जाय कि आप वक्त नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि...

**श्री रामकिशोर व्यास**—( श्री अध्यक्ष से ) दो मिनिट का टाइम दे दीजिये।

**श्री मोहम्मद इब्राहीम**—मि० स्पीकर साहब, श्री गुरुदयालसिंह पहले भी लोगों पर इल्जाम लगाते रहे हैं। चौधरी कुम्भारामजी पर भी और.........

**श्री अध्यक्ष**—आप अपनी बात कहियेगा।

**श्री मोहम्मद इब्राहीम**—इल्जाम लगाया है। मैं चैलेन्ज करता हूं कि ८–९ तारीख को गया हूं तो चैलैन्ज देता हूं कि इसको साबित कर दें। रही यह बात कि माचा गांव में २–३ मस्जिदें हैं, उनमें गुरुद्वारे बना रखे हैं। उन गुरुद्वारों को हटाने के लिए वहां के मुसलमानों ने हुकूमत से दर्ख्वास्त की। वह चाहे तो खाली कराये, और न चाहे तो न कराये यह हुकूमत का फर्ज है। यदि खाली करायेंगे तो रहेंगे और नहीं करावेंगे तो नहीं रहेंगे। सिक्खों ने यह किया है, चन्द सिक्ख साहबान, तमाम सिक्खों के लिए नहीं कहता हूं, ने जो कि फसाद चाहते हैं, उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाह फैलाई कि हम लोगों की १८ मार्च को मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में फैसला हुआ है कि मस्जिदें खाली कराई जायं। पहले से ही बहुत से सिक्ख वहां मौजूद थे और १९ मार्च को वहां इकट्ठे हुए, ट्रकों के जरिये और मोटरों के जरिये से वहां इकट्ठे किये गये। इसके अलावा एस. डी. ओ. किशनगढ़ वहां मौजूद थे। दो दिन तक वे लोग वहां इकट्ठे होते रहे। मेवों ने यह चाहा कि हम लोग गांव खाली कर दें। उन्होंने अफसरों से कहा है कि ऐसी हालत में हमें जान–माल को खतरा है, हम गांव खाली कर दें। तो अफसरान ने इत्मिनान दिलाया कि कोई खतरा नहीं है। गुरु ग्रन्थ साहब मस्जिद में रखे हुए हैं और गुरु ग्रन्थ साहब की हमारे दिल में उतनी ही इज्जत है जितनी कि दूसरे साहबान के दिलों में। वहां पर तहकीकात हो रही है। कल ही सुबह एस. डी. ओ. साहब ने जब शरणार्थियों से यह पूछा तो शरणार्थियों ने यह कहा है कि मेवों ने गुरु ग्रन्थ साहब को नहीं जलाया है, आपस में ही सिक्खों ने यह काम किया है, मेवों ने नहीं जलाया है। मैं अपील करूंगा आपसे कि इसकी बिल्कुल आजादाना तहकीकात करायें और इस बात में जरा भी मेवों का कुसूर निकल आये तो चाहे जितनी सजा दें, लेकिन इसमें सरदार गुरुदयालसिंह का इशारा जरूर था।

थाने वाले १९ मार्च को चार मेवों को बुलाते हैं और थाने में ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप जवाब दे दीजिये। उन पर चार्ज क्यों लगाते हैं? वे फिर बोलेंगे।

श्री मोहम्मद इब्राहीम—२० तारीख की शाम को साढ़े पांच बजे वह पर हजारों की तादाद में सिक्ख इकट्ठे हुए थे। उन्होंने मलखां मेव पर हमला किया। वे तीन-चार भाई थे। मलखां को वहीं खत्म किया और चार लोगों को जख्मी किया। एक औरत (मलखां की मां) का हाथ और एक लड़का (मलखां का लड़का) और भी ज्यादा जख्मी हुआ। चार आदमी जख्मी हुए और दो औरतें जख्मी हुईं। लेकिन सरदार गुरुदयालसिंह को फिर भी सब्र नहो है। मिनिस्टर साहब को और आई. जी. पी. साहब को हमने तार दिये, लेकिन हुकूमत ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। उनको चाहिये था कि सबसे पहिले सिक्खों को पकड़ते। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस चीज में न तो मैं शामिल था और न चौधरी यासीनखां ही आया। हम गुरु ग्रन्थ साहब की इतनी ही इज्जत रखते हैं, जितनी वे रखते हैं। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं जवाब देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बोलना चाहेंगे तो फिर वे भी बोलना चाहेंगे। इस तरह से ठीक नहीं रहेगा।

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री)—अध्यक्ष महोदय, पुलिस महकमे पर काफी 'कट-मोशन्स' आये और सदन ने इस में काफी दिलचस्पी ली, इसके लिये मैं सदन का आभारी हूं। मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने अपनी सद्‌भावना से, अपनी उदारता से पुलिस के कुछ कामों की, जो उन्होंने ठीक समझे, सराहना की। उन्होंने तसलीम किया कि आखिर कुछ काम तो पुलिस ने ठीक किया है। मैं आभारी हूं उन लोगों का भी जिन्होंने पुलिस में कुछ कमजोरियां बताईं और पुलिस की कटु आलोचना की। उनका मैं इसलिए आभारी हूं कि जो खामियां उन्होंने बताई उनको दूर करने की कोशिश कर सकूंगा (करतल ध्वनि)। यदि वे जानकारी नहीं देते तो बहुत सी बातें मालूम ही नहीं होती। मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने हमदर्दी के साथ बजट में जो कमी हुई है, उसके खिलाफ फरमाया कि बजट में कमी नहीं होनी चाहिये। मैं उनसे सहमत हूं। इस हाउस में कई बार पहले ही आलोचना की गई थी कि पुलिस का बजट बहुत ज्यादा है और दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा है, इसलिये इसमें कमी होनी चाहिए। कुछ सदस्यों का इस तरह का ख्याल रहा इसलिये इसमें कमी की गई। यदि बीच में बजट बढ़ाने की जरूरत हुई तो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट के रूप में आपके ग्रान्ट सामने लाई जायगी।

मैं आभारी हूं उन लोगों का भी जिन्होंने पुलिस में एड़ी से चोटी तक सिवाय खराबी के कुछ पाया ही नहीं। उनको चारों तरफ—ऊपर, नीचे, दायें, बायें—सब तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उनको पुलिस में कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं दिया जो बगैर पैसे के काम नहीं करता हो। पुलिस में कोई काम पैसा दिये बगैर नहीं होता, मैं ऐसा कहने वालों का भी आभारी हूं। आभारी इसलिये हूं कि वे इस विभाग में दिलचस्पी लेते है और नजर रखते हैं। जिस महकमे पर आलोचकों दृष्टि नहीं है वह तरक्की नहीं कर सकता। जब तक उसकी बुराइयों की तरफ दृष्टि नहीं जाती तब तक वह महकमा तरक्की नही कर सकता। मैं आभारी हूं कि आपकी दृष्टि उस पर है। इसमें जितनी सच्चाई है, उसको ग्रहण करूंगा और जितनी सचाई नहीं है उसके लिये क्षमा चाहूंगा।]

# Page No.84



[ श्री रामकिशोर व्यास ]

डकैतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा कि ठीक है। उसमें कुछ सिचुएशन ठीक हुई है, डाकुओं की राजस्थान में कमी हुई है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि यह गलत है, झूठे आंकड़े बताये गये हैं। बराबर रिपोर्टस् नहीं होती हैं, इसलिये कहा जाता है कि कमी हुई है। यह शुराब है, मृगतृष्णा है, वास्तव में डकैतियों में कमी नहीं हुई है। मैं आपसे निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप ऐसा ख्याल नहीं फरमावें। मैं जरूरी ताकत से कहता हूं कि वाकई तौर पर पहले के मुकाबले में डकैतियां कम हुई हैं। जो आंकड़े हैं, आपको ख्याल फरमाना चाहिए कि वे गलत नहीं हैं। इनके अलावा हमारे पास कोई दूसरी कसौटी नहीं है। सच्चे हैं या झूठे हैं, आंकडों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि बढ़े हैं और आंकडों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि कम हुए हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे केस में रिपोर्ट नही भी की हो, लेकिन जहां तक डकैतियों का ताल्लुक है मैं मानने को तैयार नही हूं कि डकैतियों में कमी नहीं हुई। हो सकता है कि चोरी के ओफेन्स में कोई रिपोर्ट नहीं हुई हो या दूसरे ओफेन्स में रिपोर्ट नहीं हुई हो, लेकिन डकैती ऐसी है कि छिपी हुई रह जाय, ऐसा नहीं होता। आज कहीं डाका डालेंगे तो कल अखबारों द्वारा सारे देश में खबर फैल जायगी और यह नामुमकिन है कि कोई पुलिस वाला इस ओर ध्यान नही दे, यह हो नहीं सकता। डकैतियों के बारे में आप सब लोग जानते हैं और मैंने भी कई बार सदन में निवेदन किया है कि यह समस्या अपने यहां बड़ी विकट थी। तीन भाग ऐसे हैं जिनमें राजस्थान को विभक्त किया जा सकता है। एक तो चंबल के आसपास का भाग, दूसरा अरावली का भाग और तीसरा पाकिस्तान के बोर्डर का हिस्सा। अरावली के हिस्से में हमने काफी डकैतों को मारा है और भगाया है। सिवाय दो-तीन गिरोहों के सब काबू में आ गये हैं और वे गिरोह भी दूसरी तरफ भाग कर चले गये हैं। मेघला आदि इन गिरोहों में शामिल हैं। चम्बल रेन्ज के अड्डे करीब-करीब साफ कहे जा सकते हैं। यह बात दूसरी है कि कभी कोई वारदात हो जाय। ऐसी वारदातें हो सकती हैं, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि अपनी तरफ का हिस्सा करीब २ साफ है। यह कहा जा सकता है कि धौलपुर में हाल ही में एक वारदात हुई थी। यह इस तरह की वारदात है कि मध्यभारत के बोर्डर से धौलपुर मिलता है, चंबल बीच में है; वहां पर भी डाकुओं का काफी जोर है। मध्यभारत में भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से डाकुओं को राजस्थान में मारा गया, उसी तरह वहां भी इनका सफाया किया जाय। वहां पर भी काफी ताकत लगाई जा रही है और हर तरह से उनको मारने की कोशिश की जा रही है। वहां कभी कभी कोई मौका आ जाता है तब वे भाग कर इधर आ जाते हैं। बारी का भी इसी तरह का किस्सा है। मध्यभारत से जो गिरोह भागा था उसी का यह काम है। फिर भी कोशिश की जा रही है कि मुल्जिमों को पकड़ा जाय।

तीसरा क्षेत्र पाकिस्तान के बोर्डर का है। यह करीब ६५० मील की लम्बी पट्टी है जो पाकिस्तान और राजस्थान के बोर्डर पर है। इसका कुछ हिस्सा जरखेज है और अधिकांश हिस्सा ऐसा है जो रेगिस्तान है और बिना इन्सान है। वहां न आदम है न आदमजात, न पानी है और न खाने को। आजकल एक्स्ट्राडिशन के रूल्स भी रहे नहीं जिससे कि वहां भागे हुए डाकुओं को पकड़ा जा सके। कुछ डाकू पाकिस्तान में रहते हैं और यहां आकर डाका डाल कर चले जाते हैं। बागमलसिंह और भंवरसिंह, दो ऐसे डाकू हैं जो डाका डाल कर उधर चले जाते हैं। इस क्षेत्र में आबादी नहीं होने के कारण डाका डाल कर भाग जाने के बाद मालूम पड़ता है उससे पहले वे वापिस उस क्षेत्र में पहुँच

# Page No.85



[ श्री रामकिशोर व्यास ]

जाते हैं, इसलिये उनका पता नहीं लग सकता। बोर्डर की वजह से मुश्किलात है। लेकिन फिर भी वहां की समस्या काफी हल हुई है और जो बची है उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कभी इस मामले में यह निवेदन नहीं किया कि डाकू राजस्थान में खत्म हो गये हैं। डाके पहले भी थे और अब भी हो रहे हैं, लेकिन कम हो रहे हैं। मैंने यह कहा कि कम हुए हैं, पहले के मुकाबले में हालत अच्छी है। सन् ५२ में जितने डाके पड़े थे उनसे ५३ में ५० पर्सेन्ट कम हो गये थे और सन् ५४ में उससे भी आधे रह गये। जहां सन् ५२ में ४०० डाके पडे थे; वहां सन् ५४ में ९६ का नंबर है। इन फैक्ट्स के होते हुए यह कहना कि कमी नहीं आई, यह ठीक नहीं है; इम्पार्शियल होकर आपको देखना चाहिए।

यह कहना कि पुलिस वाले काम नहीं करते जब तक कि उनको पैसा नहीं मिल जाय, ठीक नहीं है। क्या आप मुलाहिजा फरमावेंगे कि पुलिस ने बगैर पैसों के कोई काम ही नहीं किया? डाकुओं को पकड़ने में जो कामयाबी हुई तो क्या वह पैसा लेकर हुई? राजस्थान बनने के बाद २२८३ डाकू पकड़े गये, १२७ मारे गये और ९१ ने सरेन्डर किया। तो क्या यह सब पुलिस अधिकारियों ने पैसा लेकर किया है? इन बातों को भी आप यदि ऐसा कहें तो फिर क्या कहा जा सकता है। यदि कोई आदमी जान की कुर्बानी कर दे डाकुओं से लड़ कर, फिर भी आप यह फरमावें कि एड़ी से चोटी तक सारे के सारे आदमी ऐसे हैं जो बगैर पैसे के काम नहीं करते; यह कहां तक सच है। आप जानते हैं कि २५० आदमी पुलिस के पिछले दिनों में डाकुओं से मुटभेड़ करते मारे गये, जिनमें ३९ अफसर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। ४ सर्कल इन्सपेक्टर, ५ इन्सपेक्टर और ६ हैड कांस्टेबलों के अलावा कई सिपाहियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इस कुर्बानी के बावजूद भी आप फरमाते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, पूरा भ्रष्टाचार है; तो मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि उनके साथ इन्साफ नहीं कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। जो काम उन्होंने किया है उसको मानना चाहिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—उन अधिकारियों के बच्चों के लिये सरकार ने क्या किया?

**श्री रामकिशोर व्यास**—दूसरी बात जिस पर ज्यादा जोर दिया गया, करप्शन के बारे में थी कि पुलिस में भ्रष्टाचार है। मैं आपसे निवेदन करूं कि ऐसी कौनसी स्टेट है और ऐसा कौनसा महकमा है कि जिसमें कमी-बेशी, किसी न किसी संख्या में, किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार पुलिस में नहीं है। पर इसको कम करने के लिये क्या स्टाफ रखा गया है, क्या प्रयत्न किये गये हैं, यह जानने की बात है; वह मैं अर्ज करूंगा। पहले आपने जो एतराज किये हैं उनका जवाब देना चाहूंगा।

जैसे हर एक इन्डिविजुअल केसेज़ को लेना मेरे लिये संभव नहीं है। मैं उन सब के बारे में यह कह दूं कि जो जो इन्डिविजुअल केसेज़ आपने बताये हैं उन पर जानकारी हासिल करूंगा और जरूरत पड़ी तो आपको भी तकलीफ दूंगा और उनमें कुछ प्राइमाफेसी सत्य बात हुई, तो कुछ

[ श्री रामकिशोर व्यास ]

करूंगा। हरएक को इस समय डील करना मेरे लिये संभव नहीं क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे फर्दर जानकारी की जरूरत है। इसलिये मैं उनको अभी डील नहीं करना चाहता।

मौजूदा पुलिस में एन्टी-करप्शन विभाग सन् १९५२ में कायम हुआ। इसमें प्रगति हुई या नहीं, इसके लिये मैं सदन के समक्ष आंकड़े रख देना चाहता हूं।

१९५३ में पुलिस महकमे में १२ अफसरों को भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पकड़ा गया, २ केसेज़ में फाइनल रिपोर्ट दी गई, ३ को डिस्मिस किया गया, २ एक्विट हुए, १ कन्विक्ट हुआ और ४ के केसेज़ पेन्डिंग हैं।

१९५४ में १४ अफसरों को पकड़ा गया, उनमें से ४ केसेज में फाइनल रिपोर्ट दी गई, ३ को डिस्मिस किया गया, २ को रिड्यूस किया गया, १ एक्विट हुआ, दो की ट्रायल बाकी है, ३ केसेज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है।

इसी तरह से जिनमें डिपार्टमेंटल कार्यवाही हुई, उनमें भी सन् १९५३ में ११ अफसर पकड़े गये, ११ डिस्मिस हुए, ६ को रिड्यूस किया गया, ५ की इन्क्रीमेंट रोकी गई, २ को सेंसर किया गया और १ का रेज़िग्नेशन एक्सेप्ट किया गया।

१९५४ में ४ डिस्मिस किये गये, ३ को रिड्यूस किया गया, २ की इन्क्रीमेंट स्टोप की और १ को सेंसर किया गया।

इसके लिये मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जो करप्शन है उसको रोकने के लिये कोशिश नहीं की जा रही है, यह जो कहा गया; ऐसा मैं नहीं मानता। करप्शन है इसीलिये उसको रोका जाता है, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और सजाएं दी जाती हैं। इसमें और भी प्रगति और प्रयत्न की जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने और मेरे साथियों ने महसूस किया कि एन्टी-करप्शन ब्रान्च को और सुदृढ़ किया जाय और इसीलिये इसे रिऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें नॉन ऑफिशियल्स को भी शरीक किया गया है। इस सदन के भी एक सदस्य हैं उनको शरीक किया गया है। इसके सेक्रेटरी जो होंगे वे डिस्ट्रिक्ट जज की लेवल के होंगे। तो कोशिश की जा रही है, जितना कर सकेंगे इस दिशा में करेंगे।

एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं। यह कहा गया कि एक छोटा अफसर है, एक बड़ा अफसर है, तो बड़े अफसरों का लिहाज कर दिया जाता है। मैं पूरी तरह से कह देना चाहता हूं कि इसके सामने कोई मामला आयेगा, चाहे कोई छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है, किसी को नहीं बकसा जायगा, नोटिस में आयेगा तो चाहे वह बड़ा है या छोटा किसी को नहीं छोड़ा जायगा। पर इस मामले में मैं आपका सहयोग चाहूंगा। अक्सर कहा जाता है कि फलां आदमी बेईमान है, रिश्वत खाता है, पर आज के नियम हैं, विधान है, इतना कह देने मात्र से काम नहीं चलता, प्रमाण की जरूरत है। इसलिये मैं आपसे इस मामले में सहयोग चाहूंगा कि आप इसमें मदद दें। ऐसे केसेज़

[ श्री रामकिशोर व्यास ]

जो हों मेरे नोटिस में लाइये, उन लोगों को एन्टी-करप्शन ऑफिसर के जरिये गिरफ्तार कराइये। प्रमाण दीजिये, फिर देखिये कि हम भ्रष्टाचार को रोकने में पीछे हटते हैं या सहयोग देते हैं।

रिश्वत लेना और देना ये दो जुर्म हैं। अगर कोई रिश्वत देता ही नहीं है तो कोई ले ही नहीं सकता। जितना रिश्वत लेने वाला दोषी है उतना देने वाला भी कुछ दोषी है। तो जो रिश्वत देने वाले हैं वे जरा स्ट्रिक्ट रहें और इस बात की कोशिश करें कि जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं उनको अधिकारियों को बतायें।

तो मैं समझता हूं आपके सहयोग से इसमें बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इस सदन में मैं आपके सहयोग को, मदद को आमन्त्रित करता हूं। जिस अफसर के खिलाफ आपके पास प्रमाण हों, वह दीजिये। जितना कानूनी तरीके से हो सकता है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी, इसमें किसी व्यक्ति का लिहाज नहीं किया जायगा।

कुछ बातें और कही गई हैं कि प्रोसिक्युशन की ब्रान्च ठीक नहीं है, इनएफिशिएन्ट है, लॉयर्स जो एपियर होते हैं उनके मुकाबिले में वे कमजोर पड़ते हैं। इसमें कुछ सचाई है। पुराने हैं उन्हें लायर्स से धीरे-धीरे रिप्लेस कर रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की होगी और बहतरी की हालत आयेगी। एक-दम सबको हटाना उचित नहीं।

एक वाकया बांसवाड़ा के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के बारे में कहा गया। वे मुझ से मिले हैं, वहां के एस.पी. के बारे में शिकायत आई, इसलिये उनका ट्रान्सफर किया गया। उनके खिलाफ इन्क्वायरी भी चल रही है, पर क्या कार्यवाही की जायगी इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक कि इन्क्वायरी का रिजल्ट न निकले। लेकिन उसकी क्या स्थिति है, इससे ज्यादा अब और मैं निवेदन करना नहीं चाहता।

एक बात फिल्म स्टार्स के मैच के समय लाठी-चार्ज की कही गई। मैं यह समझता था कि जो भलाई पुलिस ने की उसके लिये पुलिस के गुण गाते और उसकी प्रशंसा करते, लेकिन आपने उलटी बुराई बताई। मैं यह कहूंगा कि पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से काम किया और पुलिस ने फिल्म स्टार्स को अपनी कारों में बिठला कर उनके स्थानों तक पहुँचा दिया, वर्ना वे जख्मी हो जातीं।

**श्री जवानसिंह**—वे तो पहले ही जख्मी हो गई थीं।

**श्री रामकिशोर व्यास**—वस्तुस्थिति यह थी कि जगह बहुत कम थी और जो (फिल्म स्टार्स) आने को थीं वे आईं नहीं, दूसरी आईं। देर हो जाने के कारण कुछ विद्यार्थी ज्यादा हो गये थे और उनको आगे बैठने का मौका दे दिया गया था। जब स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने स्थिति को संभाला और जितनी मदद करनी चाहिये थी, की और उनको अपने स्थानों पर पहुँचाया। इसके लिये आपको पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिये था।

[ श्री रामकिशोर व्यास ]

एक यह बात कही गई कि पुलिस वाले चोरियां कराते हैं तथा उनका काम चोरियां कराना और झूठे मुकदमे कराना है। इसके लिये मैं दो ही शब्द कहना चाहता हूं कि जिन जिन सदस्यों को इस प्रकार की जानकारी हो वे मुझे बतावें। उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ पूरे तौर से कार्यवाही की जावेगी।

**श्री मुकुललाल मोदी**—फिक्सेशन का मैंने कहा, उसका जवाब नहीं मिला।

**श्री रामकिशोर व्यास**—मैं सब का जवाब दूंगा।

एक बात खेतसिंहजी ने कही कि जो पुलिस के कर्मचारी डाकुओं के साथ भिड़न्त, एन्काउन्टर में मारे जाते हैं, उनके परिवार को बहुत कम सहायता दी जाती है। हम भी इस संबन्ध में सोच रहे हैं और अपने रूल्स जो हैं उनको रिवाइज करने की बात सोच रहे हैं। अभी मध्यभारत और पंजाब के आई.जी.पी.यहां आये थे। उनसे भी विचार-विनिमय किया गया। मैं भी यह उचित समझता हूं कि जहां तक हो सके तुरन्त सहायता दी जानी चाहिये। कल ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भगवतसिंह नाम के थानेदार उदयपुर में डाकुओं का पीछा करते मारे गये। उनकी फेमिली को इमिडिएट रिलीफ के लिये एक हजार रुपया सरकार ने दे दिया है ताकि परिवार को इमिडिएट सहायता मिल जावे।

वायरलेस सेट के बारे में कहा गया। बोर्डर पर आर. ए. सी. के पास वायरलेस सेट मौजूद हैं और जहां पर नहीं हैं, उनको और सप्लाई कर दिये जावेंगे। माननीय अध्यक्ष बातें अभी तक बहुत सारी कहनी हैं। ५ बज गये हैं।

**श्री अध्यक्ष**— आप जितनी बातों का जवाब देना चाहें, दे दीजिये।

**श्री कंवरलाल जेलिया**—(अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष**—यह क्वेश्चन आंवर नहीं है।

**श्री रामकिशोर व्यास**—जैसलमेर के गांवों के बारे में भी कहा गया। उनको अभी नहीं दिये गये। इसके लिये जल्दी जल्दी कार्यवाही की जावेगी।

कोटा में जो इन्सीडेन्ट हुआ और उसकी जो तहकीकात हुई और उस संबन्ध में जो अरेस्ट्स हुए हैं, उसको देखने के बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिये। पुलिस ने बड़ी गहराई से उनकी छान-बीन की है और मध्यभारत से जाकर माल बरामद किया और मुल्जिमानों को पकड़ा है

**श्री कंवरलाल जेलिया**—मैंने बुराई नहीं की है। मैंने तो सराहना की है

**श्री रामकिशोर व्यास**—इसलिये वहां पर डी. आई. जी. का हैड क्वार्टर नहीं रहा उसको महसूस नहीं करना चाहिये। चौकीदारों की बात कही गई। इसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं

[ श्री रामकिशोर व्यास ]

कि चौकीदारों का तरीका उठा दिया गया राजस्थान से। इसलिये पुलिस के जरिये से जितनी निगरानी होनी चाहिये की जावेगी।

चितौड़गढ़ के लिए कहा गया कि वहां पर डाके बहुत हुए हैं और सरकार उस तरफ उदासीन है। मैंने पहले निवेदन किया कि सरकार उदासीन नहीं है, ५४–५५ में कुल १० घटनाएं हुईं।

श्री जगतसिंह झाला—इस साल घटनाएं बहुत ज्यादा हुई हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—जैसा मैंने कहा ५४–५५ में १० घटनाएं हुईं, जिनमें तीन घटनाएं गये ३–४ महीनों की हैं। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रबन्ध किया है। इक्विपमेंट चला जावेगा। पुलिस को रीएनफोर्स किया गया है। इससे आपको तसल्ली होनी चाहिये कि वाकई उस ओर ध्यान दिया जा रहा है।

एक बात राजगढ़ में किडनेपिंग की कही गई; दीपचन्दजी साहब हैं। पहले गोली मार दी गई, उसका क्या हुआ और अब क्या हो रहा है? इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे तो इस संबंध में कोई मालूम नहीं है, लेकिन ये फेक्ट्स तो परसों के रोज बताये गये थे। पुलिस जानकारी कर रही है कि कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं। कहां जाकर ठहरे हैं, इस बात का अभी तक पता नहीं लगा है।

एक बात यह कही गई कि पुलिस ऑफिसरों के फिक्सेशन में गड़बड़ी होती है। पुलिस एस. पी. और डिप्टी एस. पी. में या तो आर. पी. एस. होते या आई. पी. एस. होते हैं। इस संबंध में पब्लिक सर्विस से रूल्स पब्लिश्ड हुए हैं। सब-इन्सपेक्टर से आई. पी. बनाये जाते हैं, उसके लिए एक लिस्ट बनी होती है और उस लिस्ट के माफिक प्रोमोशन दिया जाता है और सब-इन्सपेक्टरों के लिए हैड कॉन्स्टेबल्स से प्रोमोशन दिया जाता है। उसकी भी एक लिस्ट होती है और उनको पी. टी. एस. में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और जब वे पास हो जाते हैं तो उनको सब-इन्सपेक्टर बना दिया जाता है। इस बीच में अगर कोई टेम्प्रेरी जगह होती है तो काबिल हैड कॉन्स्टेबल को चान्स दे दिया जाता है। अगर एस. पी. चाहे तो उस हैड कॉन्स्टेबल का टेस्ट ले सकता है या लिस्ट में जो सीनियर हो उसको चान्स दे सकता है।

अब थोड़े से कट-मोशन्स और रह गये हैं, उनका मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं।

एक कट-मोशन में यह कहा गया कि चौरियां बढ़ी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोरियों के जो आंकड़े हैं उनको देखने से यह बात प्रतीत नहीं होती की चोरियां बढ़ी हैं; पहले से कम हुई हैं, यह आंकड़े बताते हैं :—

सन् ५२–५३ में ४६५२ चोरियां हुईं

सन् ५३–५४ में ४०८४ „ „

सन् ५४–५५ में ३६२६ „ „

[ श्री रामकिशोर व्यास ]

इन आंकड़ों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि चोरियां बढ़ी हैं। यह आवश्यक है कि चोरियों का माल जितना बरामद होना चाहिये नहीं हुआ है, इसमें सच्चाई मानी जाती है। जितना पर्सेन्टेज रिकवरीज़ का होना चाहिये, नहीं हुआ। सरकार यह प्रयत्न करेगी कि चोरियां भी कम हों और माल बरामद भी ज्यादा हो।

एक बात पी. टी. एस. के लिए सब-इन्सपेक्टरों के सिलेक्शन के बारे में कही गई कि इसमें बहुत गड़बड़ी की जाती है। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले कमेटी इन्टव्यू करती हैं उसके बाद वाइवावोसे (Viva Voce) और रिटन टेस्ट भी होता है, उसके बाद कलेक्टर और एस. पी. जो इस कमेटी में होते हैं वे रिकमन्ड करते हैं। रिटन टेस्ट के मार्क और रिकमन्डेड बाई दी कमेटी, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सब-इन्सपेक्टर का चुनाव होता है। ऐसा संभव हो, सकता है कि किसी को कमेटी ने रिकमन्ड कर दिया हो, मगर खाली इस कमेटी का इन्टव्यू इसके लिए डिसाइडिंग फेक्टर नहीं होता। रिटन टेस्ट और वाइवावोसे दोनों को मिला कर डिसाइड करते हैं। संभव है कमेटी ने उसको रिकमन्ड किया हो और उसको नहीं लेने का कारण यह हो सकता है कि वह रिटन में अच्छे नम्बर नहीं ला पाया हो। जिस आदमी के दोनों में अच्छे नम्बर आते हैं उसको भेजा जाता है। इस साल मैंने भी थोड़ी दिलचस्पी इसमें ली है।

**श्री गुरुदयालसिंह संधु**—पिछले सल वहां से रिपोर्ट आई थी, उसके सब लोग चुने गये।

**श्री रामकिशोर व्यास**—रिटन टेस्ट...

**श्री गुदरुयालसिंह संधु**—पिछले साल बीकानेर का रिजल्ट आप देखें।

**श्री रामकिशोर व्यास**—इसके बारे में मैं नहीं कह सकता।

रिन्युअल ऑफ ऑर्म्स लाइसेन्सेज के बारे में जो कट-मोशन है उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि राजस्थान जब से बना हैं रिन्युअल्स के पॉवर्स राजस्थान गवर्नमेंट में वेस्ट हो गये। इन लाइसेन्सेज़ को होम डिपार्टमेन्ट इश्यू करने लगा। इनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई और स्टाफ अधिक रहा नहीं कि इसको जल्दी-जल्दी डील करें। इसलिए इनके रिन्युअल में देरी हो गई। इसके बाद आर्म्स एक्ट आ गया। इस दिक्कत को देखते हुए कि काफी संख्या हो गई है रिन्युअल्स के पॉवर्स क्लेक्टर्स को दे दिये, गवर्नमेन्ट ने रखे नहीं; क्लेक्टर्स को दे दिये। जो केसेज़ होम डिपार्टमेन्ट में पेन्डिंग थे उनमें से जो डिस्पोज़ ऑफ हो गये वे तो हो गये, बाकी के क्लेक्टर्स को भेज दिये। क्लेक्टर्स के यहां भी थोड़ी देरी लगी, रूल्स आये उनको समझने में भी जरा देरी लगी। मैं समझता हूं कि अब आयन्दा दिक्कत नहीं होगी और गवर्नमेन्ट के पास आने की जरूरत नहीं होगी।

यह मैंने हाउस के सामने निवेदन किया। जो सुझाव आप लोगों ने दिये और जो कमियां आप लोगों ने बतायीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन कमियों को मिटाने की कोशिश की

[ श्री रामकिशोर व्यास ]

जायगी और जो सुझाव हैं उनको जहां तक संभव होगा अमल में लाने कोशिश की जायगी। इतना ही अर्ज करने के बाद मैं निवेदन करूंगा कि जो कट-मोशन्स श्रीमानों ने रखे हैं उनको आप विड्ड्रा कर लें।

( राज्यपक्ष द्वारा करतलध्वनि )

श्री अध्यक्ष—मांचे के लिए भी कह दीजियेगा।

श्री रामकिशोर व्यास—मांचे के लिए मैं निवेदन करूं कि मांचा अलवर में है। वहां मस्जिदें हैं, उनमें से एक मस्जिद है उसमें एक गुरुद्वारा है। १६ तारीख की रात को गुरु ग्रन्थ साहब को आग लग गई। कमरे में एक आदमी सो रहा था। उसने चौक में पांच-छः आदमियों को देखा। आवाज की तो वे लोग भाग गये। दूसरे रोज बहुत से लोग, आस-पास के रहने वाले आ गये। काफी शोर रहा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। २० तारीख की शाम को एक-दो कत्ल हो गये। फौरन ही एस. डी. ओ., एस. पी. और कलेक्टर पहुंच गये और जब मैंने ये वाकेआत सुने तो मैंने मौके पर डी. आई जी. पी. को भी भेज दिया। १४४ धारा लगा दी है और कुछ अरेस्ट्स भी हुई हैं। करीब ६ अरेस्ट्स हुई हैं हिन्दुओं में से और पांच मेवों में से हुई हैं। तफ़तीश जारी है। सिचुएशन कन्ट्रोल में है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—हिन्दू ६ गिरफ्तार हुए हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—हिन्दू ६ गिरफ्तार हुए हैं, पांच मेव गिरफ्तार हुए हैं।

( कुछ चुप्पी के पश्चात् )

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरे इस डिमान्ड पर चार कटौती के प्रस्ताव थे। मैंने जो कुछ भाषण में निवेदन किया था वह केवल आलोचना की दृष्टि से नहीं किया था बल्कि पूरे फेक्ट्स के साथ, पूरे वाकेआत के साथ, मैंने उनको रखा था। जिन वाकेआत की मैंने चर्चा की उनका मुझे जवाब नहीं मिला। आमतौर पर जो जवाब मिला है, प्रतिवर्ष गृह-मंत्री आकर जवाब दे देते हैं उसी तरह का जवाब मिला है, यह न हो कि केवल आलोचना आलोचना ही रह जाय, इस दृष्टि से मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

मेरा एक कटौती का प्रस्ताव पुलिस ट्रेनिंग की पद्धति के सिलसिले में था। मैंने इस चीज को पूरी तौर से स्टडी किया और फिर मैंने इसको रखा है। मैं निवेदन करूं कि वहीं बोर्ड इन्टव्यू लेता है, वही बोर्ड रिटन टेस्ट लेता है और वही बोर्ड रिपोर्ट देता है और यह बात इसलिए बता रहा हूं कि पिछले सेशन में यह गृह-मन्त्री द्वारा सुना था। नाम तब्दील किये जाते हैं। मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि तीन साल तक जिनकी रिकमन्डेशन कमेटी द्वारा की गई उनको नहीं लिया गया। फिर भी मैं आशा करता हूं कि आयन्दा ऐसा नहीं होगा। मैं आपने इस कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

[ श्री चांदमल मेहता ]

तीसरा प्रस्ताव ऑर्म्स लाइसेन्सेज़ को रिन्यु कराने के बारे में था। इसके लिए यह कहा गया है कि कलेक्टर्स को पॉवर्स दे दिये गये हैं। शिकायत तो यह है कि कलेक्टर्स के पास २० अप्रेल के केसेज़ काफी अर्से तक पड़े रहते हैं। जयपुर कलेक्टर्स के पास ५४-५५ के रिन्युअल के केसेज़ अभी बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं। इसके लिए यह शिकायत नहीं हैं कि कलेक्टर के पास रहे या न रहे या किसी दूसरे के पास रहे; केवल शिकायत यह है कि वह इन टाइम डिस्पोज़ ऑफ हो जायं ताकि दिक्कत लोगों को न हो। रिन्युअल के लिए प्रार्थना-पत्र आते ही तत्काल कर दिये जाने चाहिए, चाहे वे कलेक्टर्स के पास रहें या आपके विभाग के पास। मैं आशा करता हूं कि आयन्दा इस प्रकार की दिक्कत लोगों को नहीं होने देंगे। मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को भी वापिस लेता हूं।

चौथा जो कटौती का प्रस्ताव है उसका जवाब नहीं मिला है। जनरल बात कही गई है और मैं मानता हूं कि उसमें वह भी आ जायगा। इस सम्बन्ध में इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि जो जांच कराई जाय वह मौजूदा अधिकारियों से नहीं कराई जाय। मैंने अपने भाषण में भी यही कहा था कि वहां जो अधिकारी हैं उनका पहले आप ट्रान्सफर कर दीजिये और फिर किसी दूसरे अधिकारी से जांच करवाइये ताकि सही राज खुल जायगा।

अतः इन चारों कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की मैं सदन से आज्ञा चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है कि श्री चांदमल मेहता को उनके चारों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री चांदमल मेहता**—मैं अपने चारों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री श्रीदास गोयल**—माननीय अध्यक्ष, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव भ्रष्टाचार को दूर करने के सिलसिले में था। जो कुछ माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, उनके शब्दों में दर्द था और अपील थी। मैं महसूस करता हूं कि वे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैंने जो सुझाव दिये थे कि वे जगह-जगह जाकर एस० आई० से मिलें बगैर उच्चाधिकारियों के साथ में होते हुए और उनकी शिकायतों को सुने, अधिक से अधिक दूर प्रोग्राम बनायें। यदि उन सुझावों पर गौर किया गया तो मैं समझता हूं कि उनके शब्दों में और मन में जो तड़फन है इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, वह अवश्य दूर होगी। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है कि श्री श्रीदास गोयल ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है, उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ?

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री श्रीदास गोयल**—I withdraw my Cut-motoin, Sir.

**श्री धूलजी भाई भावसार**—मेरा कटौती का प्रस्ताव भ्रष्टाचार को हटाने के सिलसिले में है। माननीय मंत्रीजी इसको जल्दी ही सुधारने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेंगे, इस आश्वासन पर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है कि श्री धूलजी भाई को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री धूलजी भाई भावसार**—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री खेतसिंह**—माननीय अध्यक्ष मैं, अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है कि श्री खेतसिंह को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री खेतसिंह**—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री जवानसिंह**—माननीय अध्यक्ष, मुझे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस न लेने के लिए प्रत्युत्तर में यह निवेदन करना है कि जैसे हर साल ये आश्वासन दिये जाते हैं कि हम तरक्की करेंगे, खराबियां जो हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन उनको कोई सफलता हासिल हुई प्रतीत नहीं होती है। जो आंकड़े दिये जाते हैं, उदाहरण दिये जाते हैं उनके लिए निवेदन करूंगा कि ये मुकम्मिल रजिस्टर नहीं होने की वजह से आंकड़े कम आते हैं। अगर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं तो मैं भी उन मित्रों में शामिल हो जाता हूं जो कि करप्शन को मानते हुए भी अपनी बातों को वापिस विद्ड्रॉ करते हैं। चूंकि यह एक अहम मसले की बात है, इसलिए मैं उनमें शरीक नहीं होना चाहता। मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार और भी जागरूक रहे और यदि भविष्य में कोई ऐसा काम करेगी तो आगे जाकर हम जरूर इस बात को मन्जूर करेंगे कि सरकार थोड़ी बहुत सफल हुई है।

सहयोग देने की जो बात कही गई उसके बारे में मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक सदस्य ने साल, दो साल पहले इसी सदन में एक भाषण दिया था, उसके थोड़े दिनों के पश्चात् सदस्य के घर पर चोरी हो गई। यह मैं नहीं कह सकता की किसी पुलिस अधिकारी ने करवाई हो। हो सकता है कि आज जब कि मैं ऐसी बातें कह रहा हूं मेरे घर पर भी चोरी होजाय। ऐसी बात

…नसिंह ]

होते हुए भी जो सहयोग का सवाल है वह सवाल निकाल दिया जाना चाहिये और वास्तव में ईमानदारी से काम किया जाय। सहयोग न दिया जाय और सहयोग लेने के नाम से जो बदनामियां होती हैं उनसे बचना पड़ता है और न आप वाकई सहयोग चाहते हैं, जो इस प्रकार का आपको सहयोग दिया जाय।

एक बात और अर्ज करूंगा जो थी फिक्सेशन के सिलसिले में। जहां तक आर० ए० एस० और आर० पी० एस० का ताल्लुक था वह ठीक था, लेकिन जहां सब इन्स्पेक्टर्स आदि का सवाल था हैडकॉन्स्टेबल आदि का जो फिक्सेसन हुआ है उसके लिये जांच कराई जाय। उसमें चाहे आप सदन के सदस्यों को शामिल करें या और कोई अधिकारी हों वे इस बात की जांच करें कि हैड-कॉन्स्टेबल और सब इन्स्पेक्टर्स की जो सीनीयोरिटी लिस्ट बनाई गई है उसमें ईमानदारी बरती गया है नहीं, या बदमाशी की गई? तीन तरह की लिस्टें हैं। लेकिन देखते क्या हैं कि 'सी' लिस्ट में से आदमी को सब इन्स्पेक्टर या इन्स्पेक्टर बना दिया जाता है, बीच की लिस्ट को खा जाते हैं। यह मैं मानता हूं कि हमारे यहां बम्बई से आई० जी० पी० आये हैं, किन्तु वहां जिस प्रकार सीनियोरिटी के हिसाब से प्रोमोशन दिया जाता है तो फिर वे उसी हिसाब से यहां क्यों नहीं करते? यहां पर गड़बड़ियां क्यों बरती जाती हैं? मैं यह विश्वास करता हूं कि इस बारे में जांच कमेटी बिठाई जायगी तो उनको ऐसे हजारों केसेज मिलेगे जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं। इसलिये मैं अपने आपको अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने में असमर्थ पाता हूं। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेकर सहयोग और उनके साथ मिलना नहीं चाहता, जो करप्शन की नींव मजबूत करना चाहते हैं। इसलिये मैं अपने कट-मोशन को वापिस लेना नहीं चाहता।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था वह मैं वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैने मंत्रीजी से प्रार्थना की थी कि वे फिक्सेशन के मामले में जांच कमेटी बैठायें। जो फिक्सेशन हुआ वह सही ढंग से नहीं हुआ। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सब-इन्सपेक्टर्स वगैरह का फिक्सेशन इन्टर्व्यू बगैर हो। वह पब्लिक सर्विस कमीशन को सौंप दिया जाना चाहिये। इससे थोड़ा बहुत सन्तोष हो सकता है। इस बारे में कुछ नहीं बताया।

एक मेरे बारे में कुछ श्री घीसीसिंह ने कहा था। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि घीसीसिंहजी तीन पैसे पर माइल (Per mile) की जगह छ आना पर माइल वसूल करते हैं। अगर यह झूठ हो तो उनके टी० ए० बिल देख लिये जांय।

**श्री अध्यक्ष**—आप पुलिस की बातें करते-करते आपस में उतर आये हैं।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—उन्होंने भी मेरे बारे में कहा था, इसलिए मुझे भी कहना पड़ा।

कल की ही बात है कि गवर्नमेंट होस्टल में ५०-६० सांसी पड़े थे, तो एम० एल० ए० ने केअर टेकर को कहा कि वे उनको उठायें। लेकिन उसके लिए कुम्भारामजी को फोन किया गया और उनको हटाया गया। यह डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है? यह अगर मैंने गलत कहा हो तो आप जांच करवा सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी ]

मैने राजगढ़ के दीपचन्द के बारे में भी कहा था। उस दीपचन्द के बारे में ऑपोजिशन के लीडर ने करीब दो महिने पहले काफी बातें कही थीं लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया, चाहे मिनिस्टर बदल गये हों किन्तु जवाब तो देना ही चाहिये। आप दीपचन्द के बारे में अखबारों में पढ़ते होंगे। उन्होंने लड़के के उड़ाने के बारे में ५० हजार रुपये दिये। यह बात पैसे देने वाले पार्टनर ने मुझ से कही है। दीपचन्द के बारे में सरकार को जांच करनी चाहिये कि यह आदमी कैसा है। गोलमाल जवाब देने के कारण मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस नहीं लेता।

**श्री भोपालसिंह**—माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री ने पादू थाने के अन्तर्गत जो चोरिय की वारदातें दिन-रात बढ़ रही हैं उसके लिए कुछ नहीं कहा। जब मैं बोल रहा था उन्होंने नोट तक नहीं किया, इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस नहीं लेता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या १४ पर श्री जवानसिह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

( विराम )

जो कटौती का प्रस्ताव श्री मुक्तिलाल मोदी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

( विराम )

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

( विराम )

श्री भोपालसिहजी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे स्वीकार किया जाय ?

( अस्वीकृत )

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

( विराम )

[ श्री अध्यक्ष ]

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या १४ मेजर हैड २६-पुलिस के संबन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,८५, ३०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

## मांग संख्या ३७-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

**श्री जवानसिंह**—एक-दो और मांगें ले लीजिये।

**श्री अध्यक्ष**—एक मांग और ले लेते हैं क्योंकि इस पर कोई कट-मोशन नहीं है।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुदान के लिए मांग संख्या ३७, मेजर हैड ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३६,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

**श्री अध्यक्ष**—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—मैं इस पर बोलना चाहता हूं। मेरा कट-मोशन भी था। वह क्यों नहीं आप के पास पहुँचा, यह मुझे नहीं मालूम?

**श्री अध्यक्ष**—आप बोल गये। श्री हरिकृष्ण व्यास का एक कट-मोशन है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक विकास के लिए माननीय मन्त्रीजी ने जो प्रस्ताव रक्खा उसमें उनको यह बताना चाहिए था कि इस साल में कितने औद्योगिक विकास से ज्यादा से ज्यादा रुपया आया। जितना हर साल मिलता है उतना ही इस साल बताया और खर्चे में जरूर कमी बताई। माननीय अध्यक्षजी, आज इस राजस्थान के औद्योगिक विकासों से करीब तीन करोड़ रुपयों की इनकम हो सकती है। परन्तु आज क्या कारण है कि इनकम इतनी कम है? पैसा लगाने वाले लोग पूंजिपति आज इस राजस्थान सरकार के तौर-तरीकों से परेशान हैं, इसलिये कोई इस ओर उत्साहित नहीं होता। एक-एक कागज एक साल या डेढ़-डेढ साल तक निकल नहीं पाता उनके चक्कर से। उनके पत्रों का इससे पहले जवाब नहीं मिलता, फैसला नहीं होता उस कागज का। यह हाल है। यह महकमा इन मन्त्री महोदय के पास तो अब आया है। इनसे पहले साहबान ने तो यह यह किया कि एक चीज को एक आदमी से छीन कर दूसरे आदमी के सुपुर्द कर दी, न किसी को बुलाया गया और न पूछा गया।

[ श्री मुक्तिलाल मोदी ]

आज हिन्दुस्तान के सब से बड़े जिओलोजिस्ट ने कहा कि हिन्दुस्तान में दूसरा नम्बर राजस्थान का है मिनरल प्रोडक्ट्स की उन्नति की सम्भावनाओं में। आज इससे राजस्थान को तीन-चार करोड़ की इनकम हो सकती है। पर आज उसका सर्वे नहीं कराया जाता है। आज सरकार के तरीके जो हैं वे बड़े गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जैसे फुल्लर्स अर्थ का मामला लीजिये। पहले १६ साल रुपया इससे सरकार के खजाने में आता था, पर आज इस बजट में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। क्या कारण है इसका? उसका केस सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में अलग चल रहा है, राजस्थान सरकार में अलग चल रहा है और एक आदमी को दो महीने पहले २७ रुपया टन का ऑर्डर दिया जाता है और एक आदमी को सवा रुपया टन का ऑर्डर दिया जाता है। एक आदमी से साल या डेढ साल पहले जबर्दस्ती इसका प्लॉट छीन कर दूसरे को दिया जाता है। वह नुकसान किसका हुआ? मन्त्रीजी इसका जवाब दें।

आज बीस हजार खानें माइनर मिनरल्स की राजस्थान में हैं, जिनके द्वारा डेढ़ करोड़ की रॉयल्टी सरकार को मिल सकती है।

**श्री अध्यक्ष**—हाउस खाली होता जा रहा है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—हाउस खाली होता जा रहा है तो पहले आपने क्यों शुरू कराया?

**श्री अध्यक्ष**—आपकी स्पीच सुन सुन कर जा रहे हैं।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—जाते हैं तो जाने दीजिये उनको। माननीय मंत्रीजी और आप तो बैठे हैं।

और आज आइरन, बेरियल, भोडल और जिप्सम और उल्फ्रोम, शीशा और एक तरह की फुल्लर्स अर्थ और जिप्सम के बारे में जो राजस्थान सरकार का आज ३० फी सदी शेयर है उसकी भी इनकम आज बजट में कहीं दिखाई नहीं देती है, इसका क्या कारण है? सिन्दरी फैक्ट्री जो आज हिन्दुस्तान की सब से बड़ी फैक्ट्री है उसको बहुत ही अधिक मात्रा में जिप्सम हमारे यहां से जाता है। यों कह सकते हैं कि वह हमारे यहां के जिप्सम के द्वारा ही चल रही है। हमारे यहां से सस्ती दर पर जिप्सम ले जाकर वही खाद के रूप में बना कर कई गुना मुनाफा उससे हो रहा है जिप्सम सिन्डीकेट को। राजस्थान सरकार के पहले के बजट में और इस बजट में भी इसकी इनकम और फायदा कहीं दिखाई नहीं देता। क्या कारण है कि उनको २०-२५ लाख का फायदा है तो कम से कम राजस्थान सरकार को उसमें से एक, दो, चार लाख तो आना चाहिये। यह भी नहीं आता, इसका क्या कारण है? माननीय मन्त्री महोदय यह भी बतायेंगे कि जो औद्योगिक विकास इस प्रान्त में करने वाले हैं उनके कार्य के लिए कर्जा कितना दिया गया मशीनरी के लिए, कम्प्रेशर्स चलाने के लिए, ठेके के लिए, सड़कों के लिए उनको क्या सहायता दी, जिससे कि राजस्थान की आज उन्नति हो सके। इसके बिना राजस्थान सरकार की आज जो आर्थिक स्थिति खराब है, वह कैसे ठीक होगी? आपने इस प्रान्त की आर्थिक स्थिति जो कमजोर है उसको इस तरह औद्योगिक प्रगति के द्वारा

[ श्री मुक्तिलाल मोदी ]

नहीं पूरा किया और इसके लिए और अधिक दूसरे टैक्स यहां की जनता पर लगाये तो जो कल्याणकारी राज्य का आपने दावा किया है, वह कैसे पूरा होगा ? वह कभी इस तरह से पूरी नहीं होने वाली है।

मैं कुछ दिन पहले मिनिस्टर साहब से मिलने गया था, तो मुझे बताया गया था कि माइनर मिनरल रूल्स बन गये हैं और वे जल्दी ही बाहर आने वाले हैं। उसके लिए तो मैं मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना तो किया। माननीय मन्त्रीजी इस औद्योगिक विकास के लिए पूरा पूरा ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्ट्रेस्ट लेकर काम करेंगे, ऐसी आशा है। पास में ही हमारे कांडला पोर्ट बन रहा है, इससे भी हमारी औद्योगिक उन्नति में मदद मिल सकती है।

दूसरी बात यह है कि आज कई मिनरल्स ऐसी हैं जिनके लिए रेलवे फ्रेट में कमी होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिये। माननीय मन्त्रीजी को रेलवे के बड़े बड़े अफसरों से मिलना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**—कहां से आया यह रेलवे का मामला इसमें ?

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—सुनो तो सही।

उस रेलवे के बड़े बड़े अफसर से मिलें ! पर राजस्थान सरकार आज इसके लिये क्या कर रही है। चेम्बर ऑफ कामर्स के...

**श्री श्रीदास गोयल**—ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय मित्र जो बोलना चाहते हैं वे सुझाव किसी कट-मोशन के द्वारा आने चाहिये। यह ठीक है कि यह स्वस्थ परम्परा है कि कोई भी बोले। पर...

**श्री अध्यक्ष**—यह अस्वस्थ परम्परा है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—तो मंत्रीजी को यह मैं बता दूं कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनको अगर डेवलप करेंगे तो वे मिनरल्स आज दूसरे, फोरिन कन्ट्रीज में ज्यादा चल सकते हैं बनिस्बत हिन्दुस्तान के। उसमें उस ऑफिसर ने कहा था कि राजस्थान सरकार के बारे में इस बात को कि उनके ऑफिसर भी मुकर्रर हैं उस कमेटी में उन्होंने भी कोई ऐसी चीज नहीं लिखी कि जिसमें हम उस बात के लिए गौर करें।

चेम्बर ऑफ कॉमर्स का उदाहरण दिया, इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का दिया; तो वहां पर जो बड़े से बड़ा आदमी होता है उसको सपोर्ट करते हैं और गरीब के पास ७५ रु जमा नहीं कराए, वहां का मेम्बर नहीं बने तो बात तक नहीं करते हैं। यह मैं आपसे सही बात कहता हूँ, माननीय मंत्री जी क्योंकि ७५ रु० जमा नहीं कराता है तो मेम्बर नहीं बनता है राजस्थान चेम्बर ऑफ कॉमर्स या जयपुर चेम्बर ऑफ कामर्स का। तो भी एक सिद्धान्त के तरीके पर उसको सहानुभूति से सहयोग देना चाहिए

[ श्री मुक्तिलाल मोदी ]

था, परन्तु वे नहीं देते हैं। तो ऐसी हालत में जो राजस्थान के अन्दर किस किस तरह के मिनरल्स हैं उसमें काफी गड़बड़ियां हुई हैं वह आपको पता हो। पहले जो हुई हैं, उनको भी माननीय मंत्रीजी इस हाउस के सामने यहां, मैं इतना विश्वास करता हूँ, यह कहेगें कि पहले कि गड़बड़ियों को भी अगर मिटायेंगे, और उसके ऊपर भी मंत्र जी के ऊपर काफी दबाव आयेगा, और काफी इस मामले में खींचा-तान भी हो सकती है, तो उसको भी नहीं रखते हुए जो पहले काफी कुछ मिनिस्टरों या कुछ एम. एल. एज़. ने या कुछ ऑफिसर्स या कुछ दूसरे लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको मिटा कर नये तरीके पर कुछ उद्योगों को बढ़ायेंगे, जिससे कि राजस्थान की उन्नति हो और मुल्क की फाइनेन्शियल पोजीशन जो खराब है वह दूर हो सकेगी।

**श्री अध्यक्ष**—(श्री भोगीलाल पंड्या से) जवाब दे दीजिये और कोई नहीं बोले तो।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने जो २६ लाख रुपये की इन्डस्ट्रियल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन के लिए मांग थी, और यह उद्योगों को पनपाने की मद के लिए मांग थी, और आपने (पूर्व वक्ता) भी यही बतलाया है कि जो उद्योग चलाने के हैं उन्हें अधिक से अधिक सहायता दी जाय; तो आपने भी मेरी जो मांग है उसको बल दिया है और आपने सिफारिश की है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया उसको मिलना चाहिए और उद्योगों को अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिए। लेकिन न मालूम इस बीच में विषयान्तर होकर कुछ और बातें कहीं हैं। मैं भी संक्षेप में उनका उत्तर दे दूं।

पहली बात तो यह है कि आपने बताया कि ४ करोड़ या ३ करोड़ की आमदनी की कोई योजना आपके पास में है। यह भी बताया गया था कि उस योजना को तुरन्त कार्यान्वित किया जाय तो चार करोड़ की आमदनी हो सकती है। मैं माननीय मित्र से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी योजना ४ करोड़ या ३ करोड़ की हो तो अवश्य बतलाने की कृपा करें और मुझे अधिक से अधिक सहयोग दें ताकि हम दोनों मिलकर उस सारी चीज को करें। आपके सहयोग से ४ करोड़ या ३ करोड़ की आमदनी होगी तो ठीक है……

**श्री श्रीदास गोयल**—इनको डिप्टी बना लें।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—फालतू बात नहीं करें।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—दूसरी बात विशेष तौर से फुलर्स अर्थ के बारे में थी। न मालूम कहां से १६ लाख की आमदनी जो होती थी वह चली गई, न मालूम कहां; ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी बात जरूर थी कि फुलर्स अर्थ को मेजर में ले लिया तो उस पर १ रु० ५ आ० ४ पा० रॉयल्टी मिलती थी, परन्तु राजस्थान सरकार ने प्रयत्न किया और भारत सरकार ने उसको माइनर मिनरल में ले लिया और राजस्थान सरकार अब अपनी तरफ से चाहे जो रायल्टी ले सकती है, और अब २० रु० राजस्थान सरकार लेती है। उसे पहले १ रु० ५ आ० ४ पा० रॉयल्टी मिलती थी

[ श्री भोगीलाल पंड्या ]

उसके अब उसको २० रु० मिलते हैं। न मालूम आपको किसने कह दिया कि गवर्नमेंट ने किसी को सवा रुपये की रॉयल्टी पर दिया है। यह बाजारू बात हो सकती है...

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—नहीं साहब, यह फाइल में है। आपके पहले वाले मिनिस्टर साहब ने दिया है। फाइल ऑर्डर्स हैं। आप चाहें तो मैं आपको नम्बर और तारीख भी दे दूं।

**एक माननीय सदस्य**—पहले वाले मिनिस्टर साहब ने जो गलतियां की हैं उनको सुधारने के लिए किस तारीख को आप मिलेंगे ?

**श्री भोगीलाल पंड्या**—ऐसी गलती नहीं हुई है। बात यह है कि जैसा कि पहले मैंने बतलाया है कि माइनर मिनरल फुलर्स अर्थ पहले था, उस पर १ रु० ५ आं० ४ पा० रॉयल्टी ले सकते थे। अब मेजर मिनरल में नहीं है इसलिए अब २० रुपया पर टन रॉयल्टी लेते हैं। वह पहले वाले मिनिस्टर ने दिया है। यह स्पष्ट है, पहले भी कहा है। अब भी कोई भ्रम रह गया हो तो उसे निकाल दें।

दूसरी बात और भी बताई कि कुछ आमदनी किन्हीं मदों की अलग जिप्सम की कोई चर्चा नहीं है; उसमें दिखाई नहीं देती है। रॉयल्टी की जितनी आमदनी होती है वह सब शामिल होती हैं। किस जगह किसकी कितनी आमदनी होती है अगर आप चाहेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो जब कभी होगा कि किस-किस की कितनी-कितनी रॉयल्टी आती है, मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—जिप्सम के शेयर हैं गवर्नमेंट के।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—दिल्ली में किसी ने आपको बतलाया कि राजस्थान सरकार रेलवे फ्रेट की सिफारिश करेगी तो बहुत कम हो सकता है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी**—दिल्ली में नहीं यहीं पर ही कहा था।

**श्री भोगीलाल पंड्या**—मैं आपसे अर्ज करूंगा कि रेलवे फ्रेट कम हो जायेगा तो राजस्थान सरकार पूरा-पूरा प्रयत्न करेगी।

अभी जो आप चाह रहे थे, वह है कि ३६ लाख रुपये की इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की मांग को मंजूर करने का। उसकी आपने ताईद की है, दिलाने के लिए कहा है। इस पर कोई कट-मोशन अभी नहीं आया है और न, मेरे ख्याल से, कट-मोशन है जिसको वापिस से लेने का प्रश्न ही आता है। इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, आपके द्वारा मैं प्रार्थना करूंगा कि वह मांग जो है, उसे स्वीकार फरमावें।

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न यह है, "कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३७, मेजर हैड ७२-औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९५९, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३६,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

( स्वीकृत )

मांग स्वीकार की गई।

( सभा की कार्यवाही आगे के लिए चालू रखने के संबंध में अनौपचारिक वार्त्ता )

## भविष्य के कार्य-क्रम सम्बन्धी वार्ता

**श्री चांदमल मेहता**—या तो आज बैठा जाय नहीं तो रविवार को बैठक रखी जाय। काफी ऐसे विषय हैं जिन पर विचार करना जरूरी है।

**श्री रामकिशोर व्यास**—कल बैठ सकते हैं, ८ से १२ बजे तक।

**श्री श्रीदास गोयल**—जैसा माननीय उपनेता ने कहा, कल बैठने में कोई हर्ज नहीं है तो मैं समझता हूं उनका विचार ठीक है।

**श्री मथुरादास माथुर**—कल नहीं बैठ सकते क्योंकि कल बाउन्डरी कमीशन यहां आ रहा है। हम लोग भी रिप्रेज़ेन्ट करने जायेंगे एम. एल. एज़. की तरफ से और फिर २८ तारीख के दिन मुश्किल हो जायगी। उस समय फिर मेम्बर्स कहेंगे कि दिन आगे और बढ़ाये जायं तो ठीक नहीं रहेगा इसलिये आज ही बैठा जाय। जो आज बोलना चाहें वे आज बोल देंगे और बाकी कल बोल देंगे।

**श्री खेतसिंह**—माननीय अध्यक्ष, अच्छा यह है कि आज खत्म किया जाय। आज मेला भी है और हममें से जवान एम. एल. एज़. देखने जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष**—क्या आप जवानसिंहजी की तरफ से बोल रहे हैं?

**श्री जवानसिंह**—मैं खुद अपनी तरफ से बोल सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—हम २८ तारीख को ८ बजे के लिये एडजॉर्न करते हैं और जरूरत हुई तो दो सिटिंग्ज कर लेंगे।

(तत्पश्चात् सभा की बैठक सोमवार, दिनांक २८ मार्च के ८ बजे प्रातःकाल तक के लिये स्थगित हुई।)

**विधान सभा भवन,**
जयपुर,
दिनांक २६-३-५५.

**मनसाराम पुरोहित**
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

## परिशिष्ट १

( तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है ।)

२४८. (१०७/सी.एम.) श्री रावराजा सरदारसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १३७—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

( क ) क्या कस्बा ककोड, तहसील उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टोंक में कोई स्कूल है ?

( ख ) अगर है, तो किस श्रेणी तक और कब से ?

( ग ) उस स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और गत वर्ष परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ?

( घ ) क्या वहां का अध्यापक पंचायत बोर्ड में लेखक का कार्य करके बोर्ड से भी वेतन प्राप्त करता है ?

( ङ ) अगर हां, तो क्या वह शिक्षा-अधिकारी की आज्ञा से लेखक का कार्य करता है ?

### उत्तर

( क ) जी हां।

( ख ) वह स्कूल तीन श्रेणी तक है और तारीख १०-७-५० से खोला गया है ।

( ग ) उस स्कूल में छात्र संख्या २६ है । गत वर्ष परीक्षा में १२ छात्र उत्तीर्ण हुए ।

( घ ) यह शिक्षा-विभाग की जानकारी में नहीं है, इसकी जांच की जायगी ।

( ङ ) जी नहीं ।

परिशिष्ट २

( कृपया प्रश्न संख्या २५० का उत्तर देखिये )

LIST OF DOCTORS WHO HAD JOINED WAR SERVICES

| S.No. | Name of the Doctor | Period | Whether Military Services counted. | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dr.U.K. Vyas | 2-2-44 to 4-6-47. | Yes | Lent from Jodhpur Govt. |
| 2. | Dr. Jeth Mal Vyas | 13-7-45 to 27-10-1947. | " | " |
| 3. | Dr. G.L. Nahatma | 14-10-43 to 14-10-46. | " | Lent from Mewar Govt. |
| 4. | Dr. Ranjit Singh | 2 years 9 months (pariod counted double.) | " | Counted by Bikaner Government, in 1948-49. |
| 5. | Dr. R. D. Patel | 13-6-42 to 12-3-45. | " | Transferred from Jaipur State Forces. |
| 6. | Dr. A.S. Gulati | 1-5-40 to 3-12-45 | " | Lent by Bikaner Government. |
| 7. | Dr. R.M. Kasliwal | Jan. 41 to Dec, 1945 | under Consideration | He was in I.N.A. |
| 8. | Dr. P.C. Jain | Jan, 41 to June 30, 1951 | No | got mustering concession. |
| 9. | Dr. P.K. Dutta | March, 43 to Dec, 46. | " | got mustering concession. |
| 10. | Dr. R.S. Dogra | from 1942 to 1946. | " | does not fall under rules. |
| 11. | Dr. C.K. Bhatnagar | March, 43 to March, 46. | " | got mustering concession. |
| 12. | Dr. A.L. Nohi | Feb. 41 to Dec., 1946. | " | got mustering concession. |
| 13. | Dr. Ram Singh | 23-10-40 to 30-6-51. | " | getting pension for Military services. |
| 14. | Dr. P.C.Chaturvedi | for 6 months in 1942. | No | Under consideration. |
| 15. | Dr G.L. Talwar | 4 years | " | ——do—— |
| 16. | Dr. A.K. Biswas | 1943 to 1947 | | ——do—— |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. Dr. R.S. Bhatnagar | 1939 to 45. | „ | ——do—— |
| 18. Dr. A.C. Kaplash | 1947 to March, 52 | „ | ——do—— |
| 19. Dr. G.S. Gromal | 16th Feb, 43 to 25th Feb, 46 | „ | ——do—— |
| 20. Dr. O.C. Mathur | 1-11-53 to Dec. 46 | „ | ——do—— |
| 21. Dr. Ratan Chand | Jan 41 to May, 46 | „ | ——do—— |
| 22. Dr. Bhagmal Verma | 8-6-42 to 18-6-47 | „ | ——do—— |
| 23. Dr. Gopal Das | 28-5-40 to 13-1-47 | | ——do—— |
| 24. Dr. M.N. Agarwal | 9-2-42 to 16-3-46 | „ | ——do—— |
| 25. Dr. A.S. Nagpal | 18-2-43 to 13-10-46 | „ | ——do—— |
| 26. Dr. Vidya Bhusan | Four Years | „ | ——do—— |
| 27. Dr. R. M. Sharma | | „ | ——do—— |
| 28. Dr. R S. Agarwal | | „ | ——do—— |

Copy of letter No. 33/46-C. S. dated the 6th July. 1950 from the Under Secretary to Government of India, Ministry of Home Affairs New Delhi to the Chief Secretary, Rajasthan.

Sub:—Grant of concessions to War service candidates appointed to Civil Posts on a permanent basis-counting of Military service for purposes of Civil pension.

I am directed to forward harewith, for information a copy of the Government of India, Ministry of Home Affairs Office Memorandun No. 33/49/- G.S. dated the Ist July. 1950, on the subject mentioned above. Necessary amendements to the Civil Service Regulations are being issued separately—

No. F. 10 (55) GA/50 Deted. Jaipur, the 13th September. 1950

Copy with enclosure forwarded to:—

1. All Secretaries to Government.
2. Secrstary to H.H. the Raj Pramukh.
3. Principal Private secretary. to Hon'ble Chief Minister.
4. Private Secretaries to Hon'ble Ministers.
5. P. As to Adviers.
6. All Heads of Department.

Sd.

Chief Secretary to the Government
of Rajasthan.

Copy of Government of India, Minister of Home Affairs Office Memoradum No. 33/49- C. S. dated 1st June, 1950.

Subject—Grant of concessions to war Service Candidates appointed to Civil posts on a permanent basis counting of miiltary services for purposes of civil pension.

The undersigned is directed to say that the Government of India have had under consideration for some time past whether and if so, to what extant 'war service' candidates appointed to civil posts on a permanent basis should be allowed to count the period of their 'war service' for purposes of civil pension. After careful consideration, it has been decided that persons who have rendered 'War Service' as members of His Majesty's Forces and have been appointed or are deemed to have been appointed permanently to war-reserved vacancies or to other vacancies which arose before the 1st January, 1948, shall, subject to the general principles laid down in articles 357-A and 357-B of the civil service Regulations, be allowed to count the completed years of their satisfactory whole-time service in His Majesty's Forces rendered between the 3rd September, 1939 (or the date of their attaining the minimum age of entry into the service of post to which they are appointed on a permanent basis, whichever is later) and the 1st April, 1946, for purposes of civil pension upto a maximum of five years.

परिशिष्ट ३

( कृपया प्रश्न संख्या ७ सी० एम० का उत्तर देखिये। )

| संख्या | नाम | योग्यता | नियुक्ति की तारीख | नियुक्ति का काल | नियुक्ति का आधार | क्या जन-सेवा आयोग द्वारा पुष्टिकरण किया जा चुका है |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| | **राजस्थान सचिवालय—** | | | | | |
| १. | डा. एम. एन. गोडबोले | प्रोफेसर, बनारस विश्वविद्यालय, डाइरेक्टर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़, राजस्थान। | ३-१२-५४ | ३ वर्ष | पुनर्नियुक्ति | आवश्यकता |
| २. | श्री सी. बी. लाल माथुर | महकमा हिसाब का ऑफिसर | १-६-५४ | १ वर्ष | ,, | नहीं। |
| | **शिक्षा विभाग—** | | | | | |
| ३. | सुश्री माधुरी | एम. ए. | २६-१०-५४ | ६ मास या जन-सेवा आयोग द्वारा चुने हुये व्यक्ति के प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो। | नियुक्ति के योग्य | ६ मास तक के समय के लिये नियुक्तियों में जन-सेवा आयोग के पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं। |
| ४. | श्री महावीर राज | एम. एस सी. | २५-८-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ५. | श्री पद्मलाल | एम. कॉम. | १८-८-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ६. | श्री किशनलाल | एम. ए. | १८-८-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ७. | श्री कृष्णलाल | एम. एस. सी. | ३-६-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ८. | श्री गोवर्धनसिंह | एम. ए. | ७-६-५४ | ,, | ,, | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ९. | श्री सत्यदेव | एम. एस सी. | २४–८–५४ | ,, | ,, | ,, |
| १०. | श्री केदारनाथ | एम. कॉम | २६–८–५४ | ,, | ,, | ,, |
| ११. | श्री रतनचन्द | एम. एस सी. | ११-१०-५४ | ,, | ,, | ,, |
| १२. | श्री मोहनलाल | एम. कॉम. | ८–९–५४ | ,, | ,, | ,, |
| १३. | श्री गिरिराजसिंह | एम. ए. | ८–९–५४ | ,, | ,, | ,, |
| १४. | श्री शीतलप्रसाद | एम. ए. | २१-१२-५४ | ,, | ,, | ,, |
| १५. | श्री कृष्णमोहन | एम. ए. | १७-१०-५४ | ,, | ,, | ,, |
| १६. | श्री सत्यनारायण | एम. कॉम. | २४-९-५४ | ,, | ,, | ,, |
| १७. | ,, गुलाबसिंह | एम. ए. | १७–८–५४ | ,, | ,, | ,, |
| १८. | ,, प्रेमनारायण | एम. ए. | १९–८–५४ | ,, | ,, | ,, |
| १९. | सुश्री देविका एच. बुर्रानी | पोस्ट ग्रेजुएट | १९–७–५४ | तीन से ६ महीने तक | पोस्ट ग्रेजुएट होना तथा एडमिनिस्ट्रेटिव डि० की सिफारिश पर। | ,, |
| २०. | ,, सीताराम अग्रवाल | ,, | २१–१–५५ | ,, | ,, | ,, |
| २१. | ,, कृष्ण सत्यानन्द | ,, | ३०–१०–५४ | ,, | ,, | ,, |
| २२. | ,, ओम् प्रकाश | ,, | ——— | ,, | ,, | ,, |
| २३. | ,, टी. सी. जैन | ,, | १५–७–५४ | ,, | ,, | ,, |
| २४. | श्री वेंकटेश्वर अलवर | ,, | ९–१०–५४ | ,, | ,, | ,, |
| २५. | ,, एच. एच. टिक्कीवाल | ,, | १५–१२–५४ | ,, | ,, | ,, |
| २६. | ,, प्रमोदप्रकाश | ,, | १७–७–५४ | ,, | ,, | ,, |
| २७. | ,, कैलाश प्रसाद | ,, | २०–१०–५४ | ,, | ,, | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २८. | श्री एस. प्रसाद राव | ,, | १३-६-५४ | ,, | ,, | ,, |
| २६. | ,, ललितकिशोर | ,, | १८-११-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ३०. | ,, एल. एल. भटनागर | ,, | १७-७-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ३१. | ,, जे. एन. मित्तल | ,, | १७-७-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ३२. | ,, देव शर्मा | ,, | २१-१०-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ३३. | ,, एम. एल. जोशी | ,, | ४-६-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ३४. | ,, शंकरलाल वर्मा | ,, | फरवरी ५५ | ,, | ,, | ,, |
| ३५. | ,, एम.एल. शर्मा | ,, | ५-८-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ३६. | श्री लज्जा शंकर | | पोस्ट ग्रेजुएट | ,, | ,, | ,, |
| ३७. | श्री कालूराम शर्मा | ,, | २६-७-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ३८. | ,, वसतीराम पुरोहित | ,, | ६-८-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ३६. | ,, दिनेन्द्रकुमार | ,, | १३-६-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४०. | ,, आनन्दविहारी | ,, | जौलाई ५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४१. | ,, आर० एस० श्रीवास्तव | ,, | १८-८-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४२. | सुश्री एस० रे० | ,, | ७-७-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४३. | सुश्री आशा अटल | ,, | ११-११-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४४. | ,, भंवरलाल सोनी | ,, | ८-२-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४५. | ,, अनूपसिंह कपूर | ,, | ५-८-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४६. | ,, केवल जैन | ,, | १२-७-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४७. | ,, गोविन्दशरण गुप्ता | ,, | १८-८-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४८. | ,, राजेन्द्र कुमार | ,, | ७-७-५४ | ,, | ,, | ,, |
| ४६. | ,, महीपालसिंह | ,, | दिसम्बर ५४ | ,, | ,, | ,, |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ५०. | श्री जी०डी० भार्गव | ,, | ३०–१०–५४ | ,, | ,, | ,, |
| ५१. | ,, भगवान स्वरूप | ,, | दिसम्बर ५४ | ,, | ,, | ,, |
| ५२. | ,, कन्हैयालाल कल्ला | ,, | १३–७–५४ | ,, | ,, | जन सेवा आयोग द्वारा चुन लिये गये |
| ५३. | ,, भंवरलाल | ,, | ३०–११–५४ | ,, | ,, | ,, |
| ५४. | ,, हरप्रसाद | ,, | — | ,, | ,, | ,, |
| ५५. | ,, बी० डी० शर्मा | ,, | १७–७–५४ | ,, | ,, | ,, |
| ५६. | ,, जे० एन० अरोरा | ,, | १६–७–५४ | ,, | ,, | ,, |
| | **कृषि विभाग** | | | | | |
| ५७. | ,, बी० बी० हैटवाल्नी | एम. एस. सी. | जनवरी, ५५ | चालू वित्त वर्ष के अन्त तक | एडमिनिस्ट्रेटिव डि. की सिफारिश पर। | वर्षीय |
| ५८. | ,, बालकृष्ण सोनी | एम. एस सी. पी एच. डी. | जनवरी, ५२ | ,, | ,, | ,, |
| | **राजस्व मंडल** | | | | | |
| ५९. | ,, गंगाप्रसाद अग्रवाल | बी. ए., एल एल. बी. | १०–६–५४ | अस्थायी | जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम | नहीं। |
| ६०. | ,, श्यामसुन्दर लाठ | बी. ए., एल एल. बी. | १७–१–५५ | ,, | ,, | ,, |
| | **चिकित्सा व जन स्वास्थ्य विभाग** | | | | | |
| ६१. | डॉक्टर के० एन० भार्गव | एम० एस० | १३-१०-५४ | ६ महीने या जनसेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्ति के प्राप्त होने तक जो भी पहिले हो। | एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग द्वारा की सिफारिश पर। | जन-सेवा आयोग द्वारा चुन लिया गया। |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बिल्डिंग्स एण्ड रोड्स विभाग | | | | | |
| ६२. | श्री केदारलाल गुप्ता | लोअर सब-ऑर्डिनेट (रुड़की) | २६–१–५५ | १ वर्ष | पुनर्नियुक्ति | |
| ६३. | श्री आर० बी० महेशकर | सनोट्री और प्लमविंग में डिप्लोमा कोर्स पास। | फरवरी, ५५ | ३०-४-५५ तक | ,, | |
| | सिंचाई विभाग | | | | | |
| ६४. | श्री अगम प्रकाश सिंघल | बी० ई० | ८–६–५४ | २८-२-५५ तक | जन-सेवा आयोग द्वारा चुने गये। | |
| ६५. | ,, गुलाबचन्द कंचोलियां | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ६६. | ,, वी० पी० भटनागर | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ६७. | ,, एन० के० कौशिक | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ६८. | ,, अमोलकचंद संत्री | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ६९. | ,, सुरेन्द्रसिंह भंडारी | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ७०. | ,, श्रवणकुमार गुप्ता | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ७१. | ,, साधूसिंह भूपाल | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ७२. | ,, नारायन पंचवानी | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ७३. | ,, ब्रिजेन्द्रकुमार गुप्ता | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ७४. | ,, ब्रजकिशोर माथुर | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ७५. | ,, दौलतमल सिंघी | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ७६. | ,, दिनेशचन्द्र गुप्ता | ,, | | ,, | ,, | |
| ७७. | ,, नित्यविहारीसिंह | ,, | ,, | ,, | ,, | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ७८. | श्री सोहन रूपराय | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ७९. | ,, जगदीश गहलोत | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| ८०. | ,, भूरचंद जैन | ,, | ,, | ,, | ,, | |
| | **ट्रांसपोर्ट विभाग** | | | | | |
| ८१. | श्री दौलतचन्द्र | बी.ए., एलएल.बी | ७-८-५४ | जनसेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्ति के प्राप्त होने तक। | एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग की सिफारिश पर। | |
| | **इवेक्यू प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन** | | | | | |
| ८२. | श्री के. बी. माथुर | ,, | १२-१-५५ | २८-२-५५ तक | | ,, |
| ८३. | श्री गंगाराम शर्मा आर.ए.एस. सेवा निवृत्त | बी. ए. | | ,, | ,, पुनर्नियुक्ति। | |
| | **सेटिलमेन्ट विभाग** | | | | | |
| ८४. | श्री बी.एन. शर्मा | रिटायर्ड सेटिलमेंट ऑफिसर, जोधपुर | ११-२-५४ | ३१-३-५५ तक | ,, | |
| | **वित्त विभाग (अकाउन्ट्स एण्ड ऑडिट)** | | | | | |
| ८५. | श्री सरदारीमल धारीवाल | | १४-९-५४ | अगस्त सन् १९५५ तक | ,, | |